खण्ड-355, अंक-6
शनिवार, 8 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(27 फरवरी, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 355 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	659–662
जनपद जालौन के कदौरा विकास खंड में भूमि संरक्षण इकाई "द्वितीय" सुखोन्मुख (डी0पी0ए0पी0) योजनान्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी वितरित न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	663
गोरखपुर के फरेन्दा कस्बे के कुंजरों एवं गरीब हरिजनों की दुकानों को उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	663–664
सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से षष्ठम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों के ठप्प हो जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	664
उप शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल द्वारा नियुक्तियों एवं स्थानान्तरण में भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	665
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन ..	665
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	665–668
श्री राम आसरे वर्मा द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाने की सूचना ..	668–669
ग्राम सभाओं एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव के चक्रों में कमी करने के संबंध में जानकारी की मांग	669–671
1982–83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 79-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत)	671–734
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	734–735
जनपद फतेहपुर के असोधर थाना क्षेत्र के ग्राम चतुर्भुज सराय में पुलिस तथा दस्युदल के बीच मुठभेड़ में एक नायब दरोगा की मृत्यु के संबंध में वक्तव्य	735–738
मेरठ में धनिया पुल के निकट पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से एक बालिका के मृत्यु के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	738–739

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 27 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 4 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई।

उपस्थित सदस्य--270

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या)	खीरी
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ऊदल, श्री	वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
खरपत, श्री	वाराणसी
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खुशहाल सिंह रागड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
गंगा सागर शंख वार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाब सेहरा, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरेलाल शाक्य, श्री	इटावा
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल श्री,	गोण्डा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अलमोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती' श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर

झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री — खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
दलगंजन सिंह, श्री — जालौन
दलजीत सिंह, श्री — रामपुर
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर — अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
धुप राय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवदी, श्री — प्रतापगढ़

प्रभू नारायण सिंह श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलबीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री — रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बिहारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
बृज किशोर मिश्र, डा० — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
ब्रह्मदत्त, श्री — देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री — एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शवरोज) — गोंडा
महावीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महावानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर

मोती लाल देहलवी, श्री कानपुर
मोहन लाल, श्री हमीरपुर
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) गोरखपुर
योगेश चन्द्र, श्री वाराणसी
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री मैनपुरी
रती राम, श्री बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री रायबरेली
राज किशोर राव, श्री बहराइच
राज कुमार राय, श्री आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
राधेश्य म पटेल, श्री इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री हरदोई
राम करन, श्री वाराणसी
राम कुमार भार्गव, श्री सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री बलिया
राम चन्द्र, श्री वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री वाराणसी
रामजी राम, श्री फैजाबाद
राम धनी, श्री गाजीपुर
रामपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री फतेहपुर
राम प्रसद, श्री जालौन
राम प्रसाद, श्री मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री खीरी
राम लाल, श्री सीतापुर

राम लल वर्मा, श्री हरदोई
राम शिरोमणि, श्री जौनपुर
राम समुझावन, श्री जौनपुर
राम सागर, श्री बाराबंकी
राम सिंह, श्री सहारनपुर
राम सिंह, श्री सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री बरेली
राम सिंह रावल, श्री एटा
राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री सहारनपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री बहराइच
राम हर्ष राय, श्री गाजीपुर
रामेश्वर प्रसाद, श्री बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री मुरादाबाद
रूप राम, श्री शाहजहांपुर
लटूरी सिंह, श्री एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
लालसा, श्री आजमगढ़
लोकमणि शर्मा, श्री मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री लखनऊ
विजय शंकर सिंह, श्री गाजीपुर
विद्यासागर नौटियाल, श्री टिहरी गढ़वाल
विमल प्रसाद तिवारी, श्री फर्रुखाबाद
विशन लाल, श्री बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री बांदा
विश्राम दास, श्री इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर गाजियाबाद
शंकर सिंह, श्री जालौन
शम्भूनाथ, श्री आजमगढ़
शिव दर्शन, श्री रायबरेली
शिव नरेश, श्री बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री नैनीताल
शिव बालक, श्री रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री मैनपुरी
शेर बहादुर, श्री फैजाबाद
श्याम नरायन तिवारी, श्री गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री बाराबंकी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री वाराणसी

श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर	सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
संजय सिंह, श्री	सुल्तानपुर	सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सतीश अजमानी, श्री	खीरी	सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद	हंस राज सिंह वर्मा, श्री	एटा
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री	नैनीताल	हरदेव, श्री	बलिया
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ	हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं	हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर	हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
सिकन्दर अली खां, श्री	शाहजहांपुर	हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया	हरीशंकर, श्री	हरदोई
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच	हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री	मुरादाबाद
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सुल्तानपुर	हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती		

नोटः—श्रम मन्त्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा [27 फरवरी, 1982]

जनपद जालौन के कदौरा विकास खंड में भूमि संरक्षण इकाई "द्वितीय" सखोन्मुख (डी0 पी0ए0पी0) योजनान्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी वितरित न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(11 बजकर 4 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 5 सूचनायें स्वीकृत की गयीं, शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

***श्री शंकर सिंह--**

मान्यवर , मैं आपकी आज्ञा से अत्यन्त लोक महत्व तथा मानवीय विषय की ओर मा0 सदन एवं सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं । जालौन जनपद के कदौरा विकास खंड में 1979–80 से भूमि संरक्षण इकाई "द्वितीय" सुखोन्मुख (डी0 पी0 ए0 पी0) योजना के अन्तर्गत कार्य कर रही थी। इस इकाई ने यमुना नदी से मिलने वाली रायड़ नाले के वाटरशेड में भूमि कटाव रोकने हेतु किसानों के खेतों का समतलीकरण, बंधी डालने तथा बंधी के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया था । बहुत से गांवों मे यह कार्य हो भी चुका है। इस वर्ष 81–82 में उक्त इकाई द्वारा गत वर्षों की भांति अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु क्षेत्र के 20–25 गांवों में कार्य अक्तूबर के महीने से शुरू कर दिया गया था और अभी तक पांच लाख रुपये के करीब कार्य हो भी चुका है । परन्तु आश्चर्य इस बात का है कि उक्त कार्य को करने वाले मजदूरों को आज तक एक पैसा भी मजदूरी का नहीं मिला, जिसके कारण ग्राम अकबरपुर, इदौरा, पान्डेपुर, मसगायें, काशीरामपुर, निवाड़ी, लोहरगांव, बरदौली, घमना, लमसर, देवपुरा, बरही, तेरी, सोराला, सुरोली, दादूपुर, मटरा, करहना, बरखेड़ा आदि गांवों के हजारों मजदूर भूखों मर रहे हैं। कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने तथा समस्या का हल निकालने को तैयार नहीं है ।

अभी तक अधिकारियों के पास एक बहाना था कि शासन से एलाटमेंट का पैसा नहीं मिला है । परन्तु योजना के अन्तर्गत जनपद को एलाटमेंट की धनराशि भी दे दी गयी है परन्तु फिर भी मजदूरी नहीं दी जा रही है । इतना ही नहीं जिले के अधिकारी इस भूमि संरक्षण इकाई को तोड़ने की भी बात कर रहे हैं, जो कदौरा विकास खंड में सुखोन्मुख योजना की एक मात्र कार्य करने वाली इकाई है । यदि ऐसा हुआ तो पिछले तीन वर्षों में राड़ नाले पर जो कार्य हुआ है वह भी नष्ट हो जायेगा । क्षेत्र की जनता में इकाई तोड़ने के समाचार से तथा मजदूरों में मजदूरी न मिलने से भारी क्षोभ तथा रोष व्याप्त है ।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य की मजदूरी तुरन्त दिलायी जाय तथा भूमि संरक्षण इकाई को तोड़ने की चाल से अधिकारियों को रोका जाय ।

गोरखपुर के फरेन्दा कस्बे के कुंजरों एवं गरीब हरिजनों की दुकानों को उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री श्याम नारायन तिवारी--**

मान्यवर, जनपद गोरखपुर के फरेन्दा कस्बे के करीब 85 भूमिहीन गरीब कुंजरे एवं हरिजन जो अपनी सब्जी आदि की छोटी दुकानें बस-स्टेशन से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क के दोनों तरफ गड्ढे पाटकर तथा भयानक गंदगी खतमकर चला रहे हैं उनके उजाड़े जाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम नारायन तिवारी---]
के संबंध में श्रीमान के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। उक्त स्थान में पहले सार्वजनिक शौचालय था। गन्दगी के कारण कोई आता जाता नहीं था। अब उसे साफ करके ये गरीब भूमिहीन अपनी जीविका चला रहे हैं। इस बात से सभी नागरिक खुश हैं। परन्तु वहां के कुछ बड़े दुकानदार जो उस जगह को स्वयं हड़पना चाहते हैं, कुछ तथाकथित राजनैतिक लोग जो पैसे वालों के सेवक हैं एवं कुछ कर्मचारी जो पैसा बनाना चाहते हैं उन गरीबों को उजाड़ने पर तुले हैं। 9 जनवरी को जब कस्बे की सभी दुकानें करीब-करीब बन्द थी इन गरीबों ने अपनी दुकानें नहीं बन्द की थी। इससे और नाराजगी है। उन्हें मारना, धमकाना, शासन को उनके विरुद्ध गलत दरखास्त देना तथा झोपड़ियों में आग लगाने की तैयारी करना रोज का काम है। उनके एवं 20 सूत्री कार्यक्रम के पक्षधर अच्छे व ईमानदार अधिकारी भी धमकाये जा रहे हैं। इससे क्षेत्र के लोगों का मनोबल टूट रहा है। लोगों में रोष एवं आतंक व्याप्त है किसी समय कोई दुर्घटना हो सकती है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को देखते हुए श्रीमान् शासन को उनके संरक्षण के निर्देश देने की तुरन्त कृपा करें।

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से षष्ठम मंडल सिंचाई कार्य लखनऊ के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों के ठप्प हो जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप कुमार यादव---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के षष्ठम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ के अधीन सभी निर्माण कार्य प्रायः ठप्प पड़े हुए हैं, जो कार्य इस प्रकार हैं। उन्नाव खण्ड शारदा नहर उन्नाव के अन्तर्गत रायबरेली जनपद में प्रस्तावित डलमऊ बी पम्प नहर उन्नाव के निर्माण कार्य सिंचाई खण्ड द्वितीय शारदा नहर लखनऊ, सिंचाई निर्माण खण्ड उन्नाव के अन्तर्गत परियार बांध, सिंचाई खण्ड तृतीय लखनऊ के गोमती बांध के तटवर्ती बांध निर्माण कार्य आदि की प्रगति शून्य है। सिंचाई खण्ड तृतीय लखनऊ के तहत गोमती बांध के तटवर्ती बांध का निर्माण करना था जिसके लिये शासन द्वारा 164 लाख रुपया आवंटित किया गया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 364 लाख रुपया का व्यय अधिक करना पड़ रहा है। मार्च, 1982 तक 103 लाख रुपये निर्माण हेतु आवंटित किया गया परन्तु जुलाई, 1981 से अब तक प्रगति शून्य रही। आये दिन निविदाओं का आमंत्रण एवं निविदा दाताओं से सांठ-गांठ तथा कार्यों की संभावनाओं के ऊपर ही कार्यवाही चल रही है। जुलाई, 1981 से जनवरी, 1982 तक अधिकारियों के वेतन व भत्तों पर लगभग 6 लाख रुपये का अपव्यय किया गया और अब प्रश्न यह उठता है कि क्या 103 लाख रुपये के व्यय की छमता दो माह के अन्दर हो जायेगी। ऐसे लोक महत्व निर्माण कार्यों की उपेक्षा विधान सभा के लगभग 4 कि0मी0 की दूरी पर विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही है। यह कहना अनुचित न होगा कि चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। अधिकारियों के इस मनमानी रवैये की वजह से गोमती बांध तथा अन्य उक्त निर्माण कार्य न हो सके।

उपर्युक्त परिस्थिति में सरकार से मेरी मांग है कि संबंधित अकर्मण्य अधिकारयों द्वारा की जाने वाली भारी लूट को रोकने हेतु संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब स्थानान्तरित करके मामले की जांच किसी निष्पक्ष ईमानदार अधिकारी द्वारा कराकर दण्डित करने तथा उक्त कल्याणकारी कार्य को यथाशीघ्र कराये जाने के निर्देश दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उप शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल द्वारा नियुक्तियों एवं स्थानान्तरण में भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, उप शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल ने शासन की स्पष्ट नीति एवं आदेशों की अवहेलना कर शिक्षा सत्र के बीच में मण्डल के सभी संवर्गों के अध्यापकों एवं चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों के स्थानान्तरण व्यापक रूप से कर दिये हैं और स्थानान्तरण के क्रम अभी भी जारी हैं। इण्टर कालेज के प्रवक्ताओं का भी स्थानान्तरण किया गया जबकि उनका स्थानान्तरण करना इनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। सभी स्थानान्तरण विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर तथा धन अर्जित करने की गर्ज से किये गये हैं और जान-बूझकर अध्यापकों एवं कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। इस प्रकार के असामयिक स्थानान्तरणों से कई विद्यालय के अध्यापकों की रिक्तियां हो जाने से छात्रों को विषयों के पठन-पाठन में असुविधा हुई है। शासन द्वारा तदर्थ नियुक्तियां न किये जाने के आदेश के बावजूद भी इन्होंने एल0 टी0 वेतनक्रम में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की हैं। प्रोन्नति एवं सभी प्रकार की नियुक्तियों में मेरिट की अवहेलना की है। भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद से प्रेरित होकर इन्होंने प्रोन्नतियां एवं नियुक्तियां की हैं। इन्होंने शासन के आदेशों के बिना इन्टर कालेज के प्रवक्ता पद पर तदर्थ नियुक्तियों हेतु अखबारों में विज्ञापन दिये तथा अनावश्यक गरीब अभ्यर्थियों का खर्चा करवाया। मार्च, 1982 में सी0 टी0 वेतनक्रम में की जाने वाली नियुक्तियों के लिये भी वे अभ्यर्थियों से 5000 रुपये अग्रिम रूप से ले रहे हैं। उप शिक्षा निदेशक के इस भ्रष्ट रवैये से पूरे गढ़वाल मण्डल के अध्यापकों एवं जनता में घोर असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अतएव हम इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि शीघ्र ही उप शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल का स्थानान्तरण करवाया जाय तथा उनके विरुद्ध आरोपों की उच्चस्तरीय जांच करवाने की कृपा करें।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष--

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में नामोंकी वापसी के अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक 26 फरवरी, 1982 के अपरान्ह 5 बजे तक उक्त निकाय में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से जो एक अतिरिक्त नाम था वह वापस नहीं लिया गया। उक्त निकाय के निर्वाचन हेतु मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 11 मार्च, 1982 को होना था। सदन के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 11 मार्च, 1982 को सदन का उपवेशन नहीं होगा। अतः निकाय के निर्वाचन हेतु मतदान अब दिनांक 12 मार्च, 1982 को पूर्वान्ह 11 बजे से 4 बजे तक, विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। उनके विषय इस प्रकार हैं। श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की-इजरायली नागरिक मृतक जैकब जिसकी हत्या मे कुख्यात चार्ल्स शोभरन राज अभियुक्त है, का सामान पुलिस मालखानें से गायब होने के संबंध में है।

[श्री उपाध्यक्ष—]

दूसरी श्री मोती लाल देहलवी की माननीय सूचना मंत्री श्री काशीनाथ मिश्र तथा सामान्य प्रशासन एवं मंडलीय मंत्री श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी द्वारा पदों के दुरुपयोग से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में है। इसमें श्री देहलवी के साथ श्री मसरूर जाफरी, श्री शंकर सिंह, श्री कुबेर भंडारी, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा और लोग थे और इनका विषय एक ही है।

माननीय श्री दलगंजन सिंह, श्री शंकर सिंह, श्री राधेश्याम पटेल की दिनांक 19-2-82 को कानपुर के उद्योगपति की बहू की हत्या किये जाने के संबंध में है।

सातवीं श्री राम आसरे वर्मा, श्री मसरूर जाफरी द्वारा 23-2-82 को बुलन्दशहर में पांच बच्चों की हत्या मे सबध में है।

आठवीं श्री प्रदीप कुमार यादव की आलू के भाव में गिरावट होने के संबंध में है।

नवीं श्री हरिवंश सहाय की जिला वाराणसी में दो स्त्रियों के भूख से मरने के संबंध में है।

दसवीं श्री विद्या सागर नौटियाल की प्रदेश में ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभाओं के चुनाव रोके जाने के निर्देश के संबध में है।

ग्यारहवीं श्री जमुना प्रसाद और श्री राम सागर की श्रीमती मुन्नीदेवी तथा उसकी बच्ची का अपहरण किये जाने के संबंध में है।

बारहवीं श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद मथुरा में पेड़ों के काटने के सबंध में और तेरहवीं श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन तथा श्री राम गोविन्द की जनपद फतेहपुर में पुलिस एवं डाकुओं की मुठभेड़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में है। इस प्रकार से कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो सभी अस्वीकार हुई।

(शोर)

श्री रियासत हुसैन—

इसमें सुन तो लेते मान्यवर, 80 लोग मारे गये.....

(शोर)

श्री मसरूर जाफरी—

[× × ×] (अखबार दिखाते... हुए)

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

विराजिये। क्योंकि एक से अधिक आदमी बोल रहे हैं और बिना इजाजत बोल रहे हैं इसलिए यह सम्भव नहीं है कि किसी की बात सुनी जा सके इसलिए जो भी इन्होंने कहा है लिखा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी—

जो कानपुर का है, यह अखबार श्रीमन्, देख लें....

श्री मोती लाल देहलवी—

आप अपनी अनुमति से 2 मिनट दे दें। यह परम्परा चली आ रही है कि पुनर्विचार के लिये सदस्यों को सुना जाता रहा है इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट सुन लें। बड़ा गम्भीर मामला है।

(शोर)

नोट :—[×××] यह अश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजिये। आपने अपने नियमों में एक संशोधन किया है। शायद आप भूले नहीं होंगे। यह संशोधन किया है कि जब भी आरोपात्मक कोई बात सदन में उठानी होगी तो उसकी एक प्रति आप संबंधित मंत्री को देंगे, एक प्रति पीठासीन अधिकारी को देंगे, उसके बाद ही इस तरह की कोई आरोपात्मक बात सदन में उठा सकते हैं। आपके ही द्वारा बनाया हुआ यह नियम है और मेरी समझ में आप अपने ही द्वारा बनाये गये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, दो प्रतियां दी हैं, जो परम्परा चली आ रही है दो कापियों की.....

श्री मसरूर जाफरी--

बहुत अहम मामला है श्रीमन्, प्रदेश के मुख्य मंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग करके बहुत बड़ी गलत बात है.....

श्री उपाध्यक्ष--

कोई प्रदेश का मुख्य मंत्री हो सकता है, लेकिन हमारे सामने वह सदन में सदस्य है सदन के सामने किसी सदस्य के लिए अगर आरोपात्मक बात उठानी है तो नियम में आप संशोधन कर चुके हैं और जैसा मैंने पहले कहा उसी क आदेशानुसार आप आचरण करें। अगर मामला किसी मंत्री का है तो मंत्री के अन्दर मुख्य मंत्री भी आते है अगर उनके खिलाफ भी यह बात आती है तो भी आपको इसी नियम का अनुसरण करना चाहिए था। आपने इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है इसलिए आप अपने ही द्वारा बनाये गये नियमों के अन्दर इसको नहीं उठा सकते हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी--

दो प्रतियों में हमने भेजा है। एक प्रति आपकी तरफ से संबंधित मंत्री को जाती है। मान्यवर, यही परम्परा चली आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको हक है कि आप अपने नियमों में संशोधन करें और आपने उस हक का प्रयोग कर दिया है और उस हक के प्रयोग से ही यह संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद आपके ही द्वारा निश्चित प्रक्रिया के अनुसार यह नियम का अंग हो चुका है और इस तरह से आपकी जो भी परम्परा रही हो उसको आपने ही संशोधित किया है। इसलिए आप अपने ही द्वारा अपने आप को प्रतिबंधित करें।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि यदि ऐसा कोई संशोधन हुआ है तो हमें अवगत करा दें। हमारी जानकारी में ऐसा संशोधन नहीं हुआ है दो ही प्रतियों में नियम 56 के अन्तर्गत दिया जाता रहा है। हमें इसकी जानकारी नहीं है। अगर कोई संशोधन नियमावली में हुआ है तो वह हम लोगों की जानकारी में नहीं है अतः हमारी प्रार्थना है कि आप बता दें कि कब संशोधन हुआ और क्या संशोधन हुआ है?

श्री मसरूर जाफरी--

यह बहुत गंभीर मामला है आपको इसको सुनना ही चाहिए।

(श्री कुबेर भंडारी तथा श्री फिरगी प्रसाद विशारद भी साथ ही साथ कुछ बोलते रहे।)

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपकी समझ से यह कार्य-स्थगन का विषय बन सकता है ? यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है। आप अपने ही द्वारा बनाये गए नियमों से नियमित हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी--

जब शासन के तीन-तीन मंत्री गलत काम कर रहे हों इसलिए आरोपात्मक होते हुए यह एक गम्भीर मामला है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उससे अनुचित फायदा उठाया है इसलिए मान्यवर, इस सदन की जिम्मेदारी हो जाती है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसको दो मिनट सुन लें आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी मान्यवर, लेकिन आप पहले दो मिनट इसको सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप नियम 56 का प्रयोग तब कर सकते हैं मा0 मोतीलाल जी, जब तत्काल उस घटना का कोई असर पड़ने वाला हो। यह बात अविलम्बनीय महत्व की नहीं है। आप इसको उठा सकते थे, लेकिन 56 में नहीं और दूसरे रास्ते जो अख्तियार करना था उसका उचित माध्यम आपने इस्तेमाल नहीं किया इसलिए इसे नहीं उठाया जा सकता। अब यह प्रश्न समाप्त हुआ। आगे की मद हम लेते हैं।

(अत्यधिक व्यवधान के मध्य)

*हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने क लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54, 03, 89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री राम आसरे वर्मा द्वारा औचित्य का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री रामआसरे वर्मा---

मेरा एक औचित्य का प्रश्न है, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके औचित्य के प्रश्न को मैंने पढ़ा और आपके द्वारा बनायी गयी नियमावली को भी पढ़ा। औचित्य का प्रश्न नियम 300 में उठा सकते हैं। कृपा होगी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, नियम 300 को पढ़ें और खासतौर से नियम 300 के भाग (2) को पढ़ें। क्या उसके बाद भी औचित्य का प्रश्न बनता है ? यदि आपका मन कहे कि नहीं बनता है तो फिर मेरा फैसला अपनी जगह पर है।

श्री रामआसरे वर्मा--

श्रीमन्, औचित्य का प्रश्न बनता है। मान्यवर, हमें सुन तो लिया जाय।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी अपना भाषण चालू रखें। (व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी-

(कुबेर भण्डारी तथा फिरंगी प्रसाद विशारद कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर बोलने की अनुमति न मिलने के कारण सदन त्याग कर चले गये।)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना इजाजत बोल रहे हैं, इसलिये जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

(श्री विद्यासागर नौटियाल सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप अपना भाषण चालू रखें। (व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्,.....(व्यवधान)!

एक सदस्य--

चूंकि आज हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का बजट प्रस्तुत हो रहा है, जिसे वे लोग सुनना चाहते हैं, इसलिये इस तरह का शोरगुल मचा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी, आप विज्ञ आदमी हैं। आप इसे पढ़ लीजियेगा तो स्वयं ही संतुष्ट हो जायेंगे कि औचित्य का प्रश्न बनता ही नहीं है। आप कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

ग्राम सभाओं एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव के चक्रों में कमी करने के संबंध में जानकारी की मांग

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि चूंकि आज सदन उठने के बाद सारे लोग कल अपने क्षेत्र में जायेंगे और ग्राम सभाओं का जो चुनाव है, पंचायतों का जो चुनाव है, उसके कार्यक्रम में सरकार ने कुछ परिवर्तन किया है, जैसा कि आज मालूम हुआ कि बजाय 6 राउन्ड के अब 5 राउन्ड में ही चुनाव होगा। तो पहली बात यह कि अखबारों में यह आ गया है और शायद कौंसिल में भी सरकार कह चुकी है, तो उसी तरह से इस सदन में भी स्पष्ट रूप से घोषणा तो हो जाय प्रोग्राम क्या है, चुनाव 6 राउन्ड में होगा या 5 राउन्ड में होगा।

श्री हुकम सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज समाचार पत्रों में जब मैंने इस परिवर्तित कार्यक्रम को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार की माननीय सदन का उपहास करने की एक आदत सी हो गयी आपकी पीठ से निर्देश होने के बाद भी सदन को पहले अवगत करायें बिना अखबारों को बयान

नोट:--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम सिंह]
दिया और घोषणा कर दी कि चुनाव 5 चक्र में होने जा रहा है । पहले तो इस सरकार ने घोषणा की थी कि चुनाव 6 चक्र में होने जा रहा हैऔर फिर दूसरा बयान दे दिया कि 5 चक्र में होने जा रहा है । इस तरह से यह सदन का उपहास है । इसी संबंध में मैं माननीय मंत्री जी के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस भी देता हूं । आपसे मेरा आग्रह है कि उनको निर्देशित करें, प्रताड़ित करें कि वे इस तरह से सदन का उपहास न करें ।

श्री उपाध्यक्ष --

आपके रहते सदन का उपहास न होने पायेगा ।

जो प्रश्न सामने आया है, इस संबंध में माननीय मंत्री जी को कुछकहना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जहां तक कि यह कार्यक्रम के बारे में सम्मानित सदस्य ने कहा, यह नीति विषयक कोई चीज नहीं है । जो घोषणा थी चुनाव के बारे में वह सदन के सामने की जा चुकी है । 6चक्रों में यह चुनाव होना था लेकिन बाद में यह हुआ उस वक्त विधान सभा का सत्र चल रहा होगा, फाइनेन्शियल ईयर का आखिरी भी है तो 6 चक्रों के बजाय उसको 5 चक्रों में कर दिया गया एक चक्र को समाप्त कर दिया गया जो एडमिनिस्ट्रेटिव उस वक्त चीज थी उसको देखते हुए । कहीं जनहित या प्रजातन्त्र की हत्या हुई है ।

मैं आपके द्वारा सम्मानित सदन को सूचित करना चाहूंगा कि प्रथम चक्र 19-3-82 को शुरू होने वाला था । 19-3-82 को शुरू होकर छठा चक्र 1-9-82 को समाप्त हो रहा था .....

श्री रियासत हुसैन--

1-9-82 या 1-7-82...

श्री अम्मार रिजवी--

1/6 था पढ़ने में गलती हो गयी । कार्यक्रम 19-3-82 से शुरू होकर 1-6-82 को समाप्त हो रहा था । अब बजाय 6 चक्र के 5 चक्र कर दिये गये हैं । 19-3-82 से प्रथम चक्र शुरू हुआ और 1-6-82 को पंचम चक्र हुआ । उन्हीं तिथियों में पांच चक्र रखे गये हैं । कोई समय नहीं बढ़ाया गया है, किसी तरह की कोई चीज निकाली नहीं गई है । यह नहीं है कि दो साल में हो रहा है । निश्चित समय रखा गया है । 6 चक्रमें समाप्त होना था अब पांच इसलिये रखे गये कि क्यों कि फाइनेन्शियल ईयर का आखिरी दिन होता है उस जमाने में, सारे अधिकारी वह वितीय वर्ष का समापन होता है उस कार्य में लगे होते हैं, विधान सभा में यहां सम्मानित सदस्य होंगे । तमाम सब चीजें हैं जिनकी वजह से यह किया गया है । इसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए थी विरोधी दल के नेताओं को । यहां पर विधान सभा चल रही है, सम्मानित सदस्य यहां इसमें व्यस्त होंगे ।ऐसा समय रखा गया है जब सम्मानित सदन के सदस्य जो हैं वह फील्ड में जाकर अपना कार्य कर सकें । इन को हमेशा उल्टा दिखाई देता है । नक्शा उल्टा नजर आता है .....

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन् , मुझे खुशी है कि जैसी सरकार अनस्टेबुल है वैसा ही सरकार का फैसला भी अनस्टेबुल है.....

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मेरी निश्चित जानकारी है टिकट खरीद लिये गये.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब हर बात समाप्त हो गई ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

श्री उपाध्यक्ष--

[× × ×]

पहले आप यह बतायें कि बिना इजाजत बोल रहे हैं या इजाजत से . . .

श्री विद्यासागर नौटियाल--

आप की आज्ञा है मैंने समझा . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी समझ से इजाजत नहीं हो जायगी । जो कुछ कहा वह नहीं लिखा जायगा ।

श्री हुकम सिंह---

बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, मान्यवर, आप की इजाजत चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष--

कहें . . . . . .

श्री हुकम सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जीने जो घुमा फिरा कर बताया, आपके आदेश और निर्देश से यह माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इसी माननीय सदन में केवल दस दिन पूर्व एक कार्यक्रम माननीय मंत्री जी ने बताया, अगर उस में परिवर्तन करना था क्या यह नहीं सही था कि माननीय सदन में उसकी घोषणा आ जाती जब कि आज सदन चल रहा है । इस के बावजूद पत्रकार सम्मेलन में कल शाम घोषणा कर दी . . .

श्री उपाध्यक्ष--

यह परिवर्तन प्रक्रिया में कर रहे हैं या कार्यक्रम में कर रहे हैं ?

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, दोनों में कर रहे हैं । कार्यक्रम में इस तरह से कर रहे हैं कि उसकी घोषणा भी सदन में ही हुई थी । उसके बाद हमारे कुछ राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया था और नियम 51 में सूचना दी थी । इस तरह से उन सारे मकसदों को समाप्त करके एक घोषणा आपने कर दी और उसका कारण यह होगा कि आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने आग्रह किया होगा और आपने समाचार पत्रों में उसको निकाल दिया। मान्यवर, इस वक्त विरोध पक्ष भी बैठा हुआ है, कोई जानकारी आप देना चाहते तो यहां पर दे सकते थे । लेकिन आप तो अपनी आदतों से मजबूर हैं और उनसे जाहिर होता है कि आपको इस सदन को केवल उपहास करने की आदत हो गई है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको इतने हल्के रूप में न लें । मन्त्री जी तो प्रिंसिपल साहब हैं, भाषण पर उनका नियंत्रण है इसलिये इस विषय की अहमियत को समझते हुए यदि सदन उपवेशन में होता है तो किसी भी नीति की घोषणा आप पहले सदन में करें और सदन से बाहर बाद में ।

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 79- हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

[11 बजकर 28 मिनट]

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

श्रीमन्, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसे ही मैंने हरिजन और समाज कल्याण विभाग का बजट प्रारम्भ किया, व्यवधान करना प्रारम्भ कर दिया . . .

नोट-[×××] वह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--
आप फिर से प्रस्ताव रखें ।

श्री गुलाब सेहरा--
श्रीमन्, मैंने रख दिया है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--
मान्यवर, जिस तरह से आज देश की स्थिति है जिस तरह से देश के अन्दर हरिजन लोग रह रहे हैं उसी तरह से मन्त्री जी भी रहते तब तो कोई बात थी लेकिन इनपर तो हरिजनों की कोई झलक नहीं है । न तो वस्त्र में, न पहनावे में और न स्वास्थ्य ही में ।

श्री गुलाब सेहरा--
मैं झलक दिखा दूंगा ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,03,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, पिछले हरिजन एव समाज कल्याण के बजटों को अगर आप अवलोकित करें तो इस साल का बजट पिछले बजट से करीब 7 करोड़ अधिक है । श्रीमन्, आप देखें कि 1981-82में आयोजनागत में जो प्राविधान था वह (हजार रुपयों में) 30,71,65रु0 था और आयोजनेतर में 26,88,65 रु0 था जो कि इस साल बढ़कर आयोजनागत में (हजार रुपयों में) 37,75,71 रु0 तथा आयोजनेतर में 26,97,95 रु0 हो गया है । इसमें यदि वोट आन एकाउन्ट की धनराशि को भी मिला दिया जाय तो यह बढ़ाकर 64 करोड़ 73 लाख 66 हजार रुपये हो जाता है और इसमें अंश पूंजी को भी जोड़ दिया जाय तो वह 64 करोड़, 84 लाख 66 हजार हो जाता है ।

श्रीमन्, मुझे हरिजन एवं समाज कल्याण के बजट पर बोलने का कई बार सौभाग्य मिला है । जब मैं विरोध पक्ष में था तो मैंने इस पर कटौती का प्रस्ताव भी रखा था । मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने उस वक्त जनता सरकार को जो सुझाव दिये थे हरिजन कल्याण के लिये, उन्होंने तो उस वक्त उन्हें नहीं माना लेकिन जब मैं मंत्री हुआ तो जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा था, उनको मैंने इस बजट में कार्यान्वित किया है । श्रीमन्, इस विभाग का उद्देश्य हरिजनों जो कि हजारों वर्षों से पद-दलित रहा है, उनका उत्थान और कल्याण का काम है । समाज का वह वर्ग जिसमें निराश्रित विधवाओं और विकलांग बच्चों और उनके कल्याण का उत्तरदायित्व इस विभाग के ऊपर है ।

श्रीमन् विभाग संभालते ही सबसे पहले मैंने जो काम किया हरिजनों, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों और पददलित लोगों के लिये उनके बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी जाती थी उसमें इस तरह की शिकायतें मिलती थी कि उनकी छात्रवृत्ति को मैनेजमेन्ट और प्रिंसिपल खाजाते हैं, उसमें हमने क्रांतिकारी परिवर्तन किया इन वर्गों के हर एक बच्चे का सेविंग बैंक एकाउन्ट खोल दिया जायेगा और हमारा विभाग उसमें सीधा तिमाही रुपया जमा कर देगा और बच्चा जो है वह सीधा बैंक में चैक लेकर जायेगा और पैसा निकाल सकेगा । उसमें न प्रिंसिपल की जरूरत है न मैनेजमेन्ट की जरूरत है (व्यवधान) ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--
किस उम्र का बच्चा चैक काट सकेगा ।

श्री गुलाब सेहरा--
मालूम होता है माननीय सदस्य ने बजट की किताब देखा नहीं नाश्ता किया और सीधे

यहां चले आयें और प्रश्न करने लग गये । जिसमें बिलकुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि किन बच्चों को यह अधिकार दिया गया है । इस पर प्रश्न करना मैं समझता हूं कि अनभिज्ञता की बात है ।

दूसरी बात हमारे विभाग ने और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि गरीब का पक्ष हमारा पक्ष होगा और गरीब के वाजिब हक को कोई खोयेगा तो चाहे वह बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों न हो उसे खाने नहीं दिया जायेगा । तो उस कदम के अन्तर्गत ऐसी बहुत सी स्वैच्छिक संस्थायें जो पहले निरीह निस्सहाय और अनाथ बच्चों एवं विधवाओं को अनुदान के नाम पर विभाग से पैसा ले लेती थी और उस पैसे का दुरुपयोग करती थी उसके लिये नियम यह था कि उनको बाद में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था लेकिन उस साल इसमें हमने क्रांतिकारी परिवर्तन किया कि अगर किसी ने भी गरीब का वाजिब हक खाया है तो उसकी वसूली उस आदमी के भू-राजस्व के रूप में वसूल होगी और इस तरह की 28 स्वैच्छिक संस्थाओं की जांच शुरू हुई और उसमें से 166 संस्थायें पकड़ी गयी और उन लोगों से जिन्होंने गरीबों का वाजिब हकखाया था, अनाथ विधवाओं और बच्चों का रुपया लोगों का खाया था उनसे भूराजस्व के रूप में रुपया वसूला जारहा है । तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व में उनसे रुपया वसूला जा रहा है । (व्यवधान) जिसने भी खाया हो, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसने खाया है । जब मैं विरोध पक्ष में था तो जिन क्रांतिकारी परिवर्तनों की बात करता था हरिजन और समाज कल्याण विभाग के संबंध में उनको मैंने उठाया है । यह एक आम बात हो गयी थी कि स्वैच्छिक संस्था लोग बना लेते थे और खुद उसके प्रेसीडेंट हो जाते थे और पत्नी को सेक्रेटरी तथा बच्चों को एक्जीक्यूटिव का मेम्बर बना लेते थे तो इस प्रकार की दो सौ संस्थाओं को जनता पार्टी शासन में मान्यता दी गयी और उनको अंधा-धुन्ध रुपया दिया गया तो उस को रोका गया है और अब नियम बना दिया गया है कि स्वैच्छिक संस्था अगर हरिजनों से संबंधित हो तो उसमें 51 प्रतिशत हरिजन मैनेजमेन्ट में होंगे तब उसे अनुदान दिया जायेगा । और समाज कल्याण की संस्था है तो उसमें हरिजन का 18 प्रतिशत मैनेजमेन्ट में हिस्सा हो, 15 प्रतिशत पिछड़े वर्ग का हिस्सा हो, दो परसेंट आदिवासियों का हिस्सा हो तथा 5 परसेंट महिलाओं व 5 परसेंट वीकर सेक्शन के लोगों का हिस्सा हो, तभी उसकी मान्यता होगी । जब तक इतना इन-इन वर्गों का उसमें हिस्सा या प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक अनुदान नहीं दिये जायेंगे ।

श्रीमान्, अब आप देखें, इस साल क्रान्तिकारी परिवर्तनों को पहली दफा इस मंत्रालय में विजीलेंस सेल की स्थापना करके लागू किया गया है । जहां से भी गम्भीर शिकायत होंगी इस विभाग का विजीलेंस सेल उसकी जांच करेगा । विजीलेंस सेल की इस विभाग में स्थापना की गई है ।

श्रीमान्, आप देखें इस साल से, इस प्रदेश के हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों-ग्रामों से जिले में पढ़ने के लिये आते हैं, उनके जिला मुख्यालय पर रहने की बड़ी अव्यवस्था थी, उन्हें रहने का स्थान नहीं मिलता था । हरिजनों की यह स्थिति थी जो शहर या कस्बे में रहने के लिये, पढ़ने के लिये आते थे, कोई अपना मकान रहने को नहीं देता था और यदि किसी ने भूल से उसे दे भी दिया तो यह मालूम होने पर कि वह किस जाति का है उससे खाली करा लेते थे । उनकी इस परेशानी को हमारे शासन ने समझा है और उसी के लिये 57 जिलों में 50-50 लड़कों के हरिजन छात्रावास समाज कल्याण विभाग बनाएगा और 50-50 लड़कियों के छात्रावास बनाएगा । यह कार्य अगस्त में शुरू हुआ है और 31 मार्च तक 29 छात्रावास तैयार होकर छात्रों को दे दिये गये हैं । इसके अलावा हरिजनों के आर्थिक उत्थान के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के 188 चयनित

[श्री गुलाब सेहरा---]

ग्रामों में हरिजनों को रोजगार देने के लिये, उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए 4 हजार दुकानें टाउन एरिया में बनाई जा रही हैं और उन चार हजार दुकानों को हरिजनों को, कुटीर उद्योग करने वाले हरिजनों को, देहाती लोगों को आवंटित कर दिया जायगा, ताकि वह स्वावलम्बी होकर आसानी से अपनी रोजी रोटी कमा सकें। इसमें अगर 10 हजार रुपये की दुकान होगी तो उसको वह 5 हजार में ही दे दी जाएगी और 5 हजार रुपया अनुदान के रूप में माफ कर दिया जाएगा और वह 5 हजार रुपया भी 10 वर्ष में बिना ब्याज के आसान किश्तों में उससे वसूल किया जाएगा। और इस धन्धे के शुरू करने के लिए वह बैंक से जो लोन लेगा उस पर भी 50 परसेंट सब्सिडी बैंक से दिलाई जायगी, ताकि उसका भविष्य उज्ज्वल हो सके और उसके बच्चे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस 31 मार्च तक उसमें से ढाई हजार दूकानें तैयार होकर कुटीर उद्योग धन्धे खोलने के लिये दे दी जायेंगी।

एक बात लोग यह कहते थे कि हरिजनों को जो छात्रवृत्ति मिल रही है, उसमें वृद्धि कर दी जाए। उसके लिए 19 नवम्बर को देश की सबसे लोकप्रिय नेता इन्दिरा गांधी के जन्म दिन से, हरिजन कल्याण विभाग ने 11 क रोड़ की एक योजना चलाई है, जिससे जो छात्रवृत्ति का इस समय रेट है, उसको उन्हें बढ़ाकर दे दिया जाए। अब तक जिस लड़के को 75 रुपया मिलता था, उसको 100 रुपया मिलेगा। मेडिकल कालेज में छात्रावास में जो छात्र रहते थे, उनके लिए 130 के बजाए 240 रुपया छात्रवृत्ति कर दी गयी है। यह रेट में वृद्धि आश्रम पद्धति के ट्रायबल स्कूलों के लिये भी की गयी है। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के वजीफे में भी वृद्धि की गयी है और दशमोत्तर छात्रों के वजीफे में भी वृद्धि की गयी है। यह सब वृद्धि की गयी। इस विभाग के द्वारा एक क्रांतिकारी कदम यह उठाया गया कि जो हरिजन शहरों में रहते हैं और जिनके पास आय के कोई साधन नहीं है उनके सम्बन्ध में प्रदेशीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की नगर पालिकाये और विकास प्राधिकरण जगह-जगह व्यापारिक संस्थायें, दुकानें बनायेगी और उनमें 18 प्रतिशत का हरिजनों के लिये आरक्षण होगा और यह विभाग उन दुकानों को नगर पालिकाओं और विकास प्राधिकरणों से खरीद कर 4 प्रतिशत ब्याज पर आसान किश्तों में हरिजनों को आवंटित करेगा। इस क्रांतिकारी कदम से समाज कल्याण विभाग बीच के लोगों को हटा रहा है।

इस बजट में 3 चीजें की गयी हैं जिनको मैं बहुत क्रांतिकारी कदम कहता हूं। सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम यह है कि हरिजनों को विवाह शादी के लिये कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती थी। लड़कियों की उम्र बढ़ जाती थी और उनके लिये गरीब साधन नहीं जुटा पाते थे। इस साल समाज कल्याण विभाग ने हरिजनों को अपनी लड़कियों के विवाह के लिये अनुदान स्वीकृत किया है, जिनका कोई सहारा नहीं था वह सहारा हमारे समाज कल्याण विभाग ने उनको अनुदान देकर दिया है।

एक क्रांतिकारी कदम इस बजट में यह है कि जो हरिजन किसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते थे और उनके पास अपने इलाज के लिये पैसे नहीं होता था और कभी-कभी बिना इलाज या दवाइयां न मिलने के कारण मर जाते थे सरकार ने इस बात की गम्भीरता को मानते हुए इस बजट में उन टी0 बी0, कैन्सर या अन्य किसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त होने पर उनको विभाग की ओर से मेडिकल ऐड का भी प्रबन्ध किया है जिससे उनका सही ढंग से इलाज हो सक और वे स्वस्थ रहें।

श्री कुबेर भंडारी—

पहले आप सरकार को तो स्वस्थ कीजिये ?

श्री गुलाब सेहरा--

लड़कियों की शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है हरिजनों को नारी शिक्षा के प्रति उदासीनता थी। इसको भी शासन ने बड़ी गम्भीरता से लिया है क्योंकि अगर उनकी लड़कियां शिक्षित होंगी तो आने व.ली हमारी नयी जनेरेशन भी शिक्षित होगी। अगर मां शिक्षित होगी तो आटा गूदते-गूदते भी अपने बच्चों को अल्फा बेट्स पढ़ा सकती है। अतः यह सोचा गया कि अगर हरिजनों की लड़कियों को शिक्षित कर दिया जाय तो उनका रहन-सहन का स्तर उठेगा और आगे आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित हो जायेगी। इसलिये इस बजट में एक योजना बनाई गयी है कि जो अभिभावक मान्टेसरी स्कूल्स में पांचवें दर्जे तक अपनी लड़कियों को पढ़ायेंगे, उनको 15 रुपये प्रतिमाह इन्सेन्टिव के रूप में दिया जायेगा और उनसे कहा जायगा कि वे अपनी लड़कियों को शिक्षित करें।

श्री मोती लाल देहलवी--

अंधा बाटे शीरनी, अपने-अपने को दे।

श्री गुलाब सेहरा--

दूसरे श्रीमन् जो हमारे प्राविधिक शिक्षा केन्द्र हैं' जहां आई0टी0आई0 के रोजगार के लोग जिस पर काम करते हैं' उस पर हमने स्कालरशिप की दर बढ़ाई है। जो प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में जो लड़के हमारे आई0टी0आई0 कालेज में पढ़ रहे हैं, उनकी स्कालरशिप की दर को बढ़ाया गया है। श्रीमन् इसके लिये विशेष रूप से इस साल हमने एक योजना बनाई है कि हरिजन समाज कल्याण कार्य प्रत्येक डिवीजन स्तर पर कल्याण केन्द्र हो, उसकी बिल्डिग हो, उसमें हमारे द्वारा संचालित जो इंस्टीट्यूशन्स हैं, वह एक परिधि में रहा, एक बाउण्डरी में रहा और हमारे निदेशालय के बिल्डिग अलग से नहीं है और इस बात को कई बार उठाया गया। इस साल श्रीमन् डायरेक्ट्रेट की बिल्डिग का शिलान्यास हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 नवम्बर को किया और आज मैं बहुत गर्व के साथ यह बात सम्मानित सदन में कहता हूं कि उस डायरेक्ट्रेट की पहली मंजिल बन गयी है और आखिरी साल तक 4 मंजिल बिल्डिग वह बन जायगी। इस बजट में हमने डिवीजन लेबिल पर कल्याण भवन बनाने की एक योजना हमने रखी, जिसमें हम निराश्रित विधवाओं के आश्रम, आदिवासियों के स्कूल तथा हम अन्य शिक्षण संस्थायें डिवीजन लेबिल पर बनायेंगे और उसमें अपना कार्यालय भी रखेंगे। उस कार्यालय में हमारे डिस्ट्रिक्ट हरिजन वेलफेयर आफिसर, प्रोवेशन आफिसर, ए0डी0ओ0 और परियोजना अधिकारी के कार्यालय होंगे, जिससे एक स्थान पर, जो भी व्यक्ति हरिजन एव समाज कल्याण के काम से जायं, तो उसे एक ही स्थान पर चारों हमारे विभाग के अधिकारी मिल जायें और जितनी सूचना उसको चाहिये वह एक ही स्थान पर मिल जाय।

श्रीमन, एक बहुत क्रांतिकारी कदम कि जो हरिजनों की निराश्रित विधवाओं के प्रति जिले से, इस बात की सूचनायें आ रही हैं कि निराश्रित विधवाओं को जो पेंशन जिलों में दी जाती हैं, वह बहुत कम है और नम्बर भी उसका कम है। इस बात को गम्भीरता से महसूस किया गया। देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस कथन को कि जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा कांग्रेस है। उसको मूर्त रूप देने के लिये हमने प्रत्येक जिले में 57 जिलों में 100 निराश्रित विधवाओं की पेंशन हमने इस बजट में स्वीकृत कर दी है। और 100 निराश्रित विधवाओं को पेंशन मिलेगी। इस बात को भी गम्भीरता से देखा गया है कि निराश्रित विधवाओं को केवल पेंशन देने के दायित्व से काम नहीं चल सकता है। इसके लिये जो निराश्रित विधवायें काम कर सकती हैं उनको स्वावलम्बी बनाने की योजना बनाई गई है। उनको शिल्प कुटीर और अन्य धन्धों की ट्रेनिंग दी जायेगी और ट्रेनिंग देने के बाद उसके लिए जो औजार चाहिये वह भी दिया जायेगा और जब तक वह अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाती है एक वर्ष तक उनको पेन्शन दी जायेगी और जब वह कह देगी

[श्री गुलाग सेहरा—]

कि हम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूं तो उनको पेन्शन दूसरी निराश्रित विधवाओं को दी जायेगी। यह लगातार चलने वाला सिस्टम है ताकि निराश्रित विधवायें पुनरवासित होती जांय और उनका शोषण न हीं सके। श्रीमन् विकलांग वर्ष समाप्त हो गया।

श्री कुबेर भण्डारी—

सरकार भी विकलांग हो गई है। इसके लिये करिये।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

विकलांग मस्तिष्क के लिये क्या किया जाय।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, 15 लाख रुपये की विकलांग लोगों के लिये पेन्शन की व्यवथा की गई है पुराने रेट पर नहीं। रेट को पुनरीक्षित करके इसको बढ़ाया गया है। विकलांग और निराश्रित के लिये।

श्री कुबेर भण्डारी—

आपका ही बयान है 95 करोड़ बजट में दिया गया था 5 करोड़ खर्च हुआ है। इसमें आपने अधिकारियों के खिलाफ न कार्यवाही किया और न आपने इस्तीफा दिया।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मेरा नम्र निवेदन यह है कि माननीय सदस्य स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का अध्ययन करें और अध्ययन की बात पर एक चीज और साफ करदूं कि किसी पंसारी या परचून की दूकान पर बुद्धि नहीं मिलती है यह तो ईश्वर प्रदत्त होती है और बुद्धि का ताल्लुक विशेष रूप से लोकदल के साथ नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी—

आपकी बुद्धि तो दिल्ली में गिरवी है।

श्री हुकम सिंह

मा0 उपाध्यक्ष जी, अभी बुद्धि की बिक्री के बारे में मंत्री जी ने कहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने कोई बजट में क्या बुद्धि की खरीदारी के लिये प्राविधान किया है?

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या बुद्धि आगरा के ताज मार्केट में तो नहीं बिकती है?

श्री गुलाब सेहरा—

अगर यहां आंकड़े मिलायें जायेंगे कि कितने बुद्धि हीन हैं तो जरूर बुद्धि की व्यवस्था करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे लगता है कि आप लोग त्रिकोण में गायब हो जाना चाहते हैं।

श्री कुबेर भंडारी—

गृह मंत्री को आगरा में भेजकर बुद्धि ठीक करा लें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, विकलांगों के लिये प्राविधान तो है ही लेकिन मस्तिष्क के वि लांगों का भी प्रविधान है ।

श्री गुलाब सेहरा---

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों के 15 करोड़रुपये के बिजनेस काम्प्लेक्स में 250दुकानें 31 मार्च तक188 ब्लाक्स में तैयार हो जायेंगी और वह कुटीर उदयोग अनुसूचित जातियों को प्राप्त होंग । इसक अतिरिक्त जो अनुसूचित जाति वित्त निगम है उसने वकीलों के लिये और एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर के लिये एक अनुदान का प्रबन्ध किया है कि छोटे मोटे काम करें तो उनको 3--3 हजार रुपये अनुदान दिया जा सकता है । निगम की ओर से सीधे 3–3 हजार रुपये का अनुदान कृषिक काम करने वालों कृषकों को जिनके पास थोड़ी भूमि है उनको औजारों और कुटीर उद्योग के रा मैटेरियल के लिये प्राविधान हमारे यहा है ।

मान्यवर, इसके साथ ही बैंकों के माध्यम के हमारी ओर के बैंकों के लोन मिलने पर मारजिन मनी की सुविधा 25 से साढ़े 33 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्राविधान भी है जिसमें अबतक हम लगभग 1,32,000 लोगों को वित्तीय सहायता 188 ब्लाकों में दे चुके है । शासन का उद्देश्य है कि जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं वह अपने पैरों पर, स्वालम्बी, खड़े हों इसके लिये कई योजनायें चलाई गयी हैं । विशेष रूप से मेन्ट्रल असिस्टेन्स की जो योजना है उसमें इन्फरास्ट्रक्चर बनाकर उनको स्वावलम्बी बनाना है । दूसरी बात कुछ विशेष जातियों जैसे मुसहर तथा आदिवासी ऐसी विशेष जातियां हैं जिनके लिये हमारे तराई जानजाति निगम की योजना लखीमपुर खीरी और गोंडा जिलों में चलाई जा रही हैं । अभी हल में झांसी, मिर्जापुर और बांदा में भी आदिवासियों के लिये पुनर्वास और उत्थान के लिये आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनें इसके लिये कई योजनायें चल रही हैं ।

मान्यवर, गृह निर्माण की योजना में विशेषरूप से 2 हजार रुपये मकान के लिये और 50 रुपये साइट को डेवलपमेंट करने के लिये कुल 250 रुपये देने की योजना है और उन योजनाओं में हमारा अपना कांस्ट्रक्शन डिवीजन है--हरिजन निर्बल आवास विकास निगम वह उन मकानों की बनाने का काम कर रहा है ।

श्रीमन्, हाई स्कूल, इंटर, बी0ए0 में कुछ विषयों में कोंचिग हेने का उत्तरदायित्व हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ने ले रखा है । जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं उनको कोंचिग देने का प्रानिधान किया गया है । इसके अतिरिक्त समाज कल्याण के क्षेत्र में विशेष रूप से हमने कुछ योजनायें प्रस्तावित की हैं । इन योजनाओं मे विशेष रूप से कुछ योजनायें नेत्रहीनों, मूकबधिरों के भरण पोषण के लिये बनायी गयी हैं । शिशुओं केलिये बालवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की योजना । सफाई कर्मचारियों की कालोनी में 6 वर्ष के बच्चों केलिये स्कूल तथा बालवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की योजना हैं। निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण और उनके बच्चों के लिये शिक्षा हेतु अनुदान देने की योजनायें विकलांगों के कर्मशाला और प्रशिक्षण केन्द्रों की एक योजना है । मैदानी क्षेत्रों में निराश्रित महिलाओं के लिये उनके पुनर्वास हेतु सिलाई, कढाई, बुनाई मशीन एवं साज-सज्जा हेतु अनुदान देने की एक योजना है । ग्रामीण क्षेत्रों में सिलाई, कढाई केन्द्रों की स्थापना की भी योजना है । एकयोजना यह भी है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हैं या अक्षम हैं या उनकी आय का कोई साधन नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों की पेंशन देने की एक योजना का प्रस्ताव भी है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा हो तो एक बा. पूंछ लूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तब पूछियेगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिशुओं और शिशुओं की माताओं और पिताओं की बात आपने की। कांग्रेस (आई) की महिला से कोई पूछता नहीं है, बेइज्जती होती है। जब यहां यह होता है तब बाहर क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मां की बात तो उन्होंने कही, पिता को जरूर छोड़ दिया है। आइंदा ख्याल रखियेगा।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, वित्त निगम ने अब तक अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिये 20 हजार तक की योजना शुरू की थी। लेकिन अभी ह ल ही में, वित्त निगम के सहयोग से और 6 अन्य बैंकों द्वारा एक योजना हरिजनों के लिये शुरू की गयी है जिसमें 20 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक की ऋण की व्यवस्था की गयी है। जिसमें विशेष रूप से प्रिंटिंग प्रेस मिनी बस, स्टील फर्नीचर, पावर लूम, छपाई, जूता चप्पल निर्माण, उद्योग व्यवसाय, टैम्पो टैक्सी के लिये वित्त निगम की ओर से और 6 बैंकों की ओर से 20 हजार रुपये स 2 लाख रुपये ऋण अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोगों को दिलवाने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

श्रीमन्, विशेष रूप से यह बहुत कहा जाता है कि अनुदान पर नियंत्रण प्रभावी रूप से होना चाहिये। इसके लिये हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के पुराने नियमों को को बदल दिया गया है। अब जो शैक्षिक संस्थायें अनुदान के लिये एप्लाई करेंगी उनको डिस्ट्रिक्ट हरिजन वेलफेयर आफिसर से संस्तुति के अलावा उसमें एस0 डी0 एम0 और जिलाधिकारी की संस्तुति भी भेजनी पड़ेगी। उसको एस0 डी0 एम0 और जिलाधिकारी की संस्तुति भी भेजनी पडेगी और निदेशालय के स्तर पर अब उसको इकट्ठा पैसा नहीं दिया जायेगा। जिनके खिलाफ भू-राजस्व की रिकवरी चल रही है उन लोगों ने निदेशालय से पैसा लेकर उस पैसे का सीधे-सीधे दुरुपयोग किया था, इसलिये अब जिस संस्था को रुपया स्वीकृत होगा उसे जिलाधीश के पी0 एल0 ए0 खाते में जम किया जायेगा और फिर किश्तों में वह रुपया बांटा जायेगा। जैसे 80 हजार रुपया अगर मंजूर हुआ है तो पहली किश्त उसे 20 हजार रुपये की दी जायेगी और जब तक उस बीस हजार रुपयों का उपयोगिता सर्टीफिकेट प्राप्त नहीं हो जायगा, तब तक आगे उसे रुपया नहीं दिया जायगा।

शिक्षण संस्थाओं के लिये अब 28 बिन्दु नियत कर दिये गये हैं। इन 28 बिन्दुओं के अन्तर्गत उनकी जांच पड़ताल की जायेगी। इस ओर जो जांच चल रही है उसमें 16 संस्थायें पकड़ी गयी हैं। विशेष रूप से मैं सम्मानित सदन में एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन तथा समाज कल्याण के काम के लिये चाहे इस पक्ष के सदस्य हों और चाहे विपक्ष के सदस्य हों, हमें इसमें उनकी सहायता की, मदद की आवश्यकता है। हम इस संबंध में उनकी भी मदद चाहते हैं। इसके लिये मैंने विशेष रूप से एक पुस्तक छापी है। इसमें वो सब चीजें छापी गयी हैं जिनके लिये लोग आकर पूछते थे कि समाज कल्याण की किन संस्थाओं को और किस-किस जिले में अनुदान मिल रहा है, किन-किन प्राइमरी स्कूलों को रिकरिंग और नान रिकरिंग ग्रान्ट मिल रही है, इसके लिये बराबर विधायक पूछते रहत हैं। इसीलिये इसको छापा गया है कि इससे उन्हें सारी जानकारी हासिल हो जायगी और समाज कल्याण का काम वह अपने स्तर से अपन जिले में देख लेंगे। जिलों में कितनी

महिला संस्थायें हैं, कितनी बच्चों की संस्थायें है इन सब का इसमें तीन वर्षों का ब्योरा दिया हुआ है कि किस-किस संस्थाओं को हरिजन कल्याण विभाग ने इसे अनुदान दिया है, सब ब्योरा इसमें आपको मिलेगा।

जिस जिले का उल्लेख हो, उसमें सभी विधायकगण अपने-अपने जिलों को देखें और यदि वे जिला संस्थायें हैं तो शासन का ध्यान उस ओर आप दिलायें। आपका सहयोग हम इस दिशा में चाहते हैं, इसलिये यह लिस्ट छापी गयी है।

महापुरुषों की सूक्तियां और वचनों को भी इसमें संकलित किया गया है। हरिजन कल्याण वर्ग का प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह कहूंगा कि जो वर्तमान स्थिति इस समय चल रही है, इसमें हम माननोय विधायकों का बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व है। पहले हम देखते थे कि गांव में पहिले सौहार्द की सामंजस्य का, आपसी सहयोग का, स्वस्थ्य व्यवहार का वातावरण हुआ करता था, जो कि अब गिरता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक गांव में हरिजन ही माइनारिटीज में हैं, दूसरी जाति के लोग भी, माइनारिटीज में रह सकते हैं।

गांव में पहले इतन सौहार्द पूर्ण वातावरण हुआ करता था कि यदि गांव में किसी बालिका की, गांव की किसी लड़की की शादी होती थी तो पूरे गांव के लोग बारात की अगवानी के लिये वहां मौजूद होते थे, लकड़ी के पैर पूजते थे गांव की लड़की को अपनी बेटी माना जाता था। कुछ वातावरण खराब है, कुछ तत्व ऐसे हैं जो गांव की जिन्दगी में यह बीज बो रहे हैं जिससे गांवों की पुरानी संस्कृति, प्यार मुहब्बत से दूर हो गये हैं। इसकी पुनःस्थापना के लिये हमको ऊपर उठना होगा।

लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया है कि हरिजनों को बहुत विशेष सुविधा दी जा रही है, मैं निवेदन करूंगा कि किसी बाप के 4 बेटे हैं उसमें कोई विकलांग, अक्षम, अयोग्य है, भविष्य को सम्हालन में सक्षम नहीं है, उसकी बात बाप विशेष रूप से सुनता है और ज्यादा आर्थिक सहायता करता है ताकि वह दूसरे लड़कों के साथ आ जाय, प्रगति के इस दौर में वह औरों के साथ कदम से कदम मिला कर चल सके। तो इस को लोग समझ रहे हैं कि हरिजनों को बहुत सहायता दी जा रही है।

(तालियां)

कुछ विरोधी पक्ष के लोगों ने एक बात कही कि आप हरिजनों को मार दीजिए, आपके गांव में सड़क, बिजली, पानी आ जायेगा, तो मैं समझता हूं कि इससे गिरी हुई बात मानवता के लिये और कोई हो नहीं सकती। मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं। विरोध पक्ष की हैसियत से अगर मैं उस पक्षसे बोलूं, उन कार्यों की मीमांसा की है जिसके साक्षी मोती लाल देहलवी जी हैं, मैं उस वातावरण को नहीं लाना चाहता, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि जो मुहम्बत, प्यार था, उस को पुनः स्थापित करने के लिये हमको और आपको जुटना होगा। आपने कल्पना नहीं की होगी, चाहे माइनारिटी के लोग हों, अल्पसंख्यक हों, हरिजन हों अगर गांव छोड़ने का दौर शुरू हो जाता है तो वह इस देश, प्रदेश और समाज के लिये बहुत बड़ा कलंक होगा। देश के बांटन के लिये, उसकी नींव अगर पड़ गयी, तो कोई उसे सम्हाल नहीं पायेगा। इस लिए हरिजनों के लिये अगर कुछ किया जाता है तो वह इसलिये कि वह कुछ प्रकाश की किरण पा सकें, कुछ दूर तक चल सकें, प्रगति के दौर में चल सकें। इसके साथ-साथ मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 1978 में जब आगरा में पी0 ए0 सी0 को गोली से 11 हरिजन मारे गए थे तब मैंने इसी सम्मानित सदन में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव को मुस्कराते हुए देखा था और देवली काण्ड के बाद मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को रोते देखा था तो यही बुनियादी फर्क है। केवल

[श्री गुलाब सेहरा]
राजनीति के आधार पर राजनीतिक लाभ करने के लिये मुस्कराकर इन सब चीजों को नहीं छोड़ा जा सकता है।

श्री मसरूर जाफरी—
महारानी दोहरे भी रो रही ह, उनके लिए भी कुछ करवा दीजिए।

श्री मोतीलाल देहलवी—
मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी पीठ से कई बार यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि जो सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इस सदन में मौजूद नहीं हैं, उनके विरुद्ध कोई आरोपात्मक बात नहीं कही जा सकती है। मा0 मंत्री जी मंत्री होते हुए भी एक गलत और मनगढ़ंत बात उनके लिये कह रहे हैं जो माननीय सदन के सदस्य इस समय नहीं हैं। अपना जवाब भी नहीं दे सकते हैं तो मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि क्या मा0 मंत्री जी ने जो शब्द कहा है, वह आपके निर्देशों के बावजूद क्या सदन की कार्यवाही का अंग बन सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—
मा0 देहलवी जी, आपने मुझसे व्यवस्था के बारे में कहा। इस आसन से दी गई व्यवस्थायें अडिग हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन मैं यही नहीं समझ सका कि उसमें जो कुछ भी उन्होंने कहा, कौन सा हिस्सा आरोपात्मक है।

श्री मोतीलाल देहलवी—
मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि .....

श्री गुलाब सेहरा—
यह कोई विवाद का विषय नहीं है। मोतीलाल जी, यदि मैं भी डिटेल में जाऊंगा तो आप जबाब नहीं दे पायेंगे।

श्री मोतीलाल देहलवी—
मान्यवर, आपने कहा कि कौन सा हिस्सा आरोपात्मक है तो आपसे निवेदनपूर्वक बताना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी ने यह कहा कि जब आगरा में 11 हरिजन मारे गए तो मा0 राम नरेश जी यादव, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, वह इस सदन में मुस्करा रहे थे, अव्वल तो यह बात बिल्कुल गलत और सत्य से परे है और मा0 मंत्री जी जैसे लोगों के मुंह से ऐसी गलत बात कही जाय वह शोभनीय नहीं है। वह इस माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं तो क्या इस तरह की थोथी और आरोपात्मक बात उनके विरुद्ध कही जा सकती है? क्या वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन सकती है?

(12 बजकर 28 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष—
मा0 देहलवी जी, आप इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने जो कुछ भी घटना का बयान किया वह किसी मुख्य मंत्री के आचरण के बारे में था और मुख्य मंत्री के पद के आचरण के बारे में था। अगर उसमें कुछ एसा है तो उसका प्रतिवाद आपने कर दिया। वह किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं है, वह आरोप माननीय श्री राम नरश यादव पर नहीं है, तत्कालीन मुख्य मंत्री पर था और अगर तत्कालीन मुख्य मंत्री पर था तो उसका प्रतिवाद हो गया और उसका प्रश्न समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा--

मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, आप देखलें कि सत्ता पक्ष के लोग हंस रहे हैं या विरोध पक्ष के लोग हंस रहे हैं । बजट पेश करते समय भी वे हंस रहे थे और पान खाये हुए थे । देवली कांड पर भी वे हंस रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सेहरा जी, माननीय भंडारी जी का कहना है कि हाउसमें कोई हंसा न करे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग माननीय भंडारी जी की बात की कद्र करेंगे और कोई नहीं हंसेंगा ।

श्री कुबेर भंडारी--

मेरे कहने का मतलब यह नहीं था । मैंने कहा कि जब वे बजट पेश कर रहे थे, तब भी हंस रहे थे और साढूपुर कांड पर भी हंस रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं । जो बात मैंने कही उसको गम्भीरता से नहीं लिया गया है । मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री के लिये कहा था कि इटावा, फतेहपुर व आगरा में जब हरिजन मारे गये थे तो मैंने उस मौके पर उनसे कहा था कि कम से कम उनके दाह संस्कार में तो चले जाइये लेकिन वे नहीं गये और यही बैठे रहे क्योंकि वे इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते थे । लेकिन मैं अपनी एक जिम्मेदारी की भावना से काम करता हूं क्योंकि मैं भी उस वर्ग से आता हूं जिसने भूख की ज्वाला को बर्दास्त किया है, जिसने अस्पृश्यता के दर्द को सहा है ।हमें भी उसकी टीस है, पीड़ा है, मैंने देखा है कि संस्कार की जो कड़ी है उसका भी सबसे बड़ा दायित्व है । हम चाहते हैं कि हरिजनों की उस कड़ी को जोड़ें और उसकी पुर्नस्थापना करें । जो उनको करना है वे करें, जो हमको करना है हम करेंगे । जफा वाले जफा करें, वफा वाले वफा करें ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, अखबारों में जो श्रीमती महारानी दोहरे के बारे में निकला है, इसको भी जरा देख लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सन्त बक्श रावत जी,आप अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री सन्त बक्स रावत--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक

[श्री सन्त बक्स रावत---]
रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय हरिजन एवं कल्याण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने 54,03,89,000 रुपये की मांग प्रस्तुत की है। जब माननीय हरिजन कल्याण मंत्री बोल रहे थे, उसी बीच मुख्य मंत्री जी यहां से उठ कर चले गये। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री केवल सेहरा जी की परीक्षा लेने के लिये पहले हाउस में बैठे थे और बजट प्रस्तुत होने के बाद तत्काल उठ कर वे चले गये। वे हरिजनों के इतने प्रेमी हैं कि सदन में हरिजनों के सम्बन्ध में कही हुई बात को वे सुनना भी नहीं चाहते हैं। माननीय सेहरा जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत करते समय उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जब मैं विपक्ष में बैठता था उस समय मैंने जो कहा था उन सारी बातों को पूरा किया है। मान्यवर, मैं उन के कुछ उद्धरण देना चाहूंगा। इस के पूर्व, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं हरिजन विभाग द्वारा जो वास्तव में हरिजनों को मदद करनी चाहिये वह अब तक नहीं कर पाया है। आजादी के 33 वर्ष के बाद भी हरिजन जिस स्थान पर थे उसी स्थान पर खड़े हैं। हरिजनों की स्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही है। माननीय

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुए।)

मंत्री जी ने बताया कि इस वर्ष काफी धनराशि बढ़ा दी गई है। बढ़ी हुई धनराशि कहां पर व्यय होगी इसके बारे में इन्होंने कुछ उल्लेख किया है कि विकास खण्डों, अनुसूचित जाति वित्तीय निगम, आवास विकास निगम इस प्रकार तमाम संस्थायें इन्होंने गिनवाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन के यहां एक अनुसूचित जाति वित्त निगम है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण और अनुदान देने की व्यवस्था है। पिछले वर्षों में बड़ी कठिनता के साथ कुछ लोगों को, कुछ ही हरिजनों को जिन की सिफारिश थी जिन की पहुंच थी, उन को कुछ अनुदान और ऋण दिया गया। उन में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें व्यवसाय के लिये ऋण दिया गया था। वह ऋण उन को नकद न दे कर विभाग द्वारा कपड़े के रूप में दिलाया गया। कपड़ा मारकेट वैल्यू से अधिक कीमत पर दिलवा करके लोगों को दिया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि जिन हरिजनों ने ऋण लिया उन को समुचित लाभ नहीं मिला। घाटे में कपड़े का व्यापार करना पड़ा, बेचना पड़ा। वे इस स्थिति में नहीं हैं कि ऋण को वापस कर सके। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि शासन की मन्शा यह नहीं है कि अनुसूचित जाति के लोगों की मदद की जाय। इसीलिए हरिजनों के शोषण पर जुटे हुये हैं माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि पिछले वर्षों जब मैं विपक्ष में बैठता था तो मैंने जो बातें उस समय कहीं थी उन को पूरा कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने 1979 में कहा था कि कक्षा पांच में अनुसूचित और जनजाति के छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये लेकिन माननीय मंत्रीजी ने केवल बाल्मीकी तथा कुछ छात्राओं को इसे देने की बात कही है तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री अगर सचमुच हरिजनों का उद्धार करना चाहते हैं, हरिजनों की शिक्षा का स्तर उठाना चाहते हैं तो कक्षा पांच से अनिवार्य रूप से हरिजनों को छात्रवृत्ति दें।

श्रीमन्, उद्योग धन्धों के बारे में माननीय मंत्री जी ने काफी जिक्र किया। मान्यवर, अभी तक जो उद्योग धंन्धों से अनुसूचित जाति के लोगों को मदद दी जाती रही है वह बहुत ही कम रही है। इस धनराशि में काफी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। इस धनराशि के

बगैर बढ़ाये अनुसूचित समाज की, जिस की संख्या काफी बढ़ गई है कोई तरक्की नहीं हो सकती। पिछले वर्ष 1980–81 में उन्नाव जनपद में कृषि अनुदान के अन्तर्गत सात लोगों को जिन में श्री बम्बा पासी, महावीर, दुर्गा, बदलू, तलई, राम दयाल, राजाराम को सहायता स्वीकृत की गई। इसी तरह से जूता बनाने के उद्योग के लिये हीरा लाल को सहायता स्वीकृत की गई। लेकिन स्थिति यह है कि इन लोगों से अनुदान संबंधी पत्र वगैरह भरा लिये गये लेकिन सहायता आज तक नहीं मिली।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कह रहे है कि कहीं भी हरिजनों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार हरिजनों की रक्षा करने में पूरी तरह से असफल हो रही है। साढूपुर और देउली की घटनायें इस देश और प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में गूंज चुकी हैं। स्थिति यह है कि हर रोज, कोई दिन नागा नहीं है जब कि अखबारों में इस तरह की घटनाओं की चर्चा न होती हो। कहने का तात्पर्य यह कि पिछले कई वर्षों की तुलना में जब से यह सरकार आयी है माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल में हरिजनों की जितनी हत्यायें हुई हैं, उतनी कभी नहीं हुई हैं मंत्री जी ने हरिजनों की सहायता करने की बात कही है उन्होंने एक पुस्तिका विभाग की ओर से छपवायी है–"उत्तर प्रदेश में कल्याण की दिशा में बढ़ते कदम"। इस पुस्तिका में अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने की बात कही गई है इसमें कहा गया है कि हत्या होने पर यदि किसी कमाने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी गई हो तो उसको 5 हजार रुपये, न कमाने वाले व्यक्ति को 1 हजार रुपये और इसी तरह से अगर उनका कोई नुकसान होता है तो 1000 रुपये तथा उसमें चोट यदि किसी को आती है तो 500 रुपये देने की बात कही गई है।

मान्यवर, आपको मालूम होगा कि बेहमई में एक कान्ड हुआ था उसके बाद देउली और साढूपुर कांड हुआ उसमें मुख्य मंत्री ने इस सदन में बे हमई कांड के बाद यह एलान किया था कि बेहमई काण्ड के प्रत्येक परिवार को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी और आज मंत्री जी उसकी वकालत करते हैं और कहते हैं कि हम हरिजनों का कल्याण चाहते हैं हमारी बात सुनने के लिये भी तैयार नहीं है। स्थिति यह आयी कि बेहमई कान्ड में यदि ठाकुर जाति के लोग मारे जाते हैं तो 10 हजार रुपये की मदद की जाती है और यह घोषणा की जाती है कि उनके परिवार वालों में मृतक के आश्रितों को सरकारी सेवा में लिया जायेगा लेकिन मंत्री जी जो आज उसी समाज से है इस विभाग से सम्बन्धित हैं कहते हैं कि हम मदद कर रहे हैं लेकिन उनके लिये कुछ नहीं किया जाता है। मैं तो कहना चहूंगा कि पिछली बार हरिजन उत्पीड़न को लेकर जब लखनऊ के एक आश्रम पद्धति के स्कूल में कुछ छात्राओं की विषाक्त भोजन से मृत्यु हो गई थी तो उस समय के एक मंत्री को हटना पड़ा था। लेकिन यहां बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा कान्ड हो गया मुख्य मंत्री ने घोषणा भी कर दी थी लेकिन इस्तीफा नहीं दिया।

मैं कहना चहता हूं कि वास्तव में यदि मंत्री जी हरिजनों की दशा सुधारना चहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते है तो कम से कम यदि आप अपने को सक्षम समझते हैं तो सवर्णों की भांति, मुख्य मंत्री जी की बिरादरी के लोगों की भांति उनको सहायता दिलायें। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आपके विभाग ने जो हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने का कार्य किया जाता है वह विभाग से तो स्वीकृत हो जाती है लेकिन जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वह धनराशि बेसिक शिक्षा परिषद को दे दी जाती है और इस तरह से जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के हरिजन छात्र वहां विद्यालयों

[श्री सन्त बक्स रावत]
में पढ़ते हैं उनको वह छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है और छात्र इस छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस छात्रवृत्ति का वितरण भी जिला हरिजन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से करायें।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में यह विभाग प्राइमरी पाठशालायें भी चलाता है लेकिन इन विद्यालयों में जो अध्यापक कार्यरत हैं उनको वह वेतन नहीं दिया जाता है जो शिक्षा विभाग के उसी श्रेणी के अध्यापकों और कर्मचारियों को दिया जाता है। एक शासनादेश संख्या 17778/26--26--7--88-74, दिनांक 4 अप्रैल, 1978 को विभाग द्वारा जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि अनुसूचित और जनजाति के अध्यापकों को वही महंगाई भत्ता दिया जायेगा जो सब को मिलता है लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। जब इसका अनुपालन नहीं हुआ तो इसी बीच 1-9-78 से प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों के डी0 ए0 में वृद्धि की गयी लेकिन इस विभाग के अध्यापकों को इसका लाभ नहीं मिला। यह वृद्धि चार प्रतिशत से साढ़े चार प्रतिशत तक हुई। इसी संदर्भ में जब 1978 के शासनादेश का अनुपालन नहीं हुआ तो पुनः फरवरी, 82 में कहा गया कि 1978 के शासनादेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया और उसके कारण बताये जांय और इसे लागू किया जाय। तो इसी संदर्भ में मेरा कहना है कि प्रदेश की हरिजन विभाग की प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों को जो वेतन मिलता है वह 280.90 पैसे है यह अध्यापक अप्रशिक्षित कक्षा 8 पास होते हैं उनको यह वेतन मिलता है। लेकिन रायबरेली जनपद के गंगा खेड़ा में हरिजन पाठशालाओं के अध्यापक सर्वश्री बाबूलाल, मायाराम, विक्रम एवं भगवानदीन जिनकी सेवायें 15 से 20 साल की हो गयी हैं उनको सिर्फ 147 रु0 मिलता है। प्रदेश के पाठशालाओं के अध्यापकों को नियत तिथि पर वेतन मिल जाता है लेकिन रायबरेली के अध्यापकों को 5--6 महीने तक वेतन नहीं मिलता है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिये। प्रत्येक वर्ष हरिजन विभाग की पाठशालाओं के अध्यापकों को अप्रैल और मई में बजट न होने के कारण वेतन नहीं मिलता है जिसके कारण उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है जब कि और विभागों में वेतन मिल जाता है मैं चाहूंगा कि बजट में भरपूर व्यवस्था होनी चाहिये ताकि समय से उन्हें वेतन मिल सके

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कल्याण के संबंध में माननीय मंत्री जी ने यद्यपि कई योजनाओं का जिक्र किया लेकिन इनका लाभ उन्हें तब तक नही मिल पायेगा जब तक कि उन वर्गों के लोगों को उनकी सेवा में न लगाया जाय। इसमें मेरा आग्रह है कि विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के ही लोगों को इस दिशा में लगाया जाय ताकि अधिक से अधिक लाभ उनको मिल सके और तभी अनुसूचित जनजाति के लोगों का कल्याण हो सकेगा और तब उनको दी जाने वाली सहायता मिल पायेगी और उनको आवास तथा भोजन आदि की व्यवस्था हो पायेगी। मान्यवर, अभी अखबारों में निकला है यह मान्यवर, 22 फरवरी के दैनिक जागरण में निकला है कि थारू सरकारी योजनाओं से डरते हैं। थारू जाति के कल्याण के लिये शासन एक योजना हरिजन कल्याण विभाग के माध्यम से लखीमपुर खीरी में चला रही है। इस जाति के लोग जो इस योजना से लाभ उठाना चाहते थे और योजना में शामिल हो रहे थे, कुछ ऋण और अनुदान उन्हें मिलना था और कुछ ने लिया भी था, वह उन्हे समुचित रूप से नहीं मिल पाया, जिसके फल स्वरूप उन्होंने आगे से इस विभाग से और कुछ अनुदान आदि लेने से इंकार कर दिया है। सरकार इस ओर ध्यान दे और यह देखे कि क्या कमी है जिससे कि जो थारू जाति के लोग इस योजनाओं से वंचित रह जाते हैं उनको उसका लाभ मिल सके।

कालोनी बनाने के बारे में मंत्री जी ने काफी उल्लेख किया है। मैं निवेदन करना चाहूगा कि सन् 72 में लखनऊ जनपद में विकास खंड मोहनलाल गंज और गोसाईगंज में दो कालोनियों का निर्माण हुआ था। मोहनलाल गंज की कालोनी मस्तीपुर टिकरा गांव में और गोसाईगंज की कालोनी चांदसराय गांव में बनाई गई थी। किन्तु उस कालोनी में रहने के लिये 72 से आजतक एक भी हरिजन नहीं गया है और वह कालोनियां ध्वस्त हो चुकी हैं। उनके सारे खिड़की दरवाजे नष्ट हो चुके हैं और ईंट भी अब गिर रही है। वहां एक कुआं भी बनवाया गया था, लेकिन उसमें पानी निकला ही नहीं। सारा पैसा विभाग के लोग खा गये।

प्रत्येक हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग का कार्यालय प्रदेश के जीर्ण-शीर्ण भवनों में स्थापित किया गया है। उनकी दशा अत्यन्त खराब है। मंत्री जी ने यह कहा कि मंडलीय स्तर पर हम भवन निर्माण करेंगे, किन्तु उन्होंने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है कि जनपद के जो जिला हरिजन कार्यालय हैं उनका भी निर्माण कराया जाएगा। लखनऊ जिले में जिला प्रशासन ने जिला हरिजन कल्याण कार्यालय के पास एक भवन उपलब्ध करा दिया है, लेकिन उसकी स्थिति यह है कि उस पर की टीन सारी की सारी नष्ट हो चुकी है। इसलिये उस पर यदि पुनः टीन शेड या छत ही डलवा दी जाए, तो काम चल सकता है। शासन को प्रत्येक जिल में और मुख्यालय पर भवन की व्यवस्था करनी चाहिये। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि विकास खण्ड अधिकारी जो कि केवल एक विकास खण्ड के विकास का काम देखता है, उसके पास जीप की सुविधा है, लेकिन हमारे जो जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी हैं, जिनके पास जिले के समस्त विकास खण्डों और जिले के काम को देखना पड़ता है, उसके पास जीप की व्यवस्था नहीं है। तो उसको भी जीप की सुविधा दी जाए, ताकि विभाग से जो ऋण और अनुदान दिये जाते हैं और जो योजनाएं लागू की जाती हैं, वह उसके कार्यान्वियन को भली भांति देख सके। यह आवश्यक है कि जिला हरिजन व समाज कल्याण अधिकारी को जीपें दी जाएं। आज सतारूढ़ दल जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसके प्रमाण में यह देना चाहता हूं कि देश में 5 प्रतिशत ब्राह्मण जाति के लोग हैं उसमें से आधा प्रतिशत ब्राह्मण जो आज सारे हिन्दुस्तान और प्रदेशों में राजनीति में और सरकारी विभागों में नौकरियों में हावी हैं। इस जाति के जो शेष साढ़े चार प्रतिशत लोग हैं उनकी दशा हरिजनों से भी खराब है। ब्राह्मण भी उन ब्राह्मणों की तरफ देखना नहीं चाहते हैं। अतः उनको भी ऊपर उठाने का प्रयास होना चाहिये। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जो स्व0 पं0 नेहरू के समय से और इन्दिरा गांधी के समय तक की स्थिति है, उसके बारे में बताना चाहता हूं गवर्नर, लेफटीनेन्ट गवर्नर 27 हैं। जिसमें ब्राह्मण 13 हैं, उनका प्रतिशत 65 है। इसी तरह से गवर्नर के सचिव 24 हैं, जिनमें 13 ब्राह्मण हैं उनका प्रतिशत 56.6 प्रतिशत होता है। इसी प्रकार से दश में चीफ सैक्रेटरीज जिनकी संख्या 26 है उनमें से 14 ब्राह्मण हैं, उनका प्रतिशत 56 प्रतिशत होता है। इसी प्रकार से भारत सरकार में कैबिनेट स्तर के 18 मंत्री हैं जिनमें 9 ब्राह्मण हैं, उनका प्रतिशत 50 होता है। इसी तरह से मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों के जो प्राइवेट सैकेटरीज हैं उनकी संख्या 49 है जिनमें से 34 ब्राह्मण हैं जिनका प्रतिशत 71 प्रतिशत होता है। सचिव, अतिरिक्त सचिव या उनके समकक्ष अधिकारी 500 हैं जिनमें से 310 ब्राह्मण हैं। उनका प्रतिशत 64.5 है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी---

क्या ये आंकड़े आपने माननीय राम स्वरूप जी से लिए है?

श्री सन्त बक्श रावत--

मान्यवर, विश्वविद्यालयों मे जो देश में कुलपतियों की संख्या है वह 68 है जिनमें से 50 ब्राह्मण हैं जो 64.5 प्रतिशत होती है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के 14 जज है जिनमें

[श्री संतबक्स रावत –]

से 9 ब्राह्मण हैं उनका प्रतिशत भी 57.5 है। इसी प्रकार से हाई कोर्ट्स के जज और अतिरिक्त जजों का जहां तक प्रश्न है उनकी संख्या 336 है जिनमें से 169 ब्राह्मण हैं। उनका प्रतिशत 50.9 आता है। इसी प्रकार से जो देश में हमारे उच्चायुक्त हैं, उनकी संख्या 140 है जिनमें से 58 ब्राह्मण हैं। यह भी 41.5 प्रतिशत होता है। जहां तक स्टैंडिग कार्पोरेशन्स के चीफ एक्जीक्यूटिव्ज का सम्बन्ध है राष्ट्रीय सेवा में वे 158 हैं जिनमें से 91 ब्राह्मण हैं, इनका प्रतिशत 51 होता है। इसी प्रकार से राज्यों में 17 हैं जिनमें से 14 ब्राह्मण हैं जिनका प्रतिशत 82 होता है। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में जो सर्वे हुआ था उसमें

(व्यवधान)

यह हरिजन समाज कल्याण का बजट है। इसमें हरिजनों का उद्धार होना चाहिये। यह हरिजनों के पूरे समाज से सम्बन्धित है क्योंकि आधा प्रतिशत लोग इन पर हावी हैं जिनमें आप भी आते हैं।

उत्तर प्रदेश की सिविल लिस्ट के अनुसार मान्यवर, गजेटेड अधिकारी, जिनमें एम0 एल0 ए0 और एम0 एल0 सी0 भी शामिल हैं उनके जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं वे इस प्रकार से हैं–

	वर्ष	संख्या	वर्ष	संख्या
ब्राह्मण	.. 1958 में	3150 थे	1969 में	3483 हो गये
क्षत्रिय	.. ,,	800	,,	914 ,,
वैश्य	.. ,,	1683	,,	1971 ,,
कायस्थ	.. ,,	2165	,,	2410 ,,
खत्री	.. ,,	1100	,,	1093 ,,
जाट	.. ,,	300	,,	364 ,
पिछड़ी जाति	..	213	,,	296 ,,
अनुसूचित जाति	.. ,,	232	,,	367 ,,

मान्यवर, इसी तरह से शरणार्थी लोग जो बाहर से आये, उनकी स्थिति यह है कि शरणार्थी 1958 में 101 थे, 1979 में 123 हो गये। सिक्ख 1958 में 110 थे, 1979 में 134 हो गये। मुसलमान 1958 में 1792 थे, जो घट कर 1979 में 747 रह गये। इसाई 1958 में 214 थे, 1979 में 156 हो गये। मान्यवर, माननीय सेहरा जी ने कहा था 1979 में जन संख्या के आधार पर भारत सरकार को संस्तुति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस समय अपने मांग की थी कि 25 प्रतिशत आरक्षण होना चाहये। तो अब मैं आप से पूछना चाहता हूं कि 1981 को जनगणना हो गयी है, तो आप संस्तुति 25 प्रतिशत की कर रहे हैं? अब वह आपको मांग करनी चाहिये। इसकी संस्तुति केन्द्रीय सरकार से करनी चाहिये। इसके अलावा मान्यवर, इस समय स्थिति यह है कि हरिजनों की क्या दशा है, प्रदेश में, सरकारी सेवाओं में, एक पुस्तिका है मान्यवर, अनुसूचित जाति तथा अनुसचित जन जाति का प्रतिनिधित्व।" 1 जनवरी, 1981 तक की रिपोर्ट इसमें अंकित है। इसमें

समूह (क) श्रेणी (1) में कुल कर्मचारियों की संख्या 5680 है। 18 प्रतिशत आरक्षण है अनुसूचित जाति का जिसमें 253 ह, इसकाप्रतिशत 4.45 है। समूह (ख) श्रेणी (2) में 24972 है। इसमें भी आरक्षित कोटा जो है उसका प्रतिशत होता है 4.85 इसी तरह से समूह (ग) (श्रेणी-3) में 4,79,984 स्थान है, जिसमें 48,319 है। इसमें 10 प्रतिशत है अनुसूचित जाति के लोग। इसी तरह समूह (घ) श्रेणी (4) में 1,98.935 हैं जिसमें 35,081 अनुसूचित जाति के लोग हैं। यह 17.63 है। इसी तरह से निगमों में भी आरक्षण पूरा नहीं है। राज्याधीन सेवाओं में तथा अन्य निगमों आदि में भी यही स्थिति है। आजादी के इन 33 वर्षों के बाद भी आप चतुर्थ श्रेणी में जब आरक्षण पूरा नहीं कर पा रहे है, तो हम कैसे यह आशा करें कि यह प्रदेश का हरिजन आशावान हो कि यह प्रदेशीय सरकार हरिजनों की रक्षा करना चाहती है। इसी किताब में यह लिखा हुआ है कि समूह (ग) (घ) में अनुसूचित जाति का आरक्षण उस समय तक क्रमश : 25 और और 30 रखा गया जब तक कि 1 प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं हो जाता, मान्यवर, लेकिन इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया। अभी हमारे लखनऊ जनपद में ही लखनऊ शहर में जी0 पी0 आई0 एफ0 नाम की संस्था 1952 में कायम हुई थी' इस संस्था का नाम अब बदल कर यू0 पी0 इन्स्ट्रमेंट लिमिटेड रख दिया गया। इसमें 600 कर्मचारी है, जिन में अनुसूचित जाति के 46 लोग है। सुपरवाइजर एक और क्लर्क एक हैं। इसके अलावा बाकी जो हैं, लेबर क्लास के है। (लाल बत्ती जलने पर) इसमें माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय बहुत अधिक समय लिया था, मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं, मुझे तो उसी अनुपात में समय मिलना चाहिये। इसलिये मेरा अनुरोध है कि कुछ समय और दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

35 मिनट आप भाषण कर चुके हैं। 2-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सन्त बक्स रावत--

मान्यवर, मुझ डेढ़ घण्टा समय चाहिये था अगर इतना न सही तो आधा घंटा और दे दें।

श्री प्रिय दर्शी जेतली--

मान्यवर, समय दे दीजिये। चाहे हम लोग रहें न रहें।

श्री सन्त बक्स रावत--

आप इसलिये नहीं रहेंगे क्योंकि हरिजन की बात है।

श्री अधिष्ठाता--

आप संक्षेप में कहें।

श्री सन्त बक्स रावत--

आरक्षण कैसे पूरा होगा जब लखनऊ में आरक्षण राजधानी में ही सरकारी फैक्ट्री में कोटा पूरा नहीं है किसी भी संस्था में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। कैसे हरिजन यह आशा करे कि यह सरकार हरिजनों की रक्षा कर सकती है। इसी तरह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में मान्यवर जनवरी, फरवरी 82 में 37 नियुक्तियां की गई। पहले तो मान्यवर, यह नियुक्तियों अनियमित चयन समिति गठित करके की गई और दूसरे इस नियुक्ति में 20 आदमी कानपुर जनपद के रहने वाले हैं। अनुसूचित जाति के मात्र 2 व्यक्ति हैं। इसी तरह हरिजनों की अपेक्षा की जायेगी तो हरिजन कैसे समझेगा कि यह सरकार हरिजनों की पक्षधर है, हरिजनों की रक्षा करगी। परिवहन विभाग में मान्यवर, क्लास थ्री में अवर वर्ग

[श्री सन्त बक्स रावत--]
लिपिक के 104 स्थान हैं। जिसमें से कार्यरत कर्मचारी 64 हैं, 60 सामान्य लोग हैं और अनुसूचित जाति के केवल 4 हैं। मान्यवर प्रवर वर्ग लिपिक में स्थान 67 हैं और सभी भरे हैं। इसमें से 65 हैं इसमें अनुसूचित जाति के केवल 2 हैं। इसी तरह से मान्यवर, 67 पद लेखाकार के हैं इसमें से 61 सामान्य अभ्यर्थी हैं और 6 अनुसूचित जाति के हैं। इस प्रकार मान्यवर, परिवहन निगम में हरिजनों का कोटा पूरा नहीं है।

मान्यवर, सन् 77 में जब इस देश और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार गठित हुई थी उस समय इस देश और प्रदेश में रहने वाले हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी क्योंकि हमारे संविधान में व्यवस्था है। मान्यवर, भारतीय संविधान की धारा 16 के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत पिछड़े नागरिकों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था द्वारा दलित हरिजनों की उन्नति के लिये प्रोत्साहन देकर मार्ग प्रशस्त करना था। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिये उसके सबसे अधिक पिछड़े वर्ग की उन्नति परमावश्यक है। स्वतंत्र भारत के संविधान के जन्मदाताओं का भी यही ध्येय था। संविधान के जनक स्वर्गीय डा0 अंबेदकर ने तो स्पष्ट कहा था राजनीति में हम हर नागरिक के बोट को तो बराबर समान मूल्य दे रहे हैं किन्तु विडंबना यह है कि हर नागरिक का समान मूल्य अभी भी हमारे समाज में नहीं है।"

मान्यवर, इस आधार पर जनता और लोकदल की सरकार ने देश और प्रदेश स्तर पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया था लेकिन कांग्रेस (आई0) ने इस सारे वर्गों से वोट लिया लेकिन उनको अगूंठा दिखा दिया। उनकी उपेक्षा कर दी और उनको कुछ नहीं दिया, जबकि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिये उनको आरक्षण और शिक्षा की सुविधायें देना चाहिये। इसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश में कांग्रेस पक्ष के ही एक सदस्य हैं जो राज्य मंत्री हैं, जो जब हरिजन जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ संस्तुतियां की थी मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन संस्तुतियों को देखते हुये ऐसी व्यवस्था करें कि हमारे उन मंत्री का भी आदर हो सके और प्रदेश के हरिजनों को समुचित लाभ मिल सके। मान्यवर, इसी तरह कांग्रेस (आई) के वरिष्ठ सदस्य, श्री छेदी लाल साथी थे उन्होंने सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसकी भी संस्तुतियां हैं, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस आयोग के अध्यक्ष श्री छेदी लाल साथी थे, की सिफारिशों को लागू करें तभी इस देश और प्रदेश की जनता का कल्याण होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मा0 सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मेरे कटौती क प्रस्ताव का समर्थन करें।

*श्री राम जी राम--

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुदान का मैं प्रबल समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिये कि मान्यवर, यह पहला अवसर है जब हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के मंत्री द्वारा इस तरह से क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। आज हजारों सालों से दलित शोषित, हरिजनों और निर्बल वर्गों के विकास के लिये बहुत ही अथक परिश्रम की जरूरत है। हमारी नीतियां, हमारे नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के सुदृढ़ संकल्प से, पहले 24 सूत्री और अब 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार इन वर्गों के सर्वोत्मुखी विकास के लिये यह कदम उठाया गया है। मान्यवर, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये हरिजनों और कमजोर वर्गों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में शिक्षा की परम आवश्यकता है। शिक्षा विभाग की तरफ जो अभी मन्त्री जी द्वारा एलान हुआ है, वह बहुत सही कदम है।

मान्यवर, सभी जानते हैं कि हरिजनों की दयनीय स्थिति होने के कारण उनको छात्र-वृत्ति दी जाती है जिससे वह अपने बच्चों को पढ़ा सकें चूंकि वह बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल तक पढ़ा पाते हैं, नाम तो होता है कि इतने लड़के शिक्षित हुए हैं लेकिन यथार्थ बात यह है कि प्राइमरी स्कूल तक पढ़ने के बाद मजबूर होकर लड़के और लड़कियां स्कूल को छोड़ देते हैं लेकिन गणना उनकी भी होती है। मान्यवर, प्राइमरी से लगाकर इंजीनियरिंग और तकनीकी कक्षाओं तक उनको छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है। अभी इसके पहले जो आर्थिक सीमा निर्धारित की गयी थी, वह कम थी लेकिन खुशी की बात है कि वह अब सीमा 10वीं दर्जा के नीचे 750 रुपये और उसके ऊपर एक हजार रुपये मासिक आय के अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

(माइक बन्द होने के कारण भाषण स्पष्ट सुनाई नहीं दिया।)

हमारे माननीय मन्त्री महोदय इसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर, यही नहीं लोग कहते हैं कि हरिजनों के लड़कों को विशेष सुविधायें दी जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। सभी मेधावी विद्यार्थियों को भी छात्र-वृत्ति दी जाती है चाहे वह पढ़ाई के हिसाब से हो, चाहे गरीबी के हिसाब से हो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यही नहीं, जो बच्चे हाई स्कूल में साइंस से प्रथम श्रेणी से पास होते हैं, उनको पुरस्कार देने की योजना है जिसमें एक साइकिल तथा 40 रुपये प्रोत्साहित करने के लिये देने की व्यवस्था है। इसके लिये हमारे मन्त्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे हरिजन और कमजोर वर्गों के विद्यार्थी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं, इसके लिये यह प्राविधान किया गया है कि कोचिंग क्लासेज की व्यवस्था की गयी है। आई0 ए0 एस0 और पी0सी0एस0 के लिये कोचिंग की व्यवस्था है तथा टेक्निकल स्कूलों में भी उनको शिक्षा दी जाती है ताकि वह अच्छी तरह से पढ़ सकें और इन परीक्षाओं में भाग ले सकें। मान्यवर, आश्रम पद्धति के विद्यालयों का प्राविधान है। हरिजनों के सर्वोन्मुखी विकास के लिये आश्रम पद्धति के विद्यालयों की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। आप सब जानते हैं कि हरिजन विद्यार्थियों को एक ही नहीं बल्कि अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। न तो उनके पास खाने की अच्छी व्यवस्था होती है, न उनके वस्त्रों की ठीक से व्यवस्था होती है और न उनके रहने की अच्छी व्यवस्था होती है, समाज में उनका कितना तिरस्कार होता है इसके हम सब लोग भुक्त भोगी हैं। तो उनके सर्वोन्मुखी विकास के लिये इन सारी चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा तभी उनका सर्वोन्मुखी विकास हो सकता है। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे मन्त्री महोदय ने उद्घोषणा की है कि उनके लिये विशेष प्राविधान किया जायगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकारी नौकरियों के बारे में, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि राष्ट्रीय एकीकरण विभाग से ब्योरा क्यों तैयार कराया जाता है। सारी नौकरियों में, निगमों में आरक्षण का ब्योरा राष्ट्रीय एकीकरण विभाग तैयार करता है। इससे हमारे लोगों में बड़ा घोर असंतोष है। मैं आपके जरिये से मांग करता हूं कि यह काम हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को दिया जाना चाहिये ताकि सही तौर से आंकड़े उपलब्ध कराये जा सकें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आज हरिजनों के सर्वोन्मुखी विकास के लिये और उनके संरक्षण के लिये मंत्रि मण्डल स्तर की एक हरिजन सेल की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जब इन सब चीजों की छानबीन होती है तो इसके सही तौर पर आंकड़ नहीं मिल पात हैं जिससे योजनाओं को सही तौर पर कार्यरूप में परिणत किया जाना

[श्री राम जी राम-]

संभव नहीं हो पाता है । एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कल्याण की दिशा में बढ़ते कदम नाम की जो किताब मिली है उसके पृष्ठ 20 पर 1 से 10 तक स्वैच्छिक संस्थाओं के बारे में गिनाया गया है । यह स्वैच्छिक संस्थायें किन लोगों के जरिये से चलायी जा रही हैं और इसी लिये घपले हैं । ये लोग उदासीन हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हरिजनों का सही तौर पर सर्वोन्मुखी विकास हो सके इसीलिये घपला है । मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विभाग में इन स्वैच्छिक संस्थाओं के लाल बती जलने पर घपले को दूर करने के लिये कदम उठाया है । (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मैं 5 मिनट का और समय चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

2 मिनट और आप भाषण करें,

श्री रामजी राम---

मान्यवर, 5 मिनट और दे दें । एक शेर कहना चाहता हूं,

मंजिल मिले, मिले न मिले, इसका गम नहीं,
मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है ।

मान्यवर, हरिजन और कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने का मौका मिला है इसलिये मैं सम्मानित विरोधी पार्टी के सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप देखिये अभी स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुदानों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । 28 नुकाती जांच प्रोग्राम की व्यवस्था की गयी है तो यह लोग बौखला गये हैं और वह निदेशालय के डाइरेक्टर के खिलाफ बरस पड़े और यह मांग करना शुरू किया है कि उनको यहां से हटाया जाय । मान्यवर, खुदरा फजीहत दीगरा नसीहत, से खुद तो फजीहत हैं और दूसरे को नसीहत करते हैं। मान्यवर, यह प्राविधान किया गया है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के अभिभावको को 15 रुपया दिया जायगा, क्यों दिया जायगा इसलिये कि वह उत्साहित हों और अपनी लड़कियों को स्कूलों में पढ़ने के लिये भेजें । मान्यवर, कहा गया है,

यत्र पूज्यते नारि, रमन्ते तत्रदेवता ।

मान्यवर, जब तक नारियों की शिक्षण में सुधार नहीं होगा, उनमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे समाज में जागृति नहीं आयेगी । स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिये हैं । समान रूप से चलें इसके लिये नारियों का शिक्षित होना आवश्यक है । सरकार ने यह जो प्राविधान किया है, वह सराहनीय है । इसलिये मैं इसका प्रबल समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप बैठें ।

श्री रामजी राम---

मान्यवर, हरिजनों के उत्पीड़न के बारे में कहा गया है ? मान्यवर, आपने विरोधी पार्टी के सम्मानित नेता को 5 मिनट दिया है इसलिये मैं दरख्वास्त करुंगा क्योंकि हरिजनों का मामला है और एत्तफाक से मैं हरिजन हूं इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्पीड़न के मामले में वित्तीय सहायता देने का प्राविधान किया गया है हत्या, अपंग करने, मकान जलाने, आदि के बारे में सहायता देने का प्राविधान किया गया है । आपका कहना है कि हरिजन इतना सस्ता हो गया है कि उसके मारने पर इतना रुपया देते हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि एक जमाना था जब उनको मारने के बाद गांव से निकाल दिया जाता था, उसका कोई पुरसा हाल नहीं था । हरिजन अपनी स्थिति बनाकर नहीं रह सकता

था । लेकिन आज तो कम से कम अगर आप उसके एक तमाचा मारते हैं तो अखबार में प्रकाशन होता है, प्रचार होता है और 323 का मुकदमा दर्ज करके मारने वाले को अपराधी घोषित किया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप आसन ग्रहण करिये ।

श्री राम जी राम—

मान्यवर, हरिजनों को कानूनी सहायता देने का प्राविधान किया गय है । निर्बल वर्ग के लोगों और हरिजनों के लिये जो लोग अपने मुकदमें नहीं लड़ पाते थे, सही तरीके के पैसे की कमी के कारण पैरवी नहीं कर पाते थे और अदालतों में मामले पेंडिग पड़े रहते थे तो हमारे कानून मन्त्री महोदय इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने उनके लिये कानूनी सहायता का प्राविधान किया है ।

श्री अधिष्ठाता-

आप आसन ग्रहण करें ।

श्री रामजी राम—

आखिर में मैं एक शेर कहना चाहता हूं । :—

कदम चूम लेती है खुद बढ़के मंजिल,
मुसाफिर अगर हिम्मत न हारे ।

*श्री अकबर हुसैन—

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे भी रावत जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ।

मैंने मा0 मन्त्री जी का बजट भाषण सुना । मा0 मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में अनेकों प्रकार से हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में, गरीब किसानों को, गरीब मजदूरों को और विकलांगों को किसी न किसी रूप में बराबर सहायता देने का प्राविधान किया है या प्रलोभन दिया है । मुझे इनकी नियत पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन इनकी नियत पर शक जरूर है । यह इसलिये है कि पिछला इतिहास बताता है कि इन्होंने जब भी कोई ऐसा निर्णय लिया है, उसको कार्यान्वित कराने में ये असफल रहे हैं और इस बार इस हद तक निरंकुश हो गये हैं कि किसी को भी सही रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं । बराबर से धन का प्राविधान किया गया है लेकिन असली बात जो हरिजन चाहता है, वह टुकड़ा नहीं चाहता, माल नहीं चाहता, वह चाहता है, उसको सामाजिक बराबरी मिले और आप उसे यह देने लिये के तैयार नहीं हैं । जैसा रावत जी बता रहे थे, ठाकुर बिरादरी के लोग मारे जायं तो 10-10 हजार रुपया मिलता है और हरिजन मारे जायं तो 5-5 हजार रु0...

*श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं जान के किसी के भी जाने का कोई सौदा नहीं है और न उसे किसी तराजू पर तौला जा सकता है । तो मेरा नम्र निवेदन है कि तथ्य जो सही हैं, वही रखें । अगर आपका इशारा है कि बेहमई काण्ड में 10-10 हजार रु0 दिया गया तो उसमें 5-5 रु0 हजार प्रति परिवार दिया गया था और देवली काण्ड में 10 हजार रु0 राज्य सरकार से और केन्द्र सरकार से 5 हजार रुपया प्रति मृतक दिया गया था ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अकबर हुसैन--

रावत जी ने एक बात कही थी, उसका प्रतिवाद शासन की तरफ से नहीं हुआ था, इसलिये मैंने कहा। मा0 मन्त्री जी कह रहे हैं, सही होगा।

मा0 मन्त्री जी कह रहे हैं, सामाजिक बराबरी की बात बताते हैं और करना चाहते हैं तो अपने दिल में झांक कर देखें कितने मन्त्रीगण ऐसे हैं, जो उन्हें गले लगाने को तैयार हैं। अम्मार साहब को छोड़कर कोई भी गले लगाने को तैयार नहीं है।

(1 बजकर 28 मिनट)

मैं आपके माध्यम से हरिजनों के ऊपर हुई ज्यादती के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। अगर आपका दिल साफ है और नियत साफ है तो मा0सदस्य रियासत हुसैन जी द्वारा उनके सम्बन्ध मे एक व्यापक नीति तैयार करने का प्रस्ताव आया था तो एक ध्वनि से आप उस प्रस्ताव को रद्द न करते। एक उदाहरण अपने जिले का देना चाहता हूं। मेरे ही कस्बे बिलारी में एक हरिजन महिला है डेजी,जिसे नौकरी देनेके बहाने वहां नगरपालिकामें अधिशासी अधिकारी, जो ठाकुर बिरादरी के हैं, उन्होंने बुलाया और उसके साथ कुकृत्य करने का प्रयास किया, जिसकी रिपोर्ट थाना बिलारी में लिखायी और उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।वह बसन्त दादा पाटिल और भी कांग्रेसी मन्त्रियों के पास पहुंची। उन्होंने भी खत लिखे कि इस पर कार्यवाही करायी जाय, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब वह नगर विकास मन्त्री जी से यू0पी0 निवास में मिली तो नगर विकास मन्त्री जी ने उसे जवाब दिया वह किस हद तक सही था यह बात वे स्वयं सोचें, उन्होंने कहा कि"तेरे साथ बलात्कार किया तो नहीं गया, सिर्फ प्रयास ही तो किया गया" यह जवाब था आपके नगर विकास मंत्री जी का। उसके लिये मैंने एक प्रश्न अल्पसूचित के रूप में दिया क्योंकि मैं इस बात को सदन में लाना चाहता था परन्तु उसे दिये हुए भी एक महीना से ऊपर हो गया परन्तु हाउस के लिये वह एजेन्डे में भी नहीं आया।

ब्लाकों में गरीब हरिजनों को सहायता देने का माननीय मन्त्री जी ने प्राविधान किया है। उसमें कितना घपला होता है, वह सब माननीय मन्त्री जी को विधायकों के जरिये से, लोगों की शिकायतों के जरिये से सब पता है। कुछ सभ्रान्त व्यक्ति ही हरिजनों के नाम से फायदा उठाते हैं। कुछ विधायकों के द्वारा और मेरेद्वारा माननीय मन्त्रीजी को इस बात की शिकायतें पहुंचाई गयी हैं परन्तु माननीय मन्त्री जी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी की नीयत और कार्यकलापों के विषय में इस सदन में विचार हो रहा है परन्तु ये क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। 1958से आज तक 4 प्रतिशत; साढ़े चार प्रतिशत, 6 प्रतिशत, यह इनकी नीयत है, यह हरिजनों के समर्थक हैं। उन्होंने जो इस बजट में प्राविधान किया होता तो उन्हीं सब बिन्दुओं को लेने की कोशिश की होती तो मैं उनका हृदय से समर्थन करता।

मान्यवर, इनके द्वारा,स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा,मान्यवर, अखबारों के जरिये और इन्हीं के विभाग के छोटे कर्मचारियों और अधिकारियों के जरिये दिन प्रति दिन सूचना प्राप्त होती है कि कुछ सभ्रान्त व्यक्तियों ने मनोरंजन का आइटम बना रखा है, यह बड़ी लज्जा की बात है। पता नहीं इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये माननीय मन्त्री जी ने कोई नीति बनाई है, इसके लिये उन्होंने अपने बजट भाषण में कुछ नहीं कहा है।

मैं माननीय मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी, यदि वास्तव में जो यह धन का प्राविधान किया गया है तो उसका वास्तव में लाभ सही व्यक्तिको पहुंचे तो आपको चाहिये कि स्कूल के बच्चों की किताबों में उसी तरह से, गरीब मजदूर, हरिजन,

किसान को सीधे-सीधे उसका फायदा पहुंचे तो आपने कम्पोनेन्ट प्लान के जरिये जो फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो बजाय उन्हें सामान देने के उसका जो लगान होता है या जो सिंचाई की सुविधा उसे दी जाती है और वह यदि हरिजन या गरीब व्यक्ति है तो उसके लिये उसे माफ कर दें, उसे मकान बनवा कर दें, खाद में छूट दें जिससे कि उसे सीधे फायदा पहुंच सके ।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं रावत जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री प्रिय दर्शी जेतली--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा ही मश्कूर हूं कि आपने मुझे हरिजन समाज कल्याण की मांगों पर बोलने का अवसर दिया ।

अभी जब हमारे विरोध पक्षके सम्मानित सदस्य बोल रहेथे और उससेपहले जब माननीय मन्त्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे, मैं दोनों को बड़े गौर से सुन रहा था सुनने के बाद एक छोटी सी कहानी याद आ गयी । एक व्यक्ति था जिसको कोई कितना ही अच्छा खाना क्यों न खिलाये वह उसमें कोई न कोई नुक्स जरूर निकाल देता था । लोग आजिज आ गये और अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंचे । उन से कहा कि एक आदमी ऐसा है जिस को कितना ही बढ़िया खाना क्यों न खिला दिया जाय वह कभी सन्तुष्ट नहीं होता । अन्नपूर्णाजी ने उस को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं बुला कर खिलाती हूं और स्वयं खाना अपने हाथ से बना कर उसे खिलाया । लेकिन उसके बाद जब उस से पूछा तो उसने कहा कि "हां" अच्छा है मगर इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिये। मान्यवर, इस बजट को, जिस तरीके से और जिन प्रोग्रामों के साथ माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है क्रान्तिकारीकदम आज तक किसीसरकार द्वारा नहीं उठाया गया था इस शोषित, पीड़ित जनता के लिये फिर भी हमारे सम्मानित सदस्य उस व्यक्ति की तरह, जिसका बयान मैंने ऊपर किया है, सन्तुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं।

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सत्ता आपके पास भी थी, आपको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इस तरफ बैठने का, रावत जी उस समय मंत्रिमण्डल में थे या नहीं, मेरा ख्याल है, थे लेकिन जिन क्रान्तिकारी कदमों की माननीय गुलाब सेहराजी ने इस विभाग को सम्हालने के बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में रह कर इस प्रदेश के अन्दर जो नई जान डाली, आज उसकी सराहना हम सबको करनी चाहिये थी और कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिये था, यही आप विरोध पक्ष का प्रायश्चित होता लेकिन उस को करने के लिये आप तैयार नहीं हैं । मान्यवर, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि वह देश, वह जाति, कभी भी आगे नहीं जा सकती जिस देश, जाति के अन्दर एक ऐसा वर्ग बड़ी तादाद में मौजूद हो जो अपने पावों पर न खड़ा हो सकता हो, अपने स्थान से न चल सकता हो, जो भूखा हो, नंगा हो, इंसानियत से बहुत दूर खड़ा हो । इसी को मान कर महात्मा गांधी ने एक नया नाम दिया था हरिजन । एक ऐसा शब्द, जो कोई भी इस धरती पर जन्मा हो, यह नहीं कह सकता है कि वह हरिजन नहीं है क्योंकि वह हरिजन नहीं है तो क्या दुर्जन है ? श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस बात को महसूस किया कि इस देश के अन्दर जब तक कोई भी एक व्यक्ति ऐसा रहेगा, जो पीड़ित हो, शोषित हो, समाज के अन्दर उसका स्थान न हो, यह देश सही माने में आगे नहीं जा सकता और उस देश में, वास्तव में समाजवाद नहीं आ सकता और इन्हीं विचार-धाराओं के तहत एक कर्मठ व्यक्ति के हाथों यह बजट प्रस्तुत हुआ है । यह सौभाग्य है इस प्रदेश और इस विभाग का कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में आया है जिसके दिल और दिमाग साफ हैं, काम करने का इरादा रखता है, जिसकी एक मंजिल है, यह भी इत्तफाक है कि वह उसी वर्ग से आया है जो शोषित और पीड़ित है और उसको मालूम है कि पीड़ा कहां है,

[श्री प्रियदर्शी जेतली--]

वर्ष कहां है । यह जानता है कि सुई कहां चुभी है और इसीलिये वह इतनी जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को निभा रहे हैं और इतनी बखूबी निभा रहे हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम है ।

मान्यवर, मैं कुछ बातें आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं । यह कि इस देश के कुछ सूबों में इसका नाम हरिजन समाज कल्याण विभाग नहीं रखा है केवल समाज कल्याण विभाग रह गया है । आज यदि कोई हरिजन सर्टीफिकेट लेता है तो उसके लिये लिखा जाता है चमार । मैं चाहता हूं कि यह संशोधन किया जाय और यह जो गंदा शब्द इसका एक अंग बन गया है इसको समाप्त किया जाय । जब तक नहीं निकाल देते तब तक हेय की भावना नहीं समाप्त कर सकेंगे । मान्यवर, यह बात निर्विवाद है कि पहला स्कूल किसी बच्चे का मां की गोदी होती है, दूसरा परिवार, तीसरा समाज है और चौथा स्कूल शिक्षा संस्था है जहां वह अध्ययन करने जाता है इसलिए मां की, कन्या की, लड़की की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर डिग्री कालेजेज हैं, वहां पर लड़कियों के लिये होस्टल खोले जायं ताकि उनके रुकने के लिये समुचित व्यवस्था हो सके क्योंकि वह दूर-दूर देहातों से आती हैं और उनको आने-जाने में असुविधा होती है इससे उन्हें सहायता मिल सकेगी । अन्तिम बात यह है कि पट्टा अभियान चल रहा है । मैं यह बात स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा कि मैं यह बात महसूस करता हूं कि यह जो पट्टा अभियान है इससे गरीबी दूर होने वाली नहीं है । यह बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए खेत इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को चरमरा रहे हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि फोर्थ क्लास इम्पलाईज का जो एप्वाइंटमेंट होता है उसमें जो भूमिहीन परिवार के लोग हैं, ऐसे वर्ग से आये हुए लोग हैं जिनके परिवार के बच्चे हाई स्कूल और इन्टर करने के बाद दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाय और वह सर्विसेज उनके लिये ही कर दी जायं । या उन परिवारों के बच्चों के बाद दूसरे लोगों को दिया जाय । आज जिसके पास खेत हैं, ट्यूबवेल हैं वही तहसील में चपरासी, अमीन, लेखपाल है, इसको समाप्त किया जाय और निर्बल तथा जरूरतमन्द लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाय ।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपके इस बजट का बहुत हृदय से समर्थन करता हूं और अपने सम्मानित सदस्यों से कहना चाहूंगा कि अब भी उनको बुद्धि आ जाय, अब भी वे चेतें और आप इस मांग का, इस बजट का समर्थन करें और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें लें । यही मान्यवर, उनका प्रायश्चित्त सही मायने में होगा ।

श्री राम सागर--

मान्यवर अधिष्ठाता महोदय--मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, आजादी के 35 वर्षों के बाद आज भी हरिजन उत्तर प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए हैं । इसका अन्दाजा इसी से लग सकता है कि एक तरफ प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनके पास पांच-पांच और चार-चार सौ बीघे भूमि है और दूसरी तरफ ऐसे हरिजन और कमजोर वर्ग के लोग हैं जिनको अपना कब्रिस्तान बनाने के लिये एक डिस्मिल भूमि नहीं है । यही सामाजिक और आर्थिक कारण है जिनके कारण हरिजनों का उत्पीड़न दिन प्रति दिन बढ़ रहा है और इस समय हरिजन का उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है । मैं कहना चाहूंगा कि देवली में जो इतना बड़ा कांड हुआ, उसका भी सामाजिक और आर्थिक कारण ही है ।

मान्यवर, देवली में मैं स्वयं गया था और वहां जाकर मैंने जो लोगों से पूछताछ की तो वहां के हरिजनों ने बतलाया कि अब स 10 साल पहले जो जमीन बांटी गयी थी, अधिकांश जमीन वहां के सवर्णों को दी गयी थी । वहां के हरिजनों को पट्टा नहीं दिया गया था । मान्यवर,

इस बात को लेकर वहां के हरिजनों ने शिकायत की तो उसकी जांच करायी गयी । मान्यवर, इन सारी चीजों के बाद वहां के अधिकारियों ने केवल नाममात्र एक दो हरिजनों को पटटा दिया और जब हरिजनों ने उस भूमि में फसल बोयी और फसल तैयार हो गयी तथा जब काटने का वक्त आया तो उसे सवर्णों ने कटवा लिया। जब वे इसकी रिपोर्ट लिखवाने थाने में गये तो उसी गांव के 14 हरिजनों को चोरी के मुकदमें में बन्द कर दिया गया। वे बराबर शिकायत करते रहे, सुरक्षा की मांग करते रहे लेकिन प्रशासन ने उनकी सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और मामला इस हद तक बढ़ गया कि वह नासूर सा हो गया। उनके बीच इतनी बड़ी खाई बन गयी कि अन्त में इतना बड़ा दर्दनाक कांड हो गया। मान्यवर, माननीय गुलाब सेहरा ने यह प्रस्ताव पेश करते हुए हरिजनों की बहुत लम्बी दुहाई दी लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आज भी जो वे बजट में हरिजनों को देने की बात कर रहे हैं, मौके पर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अपने जनपद बाराबंकी की ओर। आपने जो अनुदान दिया है वह हरिजनों तक नहीं पहुंच सका है। ब्लाक सिद्धौर में, नसीबपुर में हरिजनों को एक कालोनी है जहां 6 हरिजनों को आवास के लिये अनुदान दिया गया लेकिन एक भी हरिजन वहां नहीं है। हरिजन के नाम पर सवर्णो ने अपना मकान बनवां लिया है इसकी शिकायत मेरे जनपद के तीन विधायकों ने की थी और उसकी जांच हुई। मौके पर यह साबित हो गया कि वे हरिजन नहीं हैं और न उस गांव के ही रहने वाले हैं। जिला अधिकारी के पास रिपोर्ट भी पहुंची और यह रिपोर्ट पहुंचे हुए 6 मास से अधिक हो गये ह लेकिन वहां के जिलाधिकारी ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अनुदान बी0 डी0 ओ0 के माध्यम से दिया जाता है। बी0 डी0 ओ0, वहां का सेक्रेटरी और वहां का हरिजन अधिकारी, ये सारे लोग उस फ्राड में शामिल थे जांच से सारी चीजें सामने आ जाने के बाद भी जिला अधिकारी ने आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

मैं चाहता हूं कि चूंकि लखनऊ के निकट ही वह स्थान है, आप स्वयं जाकर उसे देख लें और जिला अधिकारी व अन्य सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध आप कार्यवाही कर दें तो इसी से आप ऐतिहासिक महापुरुष बनेंगे, एक मिसाल बनेगी कि प्रदेश में हरिजन उत्पीड़न इन्होंने दूर किया।

यही नहीं, बल्कि यह आंगनबाड़ी विकास, बाल विकास बाड़ी योजना है यह जिस ब्लाक में सबसे ज्यादा हरिजन आबादी है, वहां चल रही है, मेरे ब्लाक सिद्धौर में यह योजना चल रही है, आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को और धाती को पुष्टाहार दे रहे हैं, यह टोटल फर्जी है। कहीं भी नहीं दिया जाता है । जिस समय यह योजना चलाई गई उस समय जो पुष्टाहार दिया गया वह सड़े गले तरीके का दिया गया। एक बार दिया गया उस के बाद नहीं दिया गया। वहां अधिकारी 7–8 महीनों से नहीं है परियोजना अधिकारी। मैंने आप को चिट्ठी लिखी कि आप यहां व्यवस्था करा दीजिए जिस से आप की योजना सुचारू रूप से चल सके। आठ महीने हो गये, अब तक वहां किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई जिस के कारण यह योजना फर्जी तौर पर बनी हुई है। वहां किसी तरह का कार्य नहीं हो रहा है, कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में आप चाहे कितना ही दिखा दें, जितना लम्बा भाषण दे दें, चाहे कितनी ही बातें करिये, जब तक इस तरह की बातों को नहीं देखेंगे हरिजन आकाश का और मुंह बांये रहेगा और उसे के मुह में कुछ गिरने वाला नहीं है। अधिकारी, कर्मचारी ही इससे लाभान्वित होंगे। इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। यह सब गड़बड़ियां खास तौर से आप नहीं देख पा रहे हैं। रावत जी ने इस बात पर विशेषकर ध्यान दिया है। इसलिये मैं रावत जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इन सब मामलों को देखें जिससे हरिजनों का कल्याण हो।

*डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय---

माननीय अधिष्ठाता जी, जो बजट हमारे मंत्री जी ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

आज का बजट जो निर्बल, हरिजन, पीड़ित और शोषित का बजट है, जिसको हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी ने भी गले से लगाया था और जिन की बस्तियों में जाकर के झाड़ लगाया था, ऐसे बजट का समर्थन करते हुये मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूं।

हमारे माननीय मंत्री, श्री गुलाब सेहरा जिनके साथ मैंने सन् 1977 से कार्य किया है, वाकई में गरीब और शोषित वर्ग के प्रति बहुत ही ख्याल रखते आये हैं। उन्होंने जो 82--93 का बजट अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा अन्य वरिष्ठ मंत्रियों की राय से आज सदन में रखा है, उस में हमारे प्रदेश की करोड़ों जनता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और गरीब हरिजन पूरा-पूरा भरोसा रखता है और आशा रखता है कि इस बजट से हमारे प्रान्त की गरीबी का समाधान होने की संभावना है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश की सरकार ने आजादी के बाद से जो बीड़ा उठाया है, उसका मतलब है गरीबी को मिटाना, हरिजनों को उठाना। हमारे देश की सरकार कोई भी रही हो, चाहे पंडित जवाहर लाल नहरू की हो, चाहे बाबा गोविन्द बल्लभ पंत की, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की और चन्द्रभानु गुप्त की और चाहे कमला पति त्रिपाठी, सम्पूर्णानन्द की रही हो और चाहे इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की हो, इस दल की सरकार ने देश को बनाया, दूसरे किसी दल ने यह काम नहीं किया। एक बार हो हल्ला करने से हमारी जनता ने विरोधियों को सरकार दे दी थी। ढाई साल के अन्दर जो दुर्गति देश की उन्होंने की, जो दिशाहीन देश को किया, आज भी हम सब भारत-वासियों से वह छिपा नहीं है।

मेरा दावा है कि जितनी कुरीतियां हमारे देश में अंकुरित हैं वे इसी चार-पांच साल के अन्दर हुई हैं, इस वास्तविकता को सभी जानते हैं। चाहे वह भ्रष्टाचार की हो, बलात्कार की हो, हरिजनों पर अत्याचार की हों, सब जानते हैं कि इनका जन्म इन्हीं चार-पांच सालों में हुआ है और इस अंकुर को तोड़ने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। जहां हमारी सरकार ने 28/30 सालों तक शासन में रहते हुये कार्य का सम्पादन किया है उसके कोई इस तरह की कुरीतियां नहीं हुई हैं वहां इन 4/5 सालों की कुरीतियों से निपटने के लिये वह पूरी तरह से सक्षम है और वह अपने देश को कल्याणकारी मार्ग पर प्रशस्त करती रहेगी। हमारे देश की नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह देश बना है और बनेंगा। मैं अपने विरोधी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हर कार्य में, चाहे वह अच्छा ही क्यों न हो, उसमें दखल देना आपने अपना फर्ज समझ लिया है, इसको आप न करें। आप समालोचना करें। ऐसे कार्यों में आप सरकार की सहायता दें कि जिसके अनुसार गरीबों को, हरिजनों को, उनकी कार्य प्रणाली को और उनके हित के लिये जो सहायता दी जा रही है उसको पूरी तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं, इसका आप ध्यान रखें।

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मंत्री जी ने जो पुस्तिका दी है जिसमें निर्बलों को, अंधों को, बहरों को और विकलांगों को सहायता देने के बारे में कहा गया है, उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि उसकी सराहना प्रदेश के सभी बुद्धिजीवियों ने की है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। वह सुझाव मंत्री जी को कुछ अजीब सा लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप विकलांगों को नौकरी में न रखें। उनको आप कोई व्यवसाय दीजिये। नौकरी आप उनके दीजिये जो हट्टे-कट्टे हों, नौजवान हों, बेकार घूमते हों, चोरी की तलाश के लिये मूक बना रहे हों। लेकिन विकलांगों को बहुत तकलीफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होती है, उनको आप कोई व्यवसाय है। मैं समझता हूं मंत्री जी इस सुझाव पर ध्यान देंगे एक निवेदन अपने जनपद के बारे में करना चाहता हूं कि हमारे जनपद में परमादपुर में सारी की सारी जो 18 हरिजन बस्तियां थीं वह जलकर भस्म हो गई। 10 महीने हो गये हैं, डी0एम0 को हमने लिखा है, ए0डी0एम को लिखा, प्रार्थना-पत्र दिये लेकिन हमारे जो विगत हरिजन कल्याण मंत्री थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि हमारे जनपद में विधान सभा क्षेत्र बरसटी में जो 18 हरिजन बस्ती थीं, उनके सारे खलिहान और खेत नष्ट हो गये हैं, उनके ऊपर आप विचार करेंगे। अन्त में मैं चाहूंगा कि हमारे एक मित्र ने कहा कि इस विभाग का नाम "हरिजन कल्याण समाज" रखा जाय। मैं चाहता हूं कि इसमें संशोधन कर दिया जाय और इस विभाग का नाम "निर्बल कल्याण समाज" रखा जाय जिससे कि इन पिछड़े और हरिजन वर्ग के लोगों का उत्थान हो सके। मान्यवर, गाजीपुर जिले में मैंने देखा, मैं वहां गया था, वहां 212 विधान सभा क्षेत्र हरिजनों के हैं एक एम0पी0 का क्षेत्र है। इसलिये वहां विशेष ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ हमारे क्रांतिकारी नेता, श्री गुलाब सेहरा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह प्रशंसनीय है, सराहनीय है मैं उनके बजट का स्वागत करता हूं और हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में दोहरी नीति अपनायी गई है कि जो पहले पी0 डब्लू0 डी0 मंत्री थे, उनसे छीना गया और अब महारानी दोहरे के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हरिजनों के गीत गाये जा रहे हैं 34 साल आपने राज किया है, छेदालाल जी से यह विभाग छीना है.....(व्यवधान)।

श्री फखरे आलम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह हरिजन कल्याण का बजट एक हरिजन मंत्री ने रखा है जो रिजर्वेशन में मंत्री बने हैं और वह मंत्री भी रिजर्वेशन के साथ बनाये गये। बड़ी मुश्किल से वे मंत्री बन पाये लिहाजा--

बेजान बोलता है मसीहा के हाथ में।

माननीय गुलाब सेहरा वही कहेंगे जो उनसे कहने के लिये कहा जायेगा अगर ऐसा नहीं किया तो वही हाल होगा जो माननीय जगदीश प्रसाद जी का हुआ। इसलिये गुलाब सेहरा साहब भी डरते हैं।

मनसूर का किस्सा जब से सुना, हर बात भी कहते डरता हूं। तो जो बजट भाषण उन्होंने दिया उसमें तारीफ के पुल बांधे। पुराने जमाने में राजाओं के दरबार में, दरबारी रखे जाते थे जो खामख्वांह पर तारीफ करते रहते थे यह लोग नवाबों के बरदारी हुआ करते थे तो इसी तरह राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के दरबार में भी उसी तरह के लोग मौजूद हैं जो उनकी तारीफ करते रहते हैं।

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, हमारे विरोधी सदस्यों को कुछ मुगालता है विभागों के संबंध में तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या न्याय विभाग से भी बड़ा और महत्वपूर्ण कोई और विभाग है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गौरी शंकर भैय्या--

मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि आपको मुख्य मंत्री बनना चाहिये था क्योंकि आप नेता विरोधी दल थे इसलिए बाद में मंत्री बनाया ।

श्री ऊदल--

फखरे आलम साहब को शायद इस बात की जानकारी होगी लेकिन याद न हो। हमारे देश में और प्रदेश में भी एक परम्परा रही है कि बिना विभाग के मंत्री भी होते रहे हैं, उन के पास कम से कम न्याय विभाग तो है । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सुधार लें ।

श्री फखरे आलम--

हमारे माननीय जगदीश प्रसाद जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, इसे देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं तो समझता था कि वह यही कहेंगे--

तू ही नांदा चंद कलियों पर कनाअत कर गया,
वर्ना गुलसन में इलाजे तंगिये दामा भी है ।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा आपके जरिये से कि जिन लोगों को हरिजन कहा जाता है, जिनको अछूत कहा जाता है, जिनकी तादात आबादी की 7 फीसदी है इस मुल्क में आज वह किस जगह पर हैं, उनको एक भुलभुलैये में डाल दिया गया है चन्द खिलौने उनके सामने रख दिये गये हैं जिनसे वह तसल्ली हासिल करते रहे । यह देखने की चीज है कि आज उत्तर प्रदेश में कितने हरिजन डी0 एम0 हैं, कितने डी0सी0 हैं, मेरे पास सब आंकड़े हैं लेकिन समय कम है मैं उनको नहीं रखना चाहता । इसी प्रकार हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में है लेकिन उसमें एक भी हरिजन जज नहीं है तो क्या कोई इस काबिल नहीं है कि हाईकोर्ट का जज हो सके ? चूंकि सेहरा साहब और जगदीश प्रसाद जी मंत्री बन गये और वे इस बात से खुश हैं और पान खा रहे हैं ।

एक सदस्य--

विरोधीदल का नेता भी हरिजन होना चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह--

यह बैठे हैं देहलवी साहब ।

श्री फखरे आलम--

एक डिस्ट्रिक्ट जज भी हरिजन नहीं है, मुसलमान भी नहीं है लेकिन मैं उसका शिकवा नहीं करता हूं । लेकिन हरिजन कोई जिला जज नहीं है । क्यों नहीं है ? उसकी वजह यह है कि उन पर आज एतवार नहीं किया जा रहा है, उनको इस काबिल नहीं समझा जा रहा है कि उस के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन या जूडिशियरी दी जाये और एक्जीक्यूटव की बागडोर उनको सौंप दी जाए । कल मैं कहना चाहता था लेकिन मुझे कहने का मौका नहीं मिला कि क्या हश्र हुआ हमारे माननीय सदस्या महारानी दोहरे के साथ । मैं जानना चाहता हूं कि उनके साथ क्या वाकिया हुआ है, वह हमें बताया जाय । मैं जानना चाहता हूं कि सदन को बताया जाए कि उनके साथ क्या ज्यादती की गयी है, जो उनको इतनी शिकायत है । आज अखबारों में उनकी तमाम फोटो आई हैं और खबरें छपी हैं । यह उनके साथ क्यों किया गया है ? यह इसलिए किया गया है कि हरिजन को जलील समझा जाता है । अभी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक ने कहा था कि हरिजन शब्द को ही समाप्त कर दिया जाय, तो मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या जेतली साहब अपने को हरिजन कहलाने को तैयार हैं ? अगर कोई प्रियदर्शी जेतली साहब को हरिजन कह देगा, तो वह उससे लड़ने को तैयार हो जायेंगे और कहेंगे कि क्या मुझे जगदीश प्रसाद या गुलाब सेहरा समझ लिया है ? यह आपकी फीलिंग है और यही मंत्रीजी की भी है : लेकिन उनकी जुबान बन्द है वह यह बात बाहर कहीं कह नहीं सकते हैं । एजूकेशन में भी यह लोग बहुत ही पिछड़े हुये हैं । सदियों से यह इसमें पिछड़े हुये हैं इतने पिछड़े हुये हैं कि यह 100 वर्ष में भी इस तरह से दूसरों की बराबरी पर नहीं आ सकते हैं । जो लोग 5-7 सौ वर्षों से पिछड़े हुये हैं, उनके उत्थान के लिये सरकार को विशेष प्रयास और कार्य करना चाहिये , जो पट्टे हरिजनों को किये गये हैं, उनको उस पर कब्जा नहीं मिल रहा है ।

मै मान्यवर, आपके माध्यम से बदायूं जिले की और खासतौर से अपने क्षेत्र उसैहत की बात बताना चाहता हूं, वहां पर निर्बल और हरिजन लोगों को पट्टे दिये गये हैं, वह केवल कागज पर दिये गये हैं , वास्तव में पट्टे कहीं नहीं दिये गये हैं । इनका सब काम कागजी है। पता नहीं कि यह कागज की इनकी नाव कब तक चलती रहेगी और इन लोगों का शोषण होता रहेगा । इस बात के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बजट पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । मैं हरिजन कल्याण मंत्री, श्री गुलाब सेहरा द्वारा रखे गये, इस खूबसूरत बजट का स्वागत करता हूं, जिससे लगता है कि यह बड़ी सूझ-बूझ से और सोच समझ कर रखा गया है । इसको देखने से यह भी मालूम पड़ता है कि जिन्होंने भी इसको तैयार किया है उनका हरिजनों के प्रति लगाव है और जो भी चीज इसमें रखी गयी है, उससे उनका अवश्य ही लाभ होगा । पहले इन्दिरा गांधी के शासन में 24 सूत्री कार्य क्रम के अन्तर्गत हरिजनों के कल्याण का जो कार्य तीन वर्ष पूर्व बड़ी तेजी के साथ चल रहा था, वह पिछले 3 वर्ष में जनता शासन में पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुका था, लुप्त हो चुका था (इस समय 2 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हुकम सिंह पीठासीन हुए ।) और हरिजनों की सारी जड़ खोद दी गयी थी, उसी कार्य को इन्दिरा जी के नेतृत्व में पुनः पूरे जोर शोर से शुरू किया गया है । इस बजट से और आज के कार्यक्रम से लगता है कि पुनः हरिजनों के लिये और कमजोर वर्गों के लिये यहां पर विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया है । इसके अन्तर्गत बालविकास परियोजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, आश्रम पद्धति विद्यालय, वृद्धावस्था पेंशन, भिक्षुक केन्द्र, वोकेशनल विद्यालय, अनाथालय, आदिवासी विकास कार्य तथा बाल विधवा विवाह आदि जो आपके कार्यक्रम और संस्थायें हैं जो आपने बनाई हैं, इनसे वास्तव में इस वर्ग के लोगों को लाभ होगा । 24 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, पूज्य महात्मा गांधी द्वारा अपेक्षित तमाम सुविधायें दी गयी हैं, उस के लिये हमें किसी अन्य से आशा नहीं थी और न ही कि कोई हमें यह सुविधायें दे सकता है । जो हमारी कांग्रेस सरकार ने उपलब्ध कराई हैं । विपक्ष यह जरूर कर सकता है, उसके मरने पर केवल वह आंसू बहाता है, लेकिन उनकी जो स्थानीय समस्यायें हैं, उन पर आंसू बहायें, योगदान कर सकें तो उनकी तमाम समस्यायें दूर हो सकती हैं । आज चाहिए यह था विपक्ष को कि हरिजनों के लिये जो इतना अच्छा बजट आया है, उसका वह पूरा समर्थन करता और जो सारे विभागों से महत्वपूर्ण विभाग है उसके लिये कटौती की मांग न कर के और अधिक बजट देने की मांग करता । इस पर जोर न देकर विपक्ष के तमाम नेताओं को देखता हूं कि उनका हरिजनों से कितना लगाव है उनका हारजनों के प्रति आंसू बहा कर अखबारों के मध्यम से केवल प्रचार से लगाव है ।

[श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--]

माननीय मंत्री जी ने जो चीजें इस बजट में जोड़ी हैं, उनके लिये मैं उनको बधाई देता हूं शिक्षा की योजना में जो छात्रवृत्ति के लिये धनराशि बढ़ाई है उसके लिये वे विशेष बधाई के पात्र हैं। आर्थिक योजना जैसे आपने वित्त निगम की स्थापना की है उससे बड़ी बड़ी एजेन्सियों आदि का लाभ केवल बड़े-बड़े व्यापारी और उच्च वग ही उठाते आ रहे हैं। इसके माध्यम से फाइनेन्स करके हरिजनों को भी बड़ी बड़ी शासकीय ऐजेन्सियों में प्राथमिकता दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। लेकिन हरिजनों के पास इतनी पूंजी नहीं होती है जिससे वे इन एजेन्सियों को ले सकें। जो हमारे हरिजन भाई बेरोजगार हैं, उनके लिये शासन की ओर से ऐसी एजन्सियों के लिये प्राथमिकता दिलावें ताकि बड़े बड़े व्यापार में भी वे शामिल हो सकें, जिस प्रकार से आपने इस बजट में एक हरिजन सेल की स्थापना की है जिससे हरिजनों को बड़ा योगदान मिलगा। आपने जिला स्तर पर डिप्टी डायरेक्टर्स को जांच के लिये मुकर्रर किया है लकिन उनके द्वारा कोई निरीक्षण हीं होता है। जो हरिजन संस्थायें हैं भी उनमें भी सवर्ण लोगों का आधिपत्य है। उनके ही कर्मचारी हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि ऐसी संस्थाओं में हरिजनों का जो कोटा है उसको पूरा किया जाय। जिला स्तर के डिप्टी डाइरेक्टर्स के पदों को जो पूर्णतः निष्क्रिय हैं, समाप्त कर इस पर होने वाले भारी वित्तीय व्यय को बचाया जाना चाहिये।

मान्यवर, इलाहाबाद में एक हरिजन संस्था जिसके बारे में विपक्ष के नेता भी कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने 35 वर्षों में क्या किया, मैं कहता हूं कि 3 वर्षों के शासन काल में ही सब कुछ बिगाड़ दिया है। इसका उदाहरण मैं इलाहाबाद के ईश्वर शरण आश्रम का उदाहरण देकर कहता हूं। महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुरूप एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में करोड़ों रुपयों की लागत से यह देश में एक मात्र ऐसी हरिजन संस्था है जिससे पूरे भारत के हरिजनों का उत्थान होता रहा है जिसे 3 वर्ष की अवधि में उस आश्रम को जनता शासन में बिल्कुल ही लूट खसोट लिया गया उसे अधिग्रहण कर जांच कराई जाय कि उसको जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया न कि कांग्रेस की सरकार ने।

अन्त में मैं, पुनः माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जो 3 वर्ष की बिगड़ी हुयी स्थिति थी उसको बजट में लाकर संभाला है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलन का अवसर दिया। माननीय रावत जी ने जो इस पर कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, यहां पर मेरो जो अनुभूति है, अन्य माननीय सदस्यो को नहीं अनुभूति होगी। सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों की कैसी मजबूरी है। इसके सम्बन्ध में एक शेर अर्ज करता हूं :

न पूछो क्या गुजरती है दिले खुद्दार पर अक्सर
जब किसी ना मेहरबा को मेहरवां कहना ही पड़ता है,
हमारे सामने जिसने बहारे अंजुमन लूटी,
उसी को अब फरोगे अन्जुमन कहना ही पड़ता है,
यह दुनिया है यहां हर काम होता है करीने से
यहां पत्थर को भी लाले गिरां कहना ही पड़ता है।

तो आपकी मजबूरी है, वह आपको मुबारक हो लेकिन जो मैं अनुभव करता हूं, उसको आपके माध्यम से सदन तक पहुंचाना चाहता हूं। यहां पर हरिजन अनुदान पर चर्चा

हो रही है । समाज के जन प्रतिनिधियों को कितनी रुचि उनमे है, यह इससे ही समझा जा सकता है कि कितने माननीय सदस्य इस सदन में उपस्थित है ।

इसको यदि अन्यथा न समझे, तो सवाल यह है कि इसी तरह का यह प्रतीक है कि हरिजन समाज और हरिजनों की जो समस्यायें ह, उनमें लोगों की कितनी रुचि है । यह इस सदन की उपस्थिति स ही पता चल जाता है । मैं अपन दूसरे सदस्यगण जो अनुपस्थित हैं, उनके प्रति मैं कोई अन्यथा बात नहीं कहना चाहता हूं । यहां पर मैं दो ही तीन चीजों से अपन को सम्बद्ध रखूंगा, क्योंकि समझ रहा हूं कि 5 मिनट के बाद लाल बत्ती दिखा देंगे ।

मान्यवर, 10 मिनट मुझे दे दिया जाय और लाल बत्ती ने दिखायें, मे फिर जल्दी नहीं बोलूंगा । मान्यवर, इस समाज का जो सबस बड़ा कलंक है, वह है आर्थिक विषमता । मान्यवर, गरीब आदमी चाहे कितना गरीब हो जब गरीबी की मार सक सामन होती है, तो उसके अन्दर कम्प्लक्स पैदा होता है और यह आर्थिक विषमता आज की दी हुई चीज नहीं है । श्रीमन्, जब जमीन बंटी होगी, सदियों पूर्व, जब वह संविधान रहा होगा, मान्यवर, मैं उस संविधान का नाम नहीं लूंगा । लेकिन उस संविधान के अनुच्छद का उल्लेख अवश्य कर रहा हूं । श्रीमन् उसमें लिखा था--"शक्तिनापि च शूद्रण न कार्यो धन संचय: ।" श्रीमन्, पूरा श्लोक कहने की आवश्यकता नहीं है । अर्थात् उसका आशय है कि शूद्र को धन कमाने की शक्ति होते हुए भी, उसको धन कमाने नहीं दना चाहिये । यदि ऊंची जाति के कर्मों को कर के धन कमा ल, तो राजा को परामर्श दिया जाता है कि वह सब धन छीन कर उसे फौरन देश से बाहर निकाल दे । यदि वह उपदेश कर, तो उसक मुंह में 10 अंगुल की कील लाल करके गाड़ दी जाय और यदि वह धर्मशास्त्र सुन, तो उसक कान में पिघले हुए शीशे और पिघली हुई लाख भरवा दी जाय तो श्रीमन्, अगर वर्तमान संविधान पूज्य बाबा साहब, डा0 अम्बेदकर क हाथों म न आया होता, तो सदियों-सदियों तक इस देश की धरती पर वही संविधान यहां पर चलता रहता । तो श्रीमन्, वह पूज्य बाबा साहब अम्बेदकर का संविधान लिखित में तो आ गया, लेकिन समाज में रहने वाले लोगों के मस्तिष्क में पुरान संविधान के संस्कार वह ब्लड में घुस गय हैं, वह खून में उनके संस्कार घुस गये हैं ।

मान्यवर वह, जमीन जो उस समय नहीं बंटी थी, तो वह एक समाज को नहीं दी गयी । निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि यदि आप यह घोषणा करें कि जो सदियों तक जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, हम पांच , दस, पन्द्रह का परिवार बनाकर उसका फिर से बंटवारा करा देंगे । आप यह घोषणा करें कि जो आदमी नौकरी में है, उसको जमीन नहीं मिलेगी । एक आदमी आई0ए0एस0 अधिकारी हो, उसके मां-बाप के नाम 500–1000 बीघा जमीन पड़ी हो, यहां तक कि उसके कुत्ते और बिल्ली के नाम सैकड़ों एकड़ फार्म पड़े हुए हों, लेकिन मान्यवर, आपने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है और न आपकी कोई ऐसी नीति ही है कि आप जमीन बंटवाने जा रहे हैं ! पूज्य बाबा साहब, डा0 अम्बेदकर और पूज्य राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी का जो सन्दर्भ था, उसका स्मरण मैं दिलाना चाहता हूं । 31–32 का जो पूना पैक्ट हुआ था, क्या यह समाज उसी के अनुरूप चल रहा है ? क्या उसमें यह लिखा था कि आप गांव के एक जाति को जिंदा जला देंगे ? मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि जो गरीब समाज से आते हैं, उसकी अनुभूति आपको होनी चाहिये । दिसम्बर और जनवरी के समय में, ऐसे ठंडे समय में वह नहरों और नालियों में कूद कर रात में काम करता है । सांवन-भादों की रात में वह कंधे पर फावड़ा रख कर काम करता है, उसके बाद उसको दो मन मटर और मोटा अनाज मिलता है । क्या यह सच नहीं है कि यही गरीब समाज के लोग हैं ? श्रीमन्, पूर्वी जिलों में हरिजन लोग चूहों के बिलों में पानी डालते हैं । दूसरी तरफ बिलों से चूहे निकलते हैं और उसको हरिजन लोग झाड़ू से मारकर खाते हैं ।

[श्री गोरी शंकर एडवोकेट–]

मान्यवर, पूर्वी जिलों में आज हरिजनों को क्या वही तालाब का पानी जिसको जानवर पीता है नहीं पीना पड़ता है ? सिर्फ फर्क इतना है कि जानवर सीधा मुंह लगाकर उस पानी को पी सकता है लेकिन इन्सान उसको घड़े में भरकर ले जाता है और अपने घर में कपड़े से छान कर पीता है । जब आप हरिजनों को समान हवा, समान जल नहीं दे पा रहे है तो दूसरी चीजों की क्या बात की जाय । यदि सही माने में महात्मा गांधी और पूज्य बाबा साहब, डा0 अम्बेदकर की आत्मा को शान्ति प्रदान करनी है तो मैं दस्तबस्ता आरजू करता हूं कि आप इसको दलगत मुद्द. न बनाये और समान रुप से जमीन का बंटवारा कर दीजिये और 18 प्रतिशत का आरक्षण आप कर दें। अगर आप ऐसा किये होते तो हम कहते कि आपने क्रान्तिकारी कदम उठाया है । 33–34 वर्षों में मान्यवर, आज क्लास वन म 18 प्रतिशत के आरक्षण के स्थान पर केवल 3 प्रतिशत है बल्कि उससे भी कम है, क्लास 2 में 5 प्रतिशत से कम है क्लास थ्री में 8 प्रतिशत से कम क्लास 4 में 13 प्रतिशत से कम है ।

मान्यवर,शायद आप इस सम्बन्ध में कह सकते हैं कि योग्य व्यक्ति नहीं मिले । लेकिन मैं जाना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से क्या पानी पिलाने और झाड़ लगाने या पोछा लगाने के लिये भी किसी काबिलियत की जरूरत होती है जो क्लास 4 में प्रतिशत पूरा नहीं किया जा सकता ? हरिजनों की यह हालत है मैं हकीकत बयान कर रहा हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय सफाई मजदूरों का जो हेड होता है वह दूसरी जात का होता है । यह इस बात को मुनासिब नहीं समझते हैं सफाई मजदूरों का हेड उनमे से हो । उनका मुखिया ही हेड जमादार हो जाय । मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । इससे पूर्व डी0 एम0 और एस0 पी0 15, 12 थे कितना आपने आगे कदम इसमें उठाया है ? हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में श्रीमन् आज हरिजन का उत्पीड़न समाज की सामाजिक विषमता के आधार पर चल रहा है । सदियों से चलता आ रहा है आज भी चल रहा है । वह पुराना संविधान जो खून में घुसा है।

"मार्जार न कुलो हत्या चाषं मण्डीवमेव च
श्लाघो गोधूश्च बृत्या हूतं करेत् ।।

इसका तात्पर्य यह है कि शूद्रो की हत्या करने पर उतना हीपाप होता है जितना चूहा चिड़िया उल्लू और गधा मारने पर होता है । मान्यवर, अगर इस दिशा में कोई क्रान्तिकारी कदम माननीय मंत्री जी उठाते तो प्रशंसा की जाती लेकिन इन्होंने कोई ऐसा कदम न उठाया । आज इस प्रदेश की जनता अपने को उत्पीड़ित महसूस कर रही है । मैं कहना चाहता हूं वह दिन दूर नहीं जब उस समाज की यह हुंकार भरी आवाज आपके पास पहुंचेगी ।

"लग रहा है फिर कोई लहर आने को है,
चाहे साढ़ूपुर काण्ड हो या देवली हो ।
लग रहा है फिर कोई लहर आने को है,
इस शहर के बाद भी कोई शहर आने को है,
रक्त खोरों पढ़ सको तो पढ़ लो अपना मर्सिया,
क नये विद्रोह की कोई खबर आने को है ।

के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको पुनः धन्यवाद देता

*श्री माधव प्रसाद––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं हरिजन समाज कल्याण मंत्रीजी ने जो बजट रखा है, उसका समर्थन करता हूं और माननीय सदस्य, सन्त बक्स रावत जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं । श्रीमन् आज उस वर्ग का अनुदान पेश हुआ है जो सदियों से उत्पीड़ित और सताया तथा कुचला गया है । श्रीमन्, 1947 में हरिजनों को जो आरक्षण सुविधा दी गयी थी वह न के बराबर थी और उसके बाद अंग्रेजों ने 10 प्रतिशत का आरक्षण कोटा किया। श्रीमन् उसके बाद भारतीय संविधान में हरिजनों को जो आरक्षण की सुविधा दी गई वह धारा 154 के अनुच्छेद 16 और 335 के अन्तर्गत दी गई है और उसी के मुताबिक जो समस्यायें हमारे हरिजनों की थीं स्वतंत्रता के बाद । जबसे हमारी सरकार कांग्रेस की आयी उसका पालन किया। किन्तु मैं मा0मंत्री जी से जरूर निवेदन करूंगा और एक सुझाव दूंगा कि जो प्रदेश में, जैसा अभी हमारे साथी बोल रहे थे, 18 प्रतिशत कोटा पूरा नहीं किया गया, इसकी यद्यपि हमारे मुख्य मंत्री ने पिछले सत्र में यहां कहा था कि 10 प्रतिशत जब तक कोटा हरिजनों का पूरा नहीं हो जायेगा तब तक उनके स्थान खाली रखे जायेंगे । इसलिये निवेदन करुंगा कि जो विभाग प्रदेश में है उनमें कम से कम एक उपसचिव रखा जाय और उसके मातहत यह कार्य पूरा करने के लिये कि 18 प्रतिशत इतने समय में पूरा कर दिया जाय और जिस अधिकारी के अन्तर्गत 18 प्रतिशत कोटा पूरा न किया जाय उस अधिकारी की या तो प्रोन्नति रोक दी जाय अथवा उसके साथ कड़ाई का बरताव किया जाय और जो अधिकारी पूरा करते हैं, उसको अच्छा प्रमाण-पत्र और चरित्र पंजिका ठीक की जाय ।

मान्यवर, स्वर्गीय राधा कृष्णन की अध्यक्षता में 1959 में एक समिति बनी थी जिसमें कहा गया था कि हरिजनों के जो चतुर्थ श्रेणी के कोटे हैं वह 45 प्रतिशत रखे जांय और तृतीय श्रेणी कोटे में 50 प्रतिशत रखे जांय और जब तक यह कोटे पूरे न किये जांय तब तक यह कोटे लगातार बने रहेंगे। इसलिये मैं निवेदन करुंगा कि हमारा जो विपक्ष दल हमेशा कहा करता है, उसके अनुसार इस कार्य को आप अपने स्तर से मंत्री जी करायें ।

मान्यवर, जो हरिजनों के लिये छात्रवृत्ति के लिये पहले 500 रुपये आय का प्राविधान था उसको आपने अब बढ़ाकर 750 और एक हजार रुपये तक आय वाले अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्राविधान किया है तो इसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो यह छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें आपने पास बुकें बनवा दिया किन्तु हमारे यहां 5,36,000 पास बुकें गायब हो गयी हैं जिससे साकेत महा-विद्यालय के प्रिंसिपल जेल चले गये हैं । इसलिये प्रत्येक प्राइवेट संस्था में हरिजन कल्याण विभाग की तरफ से एक लिपिक की नियुक्ति की जाय जो इस कार्य को देखे ।

(2 बजकर 28 मिनट)

मान्यवर, तीसरा निवेदन है कि जो 29 दिसम्बर, 1976 को आकाशवाणी से हरिजनों को नौकरियों के संबंध में जानकारी देने के लिये देहातों में कि यहां पर यह स्थान रिक्त हैं, उसे आप अपने स्तर से कड़ाई से लागू करें । महाराष्ट्र में जिस तरह से एक सेल बनायी गयी है, उसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हरिजनों के लिये आप अपने विभाग में एक सेल बनायें जो प्रत्येक माह हर विभाग से यह जानकारी करे कि हरिजनों के कोटे के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद--]

मान्यवर, चौथा सुझाव है कि मेहतर, बाल्मीकि के बच्चों कि सबसे नीच जाना जाता है और मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में ही नहीं उ0 प्र0 में और सारे प्रदेशों में सबसे अच्छा काम इन्हीं बाल्मीकियों का है, इसलिये उनके बच्चों की पढ़ाई के लिये उनके अभिभावकों को कम से कम 150 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाय जिस तरह से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में दिया जाता है ।

पांचवां श्रीमन्, आपसे निवेदन है कि टाउन एरिया और नगरपालिका में जो प्राइमरी स्कूल खुल जाते हैं वे अच्छी जगह पर खोल दिये जाते हैं लेकिन जहां पर बाल्मीकि भाई बसते हैं वहां पर नहीं खोले जाते हैं। मेरा कहना है कि नगरपालिका और टाउन एरियाज के स्कूल इनकी बस्तियों में खोले जायं। जिस प्रकार से अन्य प्रदेश जैसे आन्ध्र प्रदेश में नगरपालिका और महापालिकाओं की एक प्रतिशत आमदनी अनुसूचित जातियों पर लगायी जाती है मेरा आपसे निवेदन है कि वह एक प्रतिशत यहां पर भी हरिजनों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और रहन-सहन के लिये दिया जाय। एक कुछ अपने चाचा रियासत जी विपक्ष से कुछ बोले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि परसों इन्होंने कहा था कि मुरादाबाद में सूअर बहुत घूमते हैं और उनका गोश्त हर जगह बिकता है। हरिजन के लिये सूअर पालन, बकरी पालन, भैंस पालन के लिये आई0आर0डी0 में, आप जब सत्ता में थे तो देते थे। आपने यह कहा कि सूअर का गोश्त बिकना बन्द किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि संविधान की धारा 335 और 16 (4) में सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है। संविधान की धाराओं को तो देखिए।

(व्यवधान)

श्रीमन्, आपने कम्पोनेन्ट प्लान चलाया है। कम्पोनेन्ट प्लान में चाहे वह रोजगार योजना हो, चाहे नगर ग्राम विकास योजना हो, चाहे हरिजनों को कुछ दिलाने की बात हो, चाहे कुटीर उद्योगों की बात हो लेकिन मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं आपका 54 करोड़ रु0 का जो बजट है, कम्पोनेन्ट योजना में भी आप बजट लाये हैं, केन्द्र सरकार ने भी दिया है तो कम्पोनेन्ट योजना चलाने के लिये हरिजन कल्याण विभाग से प्रत्येक जिलों में बैंक की स्थापना करायें तब हरिजन कम्पोनेन्ट प्लान चल सकता है और लागू हो सकता है अन्यथा जो योजना चालू की गयी है वह दूसरे जो बैंक हैं जिनकी सबसिडी जमा है, वे कर्जा देने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि आप अपने इस विभाग की तरफ से प्रत्येक जिले में एक बैंक की स्थापना करें।

हरिजनों के लिये आपने जो समाज कल्याण विभाग की ओर से किया है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपके यहां यह पुस्तिका छपी है, आपको, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। प्रथम तो आपने उन समाज कल्याणकारी संस्थाओं का नाम दिया है लेकिन मैं आपको इसलिये बधाई देना चाहता हूं कि आपने 16 की कुछ जांच करायी है इसमें जो सैकड़ों संस्थायें हैं फर्जी हैं, हरिजन नहीं बल्कि सवर्ण लोग अपने नाम से रजिस्टर करा कर करोड़ों रुपया हरिजनों का खाये जा रहे हैं। आप अपने विभाग में ऐसा गुप्तचर सेल बनायें जिससे उन संस्थाओं की जांच की जा सके। अब मैं अपने जिले की बात करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री माधव प्रसाद--

बस मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं।

एक ही व्यक्ति है कृपा शंकर तिवारी। इसके नाम से 4 संस्थायें हैं जो कि फर्जी हैं और इसने 13,879 रु0, 12,311 रु0 और 7,764 रु0 लिया है।

तो इस तरह से मान्यवर, एक व्यक्ति के नाम से चार संस्थायें चल रही हैं और वे फर्जी । यदि आप हरिजनों की सुरक्षा करना चाहते हैं तो आप उसकी रिकवरी करायें।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा। हरिजनों को बसाने के लिये जो आप जमीन देते हैं और उसका मुकदमा 198 क्लास (2) के अन्तर्गत चलता है तो उसके लिये आप अपने विभाग द्वारा कोई ऐसी कार्यवाही कीजिये कि हरिजनों को गारन्टी हो कि वे मुकदमें आपके विभाग द्वारा लड़े जायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और रावत साहब के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री विद्यासागर नौटियाल––

अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आज आपने मुझे इस हरिजन तथा समाज कल्याण के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जब मंत्री जी बजट पर भाषण दे रहे थे तो मैं लगातार उनकी ओर देखता ही जा रहा था और साथ ही साथ सोच भी रहा था कि ये गुलाब सेहरा हैं कि गुलाब चहरा हैं। मान्यवर, मुझे गालिब का एक शेर याद आता है जिसकी एक लाइन तो मुझे याद है वो मैं सुना रहा हूं परन्तु उसकी दूसरी लाइन क्या है दूसरा मिसरा क्या है वह शायद कोई माननीय अम्मार रिजवी साहब मुझे बता देंगे कि "ये परी चेहरा लोग कैसे हैं ?"

श्री रियासत हुसैन––

गुलाब सेहरा के जैसे हैं।

श्री विद्यासागर नौटियाल––

मान्यवर, सत्ता पक्ष की ओर से तो इस बात की विधिवत् घोषणा हो गयी है कि सत्ता पक्ष के लोग बुद्धि बल्लभ और विरोधी पक्ष के लाग बुद्धिविहीन हैं। तो मान्यवर, मैं बुद्धिविहीन व्यक्ति हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है, इन्हें तो हम आचार्य वृहस्पति मानते हैं।

श्री विद्या सागर नौटियाल––

मान्यवर, जब मंत्री जी अपना बजट पेश कर रहे थे तो बार-बार उन्हें अपने वे सुन्दर दिन याद आ रहे थे जब वे उधर नहीं, इधर बैठा करते थे और कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया करते थे, शायद तब ज्यादा आजादी थी इन्हें। पर आज उन्होंने बार-बार यही कहा कि मैं बड़ा क्रांतिकारी बजट पेश कर रहा हूं और उधर बैठे लोग मेजें थपथपा रहे थे परन्तु मैं सोच रहा था कि वही लोग मेजों के बजाय उनकी पीठ न थपाथपाने लगें।

तो मान्यवर, अब मैं शुरुआत कर रहा हूं कि जिस चीज को आप बेहतर समझते हैं जैसे आपने कहा कि मैंने हरिजनों के लिये छात्रावास बना दिया, तो मान्यवर, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि मोहल्ला चमारान या बाल्मीकी मोहल्ला आपने भी बना दिया आज 35 साल के बाद। मैं आपके इरादे पर शक नहीं कर रहा हूं परन्तु आपने भी हरिजनों को अलग रख दिया है कि यह हरिजन बालक है, वह अलग रहे, अलग स्कूल में पढ़े, अलग खेलें तो ऐसे बालक इस समाज में दूसरे बालकों के साथ कैसे मेल-जोल करेंगे, क्या उनको समाज की पूरी जानकारी अलग रहने से मिल जायेगी ?

[श्री विद्या सागर नौटियाल]

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर हरिजनों के लिये आवास की कालोनियां अलग से आप बना रहे हैं। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि योग्य भूमि को लेकर आप जो एक-एक मंजिल की कालोनियां बना रहे हैं हरिजनों को बसाने के लिये और कृषकों की भूमि पर जिसे उसने अपने मेहनत से किसी तरह उपजाऊ बनाया है, उससे बलात् कब्जा ले रहे हैं भवन निर्माण के लिये, इसको बन्द कीजिये और 10 मंजिली इमारत बनाइये कि जिससे जमीन कम लगे और किसानों से आप उनकी जमीन न छीनें। दस मंजिली इमारत बनाकर उनकी आवास समस्या को सुलझायें न कि कृषकों की जमीन बलात् छीन कर उस पर एक मंजिल का भवन बनायें। वह हरिजन जिसे आप वहां रख रहे हैं उसका जीवन इससे विकसित नहीं हो सकेगा। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार नये सिरे से विचार करे अनुसूचित जाति वित्त निगम जो बना है, वह लोगों के बस खाने-पीने का जरिया है।

मेरे जिले में एक हरिजन कल्याण समिति है लौहकास्ट कला सहकारी समिति हुलाण खाल इसमें केवल हरिजन हैं, इनको कोई सहायता राज्य सरकार द्वारा नहीं मिली है। यह सहकारी समिति है और 5 हजार रुपये के अनुदान की रसीद उन से ले ली गयी लेकिन पैसा नहीं दिया गया। मैं बराबर लिखता जा रहा हू परन्तु पता नहीं कि उनके बदले यह रुपया कौन खा गया। सरकार इस पर विचार करे कि इस तरह से प्रतिष्ठान शुरू किये जायें जिनमें केवल गरीब, हरिजन उत्पादन से मतलब रखें, माल बेचने की जिम्मदारी सरकार की हो। मेरे जिले से देहरादून आने-जाने में, 5 दिन लग जाते हैं वहां कण्ट्रोल भाव पर माल मिलता नहीं, ब्लैक में लाते हैं, फिर उत्पादन शुरू करते हैं लेकिन उसको बेचने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है।

81-82 में एटा जिले में एक राजनाथ खन्ना जी हरिजन कल्याण अधिकारी थे। इन्होंने अनरिकग्नाइज्ड स्कूल्स को 6 लाख रुपया मंजूर कर दिया और एक श्रीमती हरिदेवी हैं जो 5 फर्जी स्कूल चलाती हैं, जब बी0एस0ए0 ने उनको प्रमाणित करने से इंकार कर दिया तो हरिजन कल्याण अधिकारी ने स्वयं प्रमाणित कर दिया और 6 लाख रुपया इस तरह से गायब हो गया। 80-81 में यह नियम था कि केवल पुराने छात्रों को वजीफा दिया जायेगा नये को नहीं लेकिन इन खन्ना जी ने ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों को तीन लाख रुपया दे दिया यह कह कर कि ये पुराने हैं और प्रिंसिपल से 50 हजार रुपये ले लिये। हमारी सरकार ने बड़ा सुन्दर काम किया कि उनका एटा से ट्रांसफर कर दिया और अब उन नौ लाख रुपयों को कोई पूंछने वाला नहीं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसकी जांच करायेंगे।

एक जनपद में एक सौ निराश्रित विधवाओं को वजीफा देने की बात कही जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सौ का कोटा क्यों रखा जा रहा है? क्या केवल इतनी ही विधवाएं एक-एक जिले में हैं जो किसी विशेष व्यक्ति को पकड़ कर अपने कागजात ठीक करा सकें, अपने साधनों को बटोर कर, काम करा सकें उनको तो वजीफा मिल जायगा पर अन्य बे सहारा महिलायें क्या करेंगी, उन्हें कौन सहायता देगा। तो यह सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती कि जिस महिला के कोई कमाने वाला न हो, जो निराश्रित हो, उसका जो आश्रयदाता राज्य है। अगर राज्य सरकार उनको सहारा नहीं देती तो यह भाषण केवल लुभावनी चीज है, अतः इन पर फिर से यह सरकार विचार करें।

हरिजनों की जो भूमि छीनी गयी, कानून तो कितने बने लेकिन किसी एक हरिजन को भूमि नहीं दिला सके। मैं फिर आपका मान्यवर, आभार प्रकट करता हूं और इस कटौती का जोरदार समर्थन करता हूं।

*श्री बंशीधर राज–

अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सदियों से षोषित और पीड़ित, दु:खी समाज के कल्याण के लिए प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। साथ ही माननीय हरिजन कल्याण मंत्री जो को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने इस अल्पकाल में, बहुत थोड़े समय में, मैं समझता हूं, 7–8 महीने हुए होंगे अपने थोड़े से इस कार्यकाल में जो आपने रचनात्मक कार्य किये हैं और बजट इस में भीजो आपने रचनात्मक प्राविधान किये हैं इसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और साथ में उन हरिजनों को जिनकी उन्नति के लिये आपने वसूलों के लिये जो प्राविधान किया और इसमें जो अधिकारियों ने भी सहयोग दिया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

मान्यवर, अभी भाई रावत साहब ने एक बात कही थी आरक्षण के संबध में। यह बात सत्य है कि आरक्षण का कोटा अभी तक नहीं पूरा हुआ लेकिन आरक्षण में नियुक्तियों में कैसे-कैसे, कब-कब, कितने-कितने प्रतिशत आये है, इसको पहले आप देंखे। मान्यवर, इसके संबंध में जो यह पुस्तिका बंटी है उसमें से कुछ विवरण देना चाहूंगा:––समें 78 में समूह क में 4.65 अनुसूचित जाति के लोगों को रखा गया। समूह ख में 8.38 और समूह ग में 8.77 तथा समूह घ में 15.1 अनुसूचित जाति के लोगों को रखा गया। इसी तरह से 79 में समूह क मे 4.8, समूह ख में 4.6,समूह ग में 9.98 तथा समूह घ में 17.6% अनुसूचित जाति के लोगों को रखा गया। लेकिन 80 और 81 में जो नियुक्तियां हुई उनमें अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी वृद्धि हुई है। उसमें समूह क में 8.42, समूह ख में 9.10, समूह ग में 18.9 और समूह घ में 22.75 अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्तियां हुई। यह आरक्षण की जो बात है हम कहते तो हैं कि आरक्षण पूरा होना चाहिए लेकिन यह देखें कि आरक्षण की व्यवस्था और कार्य देखने के लिए क्या हमारे हरिजन समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत आता है? यह हमारे हरिजन समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है। यह आता है राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत।इसलिए रावत साहब ने जो बात कही उसके संबंध में मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस कार्य को हरिजन समाज कल्याण विभाग को सौंपा जाय और यह देखा जाय कि जिन अधिकारियों ने हमारे विभागों का शासनादेश होते हुए भी आरक्षण की नीति को अपनाया नहीं, उन्हें पूरा नहीं किया है उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई है।

मान्यवर, यह समस्या हमेशा उठती है आरक्षण के विषय में, इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक बार दो-चार करोड़ रु0 जो भी खर्चा हो उसको लेकर इस आरक्षण की नीति को पूरा कर दें और हमेशा के लिये समाप्त कर दें। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कल्याण होगा और यह जो दुर्भावना फैलती जा रही है वह भ नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इसको समाप्त कर दें और कोटा पूरा कर दें। मान्यवर इसके साथ ही साथ कुछ विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात सही है कि मा0 मंत्री जी ने कुछ ऐसे कार्य किये हैं जिनके लिये वे बधाई के पात्र हैं जैसे स्वैच्छिक संस्थाओं की जांच पड़ताल और उनकी रिकवरी लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति वित्त निगम बना है उससे हरिजनों को व्यावसायिक कार्य करने के लिये अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना हुई।

लेकिन मान्यवर, देखा जाय तो कोई भी बैंक ऋण देना ही नहीं चाहता है और जब ऋण देना नहीं चाहता है तो उनका विकास हो नहीं सकता है। जो अनुदान माननीय मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वंशीधर राज---]

जो देना चाहते हैं उसका समुचित उपयोग भी नहीं हो सकेगा। तो इसके लिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी दूकानों में राशनिंग करने की बात कहते हैं दूकानें खरीद कर हरिजनों को बांटी जायेगी इसी तरह से अनुसूचित जाति वित्त निगम के लिये भी धन उपलब्ध करा दिया जाय। जिस तरह से आप राज्य वित्त निगम को धन देते हैं उसी तरह से अगर अनुसूचित जाति वित्त निगम को धन उपलब्ध करा दिया जाय तो उनके द्वारा हरिजनों की योजना भी बन सकती है और वह कार्यान्वित भी अच्छी तरीके से किया जायेगा जिससे आगे तरक्की हो सकेगी।

मान्यवर, जो योजनायें की गयी हैं वे केवल 12 हजार रुपये तक की हैं। अगर आप देखें तो यह बात सत्य है कि उससे केवल सूअर पालन का काम किया जा सकता है जैसा कि एक भाई ने कहा। 12 हजार रुपये से जूता बनाने, सुअर पालन, बकरी पालन का काम तो किया जा सकता है लेकिन इसके अलावा और कोई उद्योग, जिनसे समाज में हमारा सम्मान हो सके, नहीं कर सकता है। इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं कि अनुसूचित जाति वित्त निगम के जब श्री माता प्रसाद जी एम0 डी0 थे तो उन्होंने मार्जिन मनी और बैलेंस रेट पर सूद पर ऋण दिलाने वाली योजना की व्यव था की थी। लेकिन उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया क्योंकि उससे हरिजनों का उत्थान हो सकता था, इसलिये उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। अगर 20 हजार की किसी योजना के लिये ऋण उपलब्ध करा दिया जाय तो उससे हरिजनों का कुछ फायदा हो सकता था। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे उस योजना को रद्दी की टोकरी से फिर से निकालें और अपने विभाग के अधिकारियों से उसका अध्ययन करावें। उसमें भी कोई ज्यादा धन नहीं खर्च होने वाला है। जो अनुदान आप देते हैं वही अनुदान उसमें देने की व्यवस्था है लेकिन उनको सही ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

अभी कम्पोनेन्ट प्लान की बात हो रही थी। इसके अन्तर्गत भैंसें, गायें और बकरियां खरीदी जाती हैं। जिन के बाप-दादें बकरियां, भैंसे और गाय चराते-चराते मर गये, मालूम होता है कि उनको बकरी गाय व भैंसों की जानकारी नहीं ह। मान्यवर, डाक्टर साहब उस पर मुहर लगाते हैं, बी0डी0 ओ0 साहब की मुहर उस पर लगती है, तब जाकर सही माने में वह बकरी गाय या भैंस होती है। अगर आप जांच करायें कि कितनी बकरियां और कितनी भैंसे खरीदी गयीं और मर गयीं तो पता लगेगा कि 60 प्रतिशत मर गयीं, जो हरिजन सदा से जमींदारों द्वारा शोषित रहा है आज साहूकारों से कर्जे से बचने के लिये बैंकों से कर्ज लेता है और उसके ऊपर बैंकों के कर्जे का भार लदता जा रहा है। इससे उनका कोई उत्थान नहीं हो रहा है। इसलिये मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि कोई ऐसी सामूहिक योजना बनायी जाय जिससे कोई ऐसा उद्योग स्थापित हो सके जिसमें 40-50 हरिजन सामूहिक रूप से उसके हिस्सेदार हों जिससे उनको रोजगार मिले और उन्हीं के प्रबन्ध में उसका कार्य-संचालन किया जाय। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करें तभी जाकर हरिजनों का उत्थान हो सकेगा।

अब मैं अपने क्षेत्र मोहम्मदी के बारे में एक बात माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हू, वहां हरिजनों की आबादी 28 प्रतिशत है। अभी छात्रावास बनान की बात हो रही थी। वह एक बहुत बड़ा कस्बा है जहां स्कूल्स इंटर कालज तहसील आदि सब कुछ है लेकिन वहां पर मकान किराये पर नहीं मिलते जिसस जो हरिजन बच्चे वहां दूर से पढ़ने के लिये आते हैं, उनको रहने के लिय कोई जगह नहीं मिलती है। इसलिये आपक माध्यम से मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि वहां छात्रावास की व्यवस्था करा दी जाय। इन शब्दों के साथ मै माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हू।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

माननीय अधिष्ठाता जी, आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया।

सर्व प्रथम मैं श्री सन्त बक्स रावत जी के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने अपने विभाग के बजट को रखते समय यह कहा था कि अब हम प्रकाश की ओर निकले हैं। तो मैं यह समझता हूं और यह पूरा सद भी मानेगा कि अब तक हम लोग जो ढाई या तीन साल आप गिनते हैं कि विशेष रूप से इसके लिये दाषी रहे, प्रदेश का पीछे ले जाने के लिये उतना शासन को तो निकाल दीजिए शेष समय तो आपके थे आखिर आज यह सूझ कैसे आयी है, यह समझने की बात है।

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे थे कि हम मकान बनाकर देंगे, दुकान बनाकर देंगे, ऐसी ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि हरिजन, कमजोर वर्ग को दूकान मिले, रहने की व्यवस्था हो सके। लेकिन मान्यवर, मैं इस माननीय सदन में कहना चाहता हूं कि आज तक जितने मकान दो हजार, ढाई हजार की लागत के बनाये गये हैं, उनका सर्वेक्षण करा लिया जाय तो देखा जायगा कि दो परसेन्ट बचे हुए मकान हैं। बजट आपका मार्च के महीने में समाप्त हो जाता है । पेय जल की सुविधा के लिये कुएं दिये गये हैं। अभी पानी निकालने की तल तक वह पहुंचा ही नहीं कि बजट खत्म हो गया। इस तरह से पानी और आवास की सुविधा चल रही है। मैं निश्चित आरोप लगाता हूं कि अनुमानित लागत सही नहीं लगायी जाती है । प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं पानी कुछ कम नीचे निकलता है, कहीं बहुत निचले तल पर निकलता है। इसी तरह से व्यवस्था होनी चाहिये। उपयोगी तल तक कुआं खोदा जा सके, इसके लिये धनराशि बढ़ाकर दी जानी चाहिए ।

मंत्री जी ने कहा कि अश्पृश्यता की बात, छुआछूत की बात सरकारी विभागों से जाती रही है, किसी के साथ छुआछूत की व्यवस्था नहीं है। मैं देखता हूं कि इसी सचिवालय के अंदर हर कर्मचारी को एक एक गिलास दिया गया है । मैं चाहता हूं कि एक ही गिलास रखा जाय और पानी पिलाने वाला गिलास सबको घुमा-घुमा कर पानी पिलवाये तब तो बात चल सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि यह बात अब नहीं चल रही है। हरिजनों के साथ छुआछूत नहीं है। अश्पृश्यता अधिनियम में इसकी व्यवस्था है कि जो इसके विपरीत आचरण करेगा उसको दंडित किया जायगा। बाबा साहब अम्बेदकर ने कहा था यदि कोई सवर्ण अपने को हरिजन बताकर किसी दूरस्थ गांव के सवर्ण के घर के अन्दर उसी के बर्तन में पानी पीने व खाना खाने की बात करें तो उसे इसका सही पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आज भी साढ़े पांच हजार वर्ष का कोढ़ बना हुआ है। इस विधान सभा में या कुछ मंचों पर जाकर यह कहा जाता है कि हरिजनों के साथ अब छुआछूत की भावना नहीं है। आज भी समाज में यह भावना है। मान्यवर, जो गरीब हरिजन हैं इस उत्तर प्रदेश में आज भी सर्वेक्षण करा लिया जाय जो भूतपूर्व जमींदार हैं, उनके कोर्रा के नाम पर आज भी जमीन बनी हुई है, उनका कोर्रा बरकरार है और कई वर्षों से हरिजन उस पर बसा हुआ है। मैं चाहता हूं कि ऐसी जमीन का सर्वेक्षण करा लिया जाय। यह एक बहुत बड़ा षड़यंत्र है, अत्याचार है, बेगारी ली जाती है व उत्पीड़ित किया जाता । यदि जमींदार पर मुकदमा भी चलाया जाता है तो उसी का पिट्ठलग्गू कहने लगता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और अदालत में फट जाता है । मैं चाहता हूं कि इसका सर्वेक्षण कराके इसकी उचित व्यवस्था की जाय।

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—]

मान्यवर, इस प्रदेश के एक निदेशक महोदय हैं, श्री आर0 चन्द्रा और आजमगढ़ की एक स्वैच्छिक संस्था कोई वहां पर त्रिपाठी हैं, वे चला रहे हैं। उनके खिलाफ 27 आरोप हैं। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से सदन में यह कहता हूं कि हमारे दल के एक भूतपूर्व विधायक संयोगसे मुझे मिले थे। मैंने उनसे पूछा कि ये निदेशक महोदय कैसे हैं, उन्होंने कहा कि वहां पर जो हरिजनों को सुविधायें मिलनी थीं, वह उनको नहीं मिली और कुछ ब्राह्मण लोग एक वहां पर स्वैच्छिक संस्था चला रहे हैं, उनके अनुदान को खाये जा रहे हैं। इसके पहले वहां पर एक उप निदेशक गए थे उनसे इन लोगों ने मारकर यह लिखवा लिया कि यह संस्था अच्छी तहर से और विधिवत् चल रही है। वर्षों से लाखों रुपयों का अनुदान लिया जा रहा है और दुरु पयोग हो रहा है। इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप इसकी वसूली ही नहीं बल्कि डकैती का अपराध लगाकर इनके ऊपर मुकदमा चलावें।

जहां तक हरिजन उत्पीड़न का सवाल है, कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में यहां पर कहा है। साढ़ूपुर और देवली के बारे में सभी लोग जानते हैं और इस सदन में क्या होता है, यह भी जानते हैं । जो आज इस सदन में होता है, उसकी छाया बाहर भी पड़ती है कि जब प्रदेश के जन प्रतिनिधि ही ऐसा जताते हैं तो उनकी क्या दुर्दशा होगी। जब हरिजन दुर्बल और कमजोर वर्ग के ऊपर अत्याचार होता है और वह सहायता के लिये कहीं जाता है तो उसकी कोई सुनता ही नहीं है। पुलिस में हमारे लोग कम हैं। इस नाते प्रतिनिधित्व का भी सवाल आता है। उनके लिए चिकित्सा सुविधा की बात कही जाती है । उनके लिये जितने होस्टल बने हुए हैं वे बहुत दूर-दूर हैं। होस्टल कहीं और जगह बना है तो चिकित्सा सुविधा कहीं और ही है। मैं गोरखपुर के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर गोरखपुर विश्वविद्यालय कहां बना हुआ है और उनके लिये होस्टल गोरखपुर के पश्चिम में राप्ती नदी के किनारे बनाया गया है जहां से जाने के लिये केवल 3 रुपये एक तरफ से रिक्शा वाला लेता है। ऐसी जगह पर उनके लिये होस्टल बनाया गया है जिसको कि पुरानी डोम बस्ती कहा जाता है।

मैं कहना चाहता हूं कि जहां आपने ऐसी नींव डाल रखी है और अन्य जगहों पर भी आप उनके लिये ऐसी स्कीम बना रहे हैं, उन्हें ऐसी जगहों पर बनायें जिससे उनको वास्तविक सुविधा मिल सके, आराम से वे पहुंच सकें। एक बात है और निवेदन करना चाहता हूं, यह मेरा आरोप नहीं है, यह मेरे मन की वेदना है कि माननीय मंत्री जी हरिजनों को सुविधा देना चाहते हैं तो मैं इस सदन में मांग करना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के हरिजनों का सर्वेक्षण करा लें और पता लगायें कि कौन से ऐसे हरिजन हैं जिनके घर का एक भी व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी में नहीं है और अगर वह कुछ भी पढ़ा-लिखा है तो जहां पर कोई पद खाली होता है तो यदि वह उसकी योग्यता के अनुसार आता हो और उसके घर का एक भी व्यक्ति आज तक सरकारी नौकरी में न आया हो तो उसको रखा जाना चाहिए। अन्यथा हम यह भी जानते हैं कि इस समाज में जो आगे बढ़ा हुआ तबका है, वही इन सारी सुविधाओं को खींच रहा है और अन्य लोग उन सुविधाओं से वंचित हैं। हम हरिजनों में भी कुछ सवर्ण हरिजन हैं, यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके लिये कौन जिम्मेदार है, हमारे जैसे लोग ही जो कि शासन में हैं न्यायपालिका में हैं अन्य जगहों पर हैं, वे जिम्मेदार हैं। गोरखपुर के आस-पास बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ में जो कहार भूज आदि पिछड़ी जाति के लोग अनुसूचित जाति वाली सुविधा ले रहे हैं, छात्रवृत्ति ले रहे हैं, सरकारी नौकरियों में ले रहे हैं। मैंने इस संबंध में यहां पर प्रश्न भी उठाया था। इसके संबंध में एक सरकुलर भी निकला था मैं मान्यवर, उसकी केवल संख्या बता रहा हूं—867/26—3—81 (3)/28/78, वौल्यूम दो—श्री दौलतराम, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश मैंने इस सदन में भी कहा था सरजू प्रसाद नामक का व्यक्ति गौड़ जाति का नहीं है ।

इस जी० ओ० में व्यवस्था है कि उसकी जांच कराई जाय। आज भी हरिजनों का कोटा जो है वह घटता जा रहा है।प्राईमरी विद्यालयों में ये लोग अपना नाम गौंड लिखवा रहे हैं जो कहार, भूज और भूजिया हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

हमारे प्रदेश के गोंडा जनपद के उतरौला तहसील में जो सीलिंग की भूमि निकली वह हरिजनों को न देकर सवर्णों को दी गयी है।मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बाबूराम--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी ने हरिजन कल्याण के लिए जो कदम उठाये हैं, उनसे हरिजनों का उद्धार होगा। मान्यवर,जो आरक्षण की व्यवस्था है उसे इस विभाग को दिया जाय यह विभाग 18 परसेंट के कोटे को पूरा करे। मान्यवर, मेरे क्षेत्र पीलीभीत में बड़खेड़ा क्षेत्र है जहां पर 50 परसेंट हरिजन हैं, उस क्षेत्र में कोई इंटर कालेज नहीं है बाकी जो तीन क्षेत्र हैं उनमें एक-एक डिग्री कालेज और अस्पताल भी हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में न अस्पताल हैं और न डिग्री कालेज हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय हरिजन कल्याण मंत्री जी यहां नहीं हैं शायद कहीं सुन रहे होंगे, खन्ना जी बैठे हैं। पूरा जो बजट आपका हरिजनों का है उसके संबंध में जो नीति है उसको मैं तीन शब्दों में कह देना चाहता हूं। आपकी हरिजनों के संबंध में नीति है-गोली मारो आंसू पोछो और टुकड़े डालो। तो यह तीन शब्द हैं हरिजनों के संबंध में कांग्रेस सरकार के···

श्री मोतीलाल देहलवी--

एक और है बोट बटोरो ।

श्री रियासत हुसैन--

मंत्री जी आ गये। तो यह तीन शब्द हैं हरिजनों के संबंध में गोली मारो, आंसू पोछो और टुकड़े डालो और उसका लक्ष्य है वोट बटोरो। आपको बजट कितना मिला है, पूरे बजट का 1.05 परसेंट। वह ठीक ही मिला है क्योंकि मंत्री भी तो डेढ़ ही हैं। हरी सिंह जी कहेंगे कि हम भी तो हैं और कुछ डिप्टी, मिनिस्टर भी कहेंगे कि हम भी मंत्री हैं।मगर हरी सिंह जी दस नाबालिग भी अगर इकट्ठे कर देंगे तो एक बालिग नहीं बनेगा और वह 10 सौ नाबालिग ही रहेंगे। जब डेढ़ मंत्री हैं तो डेढ़ परसेंट बजट भी मिला है। आपने एक बात कही, एक प्रसंग आया बुद्धि का तो कहा कि बुद्धि भगवान देता है। तो जब बुद्धि भगवान देता है, तो आपको कहां से मिले जब इंसान की रचना हुई तो शत्रु जिसे क्रियेशन कहा जाता है जिसके हजार सिर थे वह तो चला गया पंडितों के हिस्से जिसमें लोकपति त्रिपाठी जी पैदा हुए और हाथों को विश्वनाथ प्रसाद जी माननीय मुख्य मंत्री जी ले लिये और जांघ यादव ले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन-]

गये आपके हिस्से तो पैर ही आये तो फिर आपको बुद्धि कहां से मिलेगी। वह तो सब से गये लोकपति त्रिपाठी जी बटोर कर। एक बात और आपने कही कि मुख्य मंत्री जी बड़े रोये और रामनरेश यादव जी हंसते थे। श्रीमन्, इस दुनियां का इतिहास उठाकर देखिए, उसमें स्पष्ट है कि जिसने जितना ज्यादा पाप किया है, उतना ही ज्यादा बाद में वह रोया है। इस्लामी इतिहास में हजरत आदम अले सलाम जब जन्नत से निकाले गये तो वह 900 वर्ष तक रोये और बाल्मीकि जी ने भी पश्चाताप किया था और अंगुलिमाल भी रोया था। तो जो जितना बड़ा पापी हुआ है वह उतना ही ज्यादा रोया है। तो आपके मुख्य मंत्री साढूपुर और देवली के पाप करके रोते हैं तो कौन सी बड़ी या नई बात है। आज सोचने की बात यह है। उसके सोचने में तो आज यही है। साढूपुर पर जो हमला हुआ था तो बदमाशों ने श्यामवती से यही पूछा था कि चमरियान किधर है। यह सोचने का ढंग है यह नहीं पूछा कि जाटवों की बस्ती किधर है, यह पूछा कि चमरियान किधर है। यह दिमाग में जो सोचने का ढंग है इसको आप आसानी से नहीं बदल सकेंगे। परसन्टेज के बारे में जो बतलाया है। उसके बारे में मैं दोहराऊंगा नहीं, केवल एक चीज पर आपका ध्यान दिलाऊंगा। आप कहते हैं कि कारपोरेशंस बड़ी इन्डिपेन्डेंट बाडीज हैं। उनके बारे में भी तो आपने आदेश भेजे हैं। इसके संबंध में आपका 4 मई, 76 का आदेश है कि इन कारपोरेशन में भी 18 परसेंट का रिजर्वेशन उनका रखा जाए, लेकिन जो वहां पर परसेन्टेज है, वह नहीं के बराबर है। कारपोरेशन में 1.25 प्रतिशत आपका (हरिजन का) है और .12 परसेन्ट जनजाति का है। जब हम इनके बारे में कहते हैं तो आप कहते हैं कि यह आटो नामस बाडी हैं, लेकिन आपने इनको आरक्षण के बारे में सर्कुलर भेजे हैं।

क्या आपने इनकी जो सगसे प्रमुख समस्याएं हैं उनको भी देखा है ? उनको भी नहीं देखा है। उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता पीने के पानी की है, क्या यह समस्या भी उनके स्वतन्त्रता के इतने दिनों बाद भी हल हुई है ?

मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने सारे हरिजनों के लिये पानी पीने की व्यवस्था कर दी है और यदि आप समझते हैं कि हमने कर दी है तो मिर्जापुर जिले में जो कोलमाइंस क्षेत्र में गठरिया आदि हैं उनमें जाकर देखिए पाठा में जाकर देखिए। पहाड़ पर चले जाइये, तो थारू और बनरावत हैं, तो क्या उनके पानी पीने की व्यवस्था आपने कर दी है ? मुझे खुशी होती और बजट पेश होते ही हमने कह दिया होता कि इस साढ़े पांच सौ रुपये के बजट से आपने इतना ही कर दिया होता कि हरिजन विभाग अबतक की जितनी त्रुटियां हैं, इस साल के अन्दर उन्हें पूरा करेंगे। जब आप यह कर नहीं सके तो जरा यह बता दें, मालूम करके बता दें कि जो आपके ए0टी0एस0 हैं, उसके अन्दर फी स्टूडेन्ट आप क्या देते हैं ? कितना बढ़ाया है आपने इस मंहगाई को देखते हुए और यदि नहीं बढ़ाया तो आपने क्यों नहीं बढ़ाया ? रिजर्वेशन के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा। इस सम्बन्ध में मैं वर्ष 1979-80 के एक प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका हरिजन जाति से सम्बन्ध है। उसमें एक आदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि हर जिला स्तर से 10 जनवरी को प्रशासन के पास फीगर्स आ जायेंगीं और सचिवालय से 20 जनवरी तक पहुंच जायेंगी कि विभाग में कितने प्रतिशत इन लोगों का है। इसमें यह भी है कि जो अधिकारी इनकी अवहेलना करेगा उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस अवहेलना के लिये कितने अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्यवाही की ? क्या आपने किसी अधिकारी को दंडित किया ? चाहे जिला स्तर के हों और चाहे

सचिवालय स्तर के जिन अधिकारियों ने अपना फर्ज अदा नहीं किया, कितनों को आपने दंडित किया और यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया ? जब आप दंडित नहीं करना चाहते हैं तो कैसे आप उनका परसेन्टेज पूरा कर सकेंगे ।

इसी सदन में मैंने कई बार पिछले 2–3 साल से जिला मिर्जापुर में ओबरा के पास बिल्ली नाम के गाव के बारे में कहा कि वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे 3 स्कूल चलते हैं, उनमें से एक स्कूल आपका भी है । क्या आप उस स्कूल की इमारत का प्रबन्ध कर पाये या नहीं मेरी प्रार्थना है कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दें तो इसके बारे में सदन में बता दें । आपने यह भी कहा कि नारी शिक्षा निकेतनों के बारे में आपने जांच करायी । मुझे बड़ी खुशी होगी यदि उनकी जांच रिपोर्ट्स को सदन में रखने की कृपा करें ताकि मालूम हो सके कि सरकार ने कुछ किया है ।

एकोनामी के अन्दर आपने कुछ मदद की है । कुछ एम0 पी0 मिनिस्टर्स और एम0 एल0 एज0 भी हो गय हैं लेकिन जो क्लासलैस सोसाइटा बनाने की बात है उसमें हमारी जो रचना है उसमें आपने और क्लासिफिकेशन पैदा कर दिया है ! जो हमारे विधायक हैं और एम0 पीज0 हैं जब उनके लड़कों को सार्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे सर्टिफिकेट से काम चल जायगा लकिन जिन बेचारे हरिजनों के कोई रिसोर्सेज नहीं है जमीने नहीं है, इनको इनकम क सर्टिफिकट तहसीलदार से लेना होगा । तो मेरा प्रार्थना है कि आप में से अगर कोई होगा उसे तहसालदार से बांधा जाय और बिल्कुल हैव नोटस हैं, जो भूमिहीन हैं, जो गरीब हैं उनको हमार हिस्से में छोड़ दीजिए । तो मेरा निवेदन है कि अपने ऊपर तो कम से कम प्रतिबन्ध लगाइये । आप इस बात का सर्वे करायें तो पायेंगे कि हरिजनों के अन्दर 66 जातियां हैं । उनमें से 3 आदमी सर्विसेज में हैं । आपने कहा कि चमार, धूसिया और जाटव हैं कि अगर चमार धूसिया, जाटव सर्विसेज में आ गये तो उन्होंने 66 जाति की पूर्ति कर दी । तो जो आपकी यह 66 जातियां हैं, जिसमें मुसहर वगैरह हैं, नाम लेने की जरुरत नहीं है । इनमें से हरएक की अलग-अलग सर्वे कराइये कि इन लोगों की क्या हालत है । अगर आप सर्वे करायेंगे, तो अधिकतर एक ही मकसद पायेंगे कि पुलिस वालों को कहीं फांसने के लिये कोई न मिले तो इन लोगों को शामिल कर लिया जाता है । आप इस चीज को देखिये । मैं यह कहता हूं कि क्लासलेस सोसायटी जो है, उसको अगर बनाना है और वह आपके हाथ में है और वह पैदा नहीं होगा जब तक कि आप अम्मार साहब से मदद नहीं मांगेंगे । यह विभाग ऐसा हो गया है कि दो जगह बंट गया । मालूम नहीं होता कि वह नेशनल इन्टीग्रेशन पर है कि आप पर है । आप अब जब तक अल्लामा इकबाल का वह चीज नहीं करेंगे । "गैर ऐंन लड़ाई में आ गया वख्ते नमाज, टिवलाक हुई सरवा वसजूद सब कौमे हिजाजा । एक ही शफ में खड़े हो गये, महदूदी ख्याज, न कोई वन्दा कहा न कोई वंदा नवाब, साहिबों मोहताजी गनी एक हुये, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुये ।" इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा । आपको कुछ प्रेरणा देकर श्रीमन्, मैं समाप्त करूंगा ।

"पिरोना एक ही तस्वीर में इन बिखरे दानों का जो मुश्किल है, तो उस मुश्किल को आसां करके छोड़ूंगा ।" गुलाब सेहरा जी, आप से कह रहा हूं । यह आपसे मुताल्लिक है गुलाब सेहरा जी । इस उस पर अगर आप चलेंगे, तो शायद विभाग का कल्याण कर लें, वरना तो भगवान ही मालिक है । भगवान ही कल्याण करेंगे ।

श्री महाराज सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस गरीब के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत ही आभारी हूं । मान्यवर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का जो बजट पश हुआ, उसक समर्थन के लिय मैं खड़ा हुआ हूं और आज वह बात बतलाउंगा, शायद इस सदन में अभी तक कोई बात नहीं हुई हो ।

श्री अधिष्ठाता--

इसीलिए आपको अवसर दिया गया है ।

श्री महाराज सिंह--

ये मंत्री जी गरीबों को ऊपर उठानेवाले और उनको मदद करने वाले मंत्री हैं । मान्यवर, मैं आगरा जिले के एतमादपुर क्षेत्र से चुना गया हूं । मान्यवर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में तो सब लोग कहते ही हैं, लेकिन एक जंगली जाति के कुछ लोग हैं, उनके बार में भी किसी ने आज तक कुछ नहीं कहा जैसे नट, कंजड़ू, बंजारा, बृजवासी, ग्वाल, जूझ भिन्न-भिन्न जातियां जो हैं, उनका किस तरह से सुधार हो । ये लोग जो हैं, जंगली लोग, ये हमेशा कांग्रेस के अनुयायी हैं । कांग्रेस के साथ रहे हैं और कांग्रेस का कभी विरोध नहीं करते हैं । मान्यवर, मैं आप से यह प्रार्थना करुंगा कि ये जंगली कौमें जो हैं, वह न शहर में रहते हैं, न गांव में रहते हैं, अपना टाण्डा या अपना डेरा बना कर अलग गांव में रहते हैं । वे किसी जाति से मिलते नहीं हैं । उनकी वाणी और भाषा अलग ही है । उनका खानपान भी नहीं मिलता । उनका रहन-सहन भी नहीं मिलता । उनके लिये मैं अपनी सरकार और मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि थोड़ा वह उनके तरफ भी ध्यान दें । मैं यह भी प्रार्थना करुंगा कि जो ऐसी कौमें हैं, जो गांव से अलग रहते हैं, शहर से अलग रहते हैं, जो अपना डंडा और डेरा बसा कर रहते हैं, जितने 100-200 और 5-5 सौ के घर हैं उनकी परवाह नहीं की जाती है । वह हमेशा कांग्रेस के अनुयायी है । मैं प्रार्थना करुंगा माननीय मंत्री जी से कि जो ऐसे डेरी और टांडा है उनमें कम से कम दो सौ आबादी के गांव में एक स्कूल जरुर खोलने काकष्ट करें । तो उनके बच्चे पढ़ लिख सके और वह समाज के अन्य लोगों से कन्धा से कन्धा मिलकार चल सके । क्यों उनको न गांव वालों से मिलने दिया जाता है न वह शहर वालों से मिलते हैं वह बिल्कुल अलग जंगलोंमें रहते हैं और जंगल में रह कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं । उनका खान पान रहन सहन और वेशभूषा बिल्कुल अलग है वह किसी से मिलती नहीं है । इन लोगों को मैं प्रार्थना करुंगा कि अनुसूचित जन जाति में रखा जाय और उनके गांवों मेंकम से कम प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाय तो वह आगे बढ़ सके और उनके बच्चे पढ़ लिख सकें उनकी तरक्की श्रीमन् इसलिये नहीं हो सकी है क्योंकि उनके बारे में न तो कोई कहने वाला है न कोई सुनने वाला है। वह बिल्कुल अलग रहते हैं । आज तक उनको कोई संरक्षण नहीं दिया गया। जब तक मंत्री जी उनको संरक्षण नहीं दिया जायेगा वह आगे नहीं बढ़ सकते हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि दो सौ आदमी की आबादी वाले जो ऐसे गांव है वहां पर एक प्राइमरी स्कूल खोल दें । ताकि उनका जंगलीपन समाप्त हो और वह भी तरक्की कर सके हमारे जनपद आगरा में जहां से हम चुनकर आते है माननीय मंत्री जी ने कृपा किया कि टूंडला और खदौली ब्लाक में दुकान बनाने की योजना चालू की है ।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वहां समिति बना दें ताकि यह दुकाने ठीक ढंग से बन सके और इनका सही उपयोग हो सके मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारी बातों पर ध्यान देंगे ।

(3 बजकर 28 मिनट)

***श्री जसवन्त सिंह विष्ट--**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे हरिजन समाज कल्याण क बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, सन् 1968 में अल्मोड़ा में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

28 हरिजन परिवारों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया था। उस समय उस आन्दोलन में मैं भी था और पुलिस ने हमको बुरी तरह मारा पीटा था और तब से लेकर आज तक उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। पिछले साल माननीय मुख्य मंत्री जी जब बागेश्वर मेले में गये थे तो उनके सामने यह बातें रखी गई थी और उन्होंने कमिश्नर कुमायूं को कहा था कि आप इसको देखें और कुमायूं के कमिश्नर ने कहा था कि हम इन मुकदमों को उठा लेंगे लेकिन वह मुकदमें आज तक चल रहे थे। मैं यह चाहता हूं कि यह जो मुकदमें चल रहे हैं उनको वापस ले लिया जाय। मैं इसलिये इस बात को यहां याद दिलाना चाहता हूं कि बार-बार यह कहा जाता है कि हम सवर्णों को पाट लेते हैं हम हरिजनों के द्रोही हैं ऐसा नहीं है। जो लोग हरिजनों की दुहाई देते रहते हैं और आंसू बहाते रहते हैं वह हरिजनों बजट का आधा पैसा स्वयं खा जाते हैं। मान्यवर, मेरा अनुभव है मैं ब्लाक प्रमुख भी रहा हूं। जितनी हरिजन पेय जल की योजना बनी है। माननीय मंत्री जी जांच करा लें अल्मोड़ा में किसी में एक बूंद पानी नहीं है। यदि एक योजना में भी पानी निकल जाय तो जो यह दंड देना चाहें वह वह मुझे स्वीकार होगा। जो पेयजल योजना हरिजनों के लिये अलग से बना रहे हैं उसमें भी बेकार में पैसा बहाया जा रहा है।

मान्यवर, गरीब हरिजनों को लोहारगीरी का सामान दिया जाता है और उषा की सिलाई मशीनें दी जाती हैं, तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह उषा की मशीनें एक भी ठीक नहीं हैं और उनमें यंत्र नहीं रहते हैं, यह मैं दावे के साथ कहता हूं और यदि एक भी मशीन ठीक दिखा दें तो जो दंड आप देना चाहें वह मैं भोगने के लिये तैयार हूं।

मान्यवर जब आप कहते हैं कि हम हरिजन हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि हरिजन वह लोग हैं जिनकी हड्डी पसली सूखी हैं और जिनके पास खाने के लिये रोटी नहीं है, वह हरिजन हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, हरिजन का मोटा होना भी इन्हें बरदाश्त नहीं हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आपको देखने के बाद।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो विष्ट जी ने परिभाषा हरिजन की दिया है उसमें आप बता दें कि इन दोनों में से कौन हरिजन हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, हरिजन वह हैं जिनके पास न रेडियो है और न वह अखबार पढ़ते हैं और न अच्छे समाज में बैठते हैं। इसलिये हरिजनों के नाम से जो अनुदान मिलता है वह एक तो लखनऊ में लोग खा जाते हैं और उसके बाद जब जिलों में जाता है तो वहां जो हरिजन नहीं हैं वह खा जाते हैं। इसलिये जो क्रांतिकारी बजट मंत्री जी कह रहे हैं उसके प्रयोग के बारे में मैं क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि सचमुच में जो हरिजन और निर्बल वर्ग के लोग हैं जिनको बजट दिया जा रहा है उसका लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में एक हुड़किया जाति रहती है जो पहले गाना गा कर अपनी जीविका चलात थे उनका जिक्र जो आपन 66 जातियां बतायी हैं उसमें नहीं है, हमारे यहां रानीखेत में जब हरिजन समिति गयी थी तो उससे हमने निवदन किया कि इस हुड़किया जाति

[श्री जसवन्त सिह विष्ट--]

को भी उन हरिजन जातियों में शामिल कर लें ताकि हरिजनोंका लाभ उनको भी मिल सके क्योंकि आज समय आगे बढ़ गया है और रेडियो का समय हो गया है इसलिये उनका पेशा बन्द हो गया है, जिससे उनका हालत खराब है, इसलिये चाहता हूं कि जो लाभ हरिजनों को विभाग द्वारा दिया जा रहा है वह हुड़ किया जाति के लोगों को मिले ।

मान्यवर, हमारे गांव में 24 परिवार हरिजनों के हैं जो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ने नहीं भेज पाते हैं तो वह आगे क्या लाभ उठायेंगे । 34 वर्षों में उन लोगों को आज तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये चाहता हूं कि वास्तव में जो हरिजन हैं, जिसका जिक्र पहले किया है, ऐसे लोगों को अगर आप इसका लाभ पहुंचायेंगे तो यह क्रान्तिकारी बजट कहलायेगा नहीं तो जैसे आज तक हो रह है, कोरे भाषण हो रहे हैं--खानेके दांत और तथा दिखाने के और इन्ही शब्दों के साथ यह जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है इसका समर्थन करता हूं ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आभारी हूं । मा0 मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । मुझे बड़ी खुशी है कि हरिजन कल्याण और हरिजन समाज कल्याण विभाग का बजट उन्होंने जो प्रस्तुत किया है सदन में वह अतुलनीय और सराहनीय है ।

(हंसी)

यह पहला बजट है हरिजन समाज कल्याण विभागक जिस पर मा0 मंत्र जी ने समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिये हर प्रयास हर स्कीम का उल्लेख किया है और पूरे सहयोग को अपेक्षा भारत सरकार से कर रहे हैं । साथ ही मने जब बजट का किताब का अवलोकन किया और उसके बारे में जानकारी की तो प्रदेश में हरिजनों की तादाद 24-25 प्रतिशत है । साथ-साथ हरिजन मोमिन अनसार व पिछड़ी जाति के भी उत्थान की स्कीम है, वह भी जातिय प्रदेश में काफी हैं ऐसा मुझे अनुभव हुआ है मालूम हुआ कि कि 30-40 जातियां गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनके उत्थान के लिये जो बजट मा0 मन्त्री जी ने पेश किया है, वह अपने विचार के अनुसार व्यवस्था के अनुसार उसका उपयोग किया है और आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से और अपनी सरकार से अनुरोध करुंगा कि इस दलित और गरीब जातियों कें उत्थान के लिये और ज्यादा बजट की व्यवस्था होनी चाहिये । साथ ही, मुझे आपके माध्यम से कहना है कि हरिजन समाज का कमजोर वर्ग है, उसकी आवास की जरुरत है, उसको पेयजल की जरुरत है , उसको सुरक्षा की जरुरत है, उसको खाने के अन्न की विशेष जरुरत है, क्योंकि उसके पास कोई रोजगार खेती बारी इत्यादि नहीं है । उसे सामाजिक न्याय और सम्मान की जरुरत है । यह समस्यायें रोज-रोज हम पक्ष एवं विपक्ष के मा0 सदस्यों से सुनते हैं और यह जरुरी भी है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाय। इसके लिये मेरी मंशा है और आप द्वारा मांग करता हूं कि इनकी सुरक्षा के लिये, इनके पेयजल के लिये, इनके रहने के आवास के लिये उचित व्यवस्था जरुरी है और इस काम में पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के मा0 सदस्यों से चाहूंगा कि मिलजुलकर इसे देखें वह सहयोग करें ताकि सरकार ने जो सुविधा दी है, उसका सही उपयोग कराया जा सके। इनकी सुरक्षा की आरण्टी के बारे में आपके माध्यम से मा0 विरोधी दलों के सदस्यों से और अपने देश के लोगों से भी अपील करता हूं कि आखिर इन पर जुल्म और अत्याचार की जो भावनायें समाज में व्याप्त की जा रही हैं, उनका क्या मतलब है । जहां देखिये खेत में किसान, खान में मजदूर व सेवा में हर वक्त वे गरीब मजदूर लगे हैं और अब इनको समाजिक इज्जत और न्याय की जरुरत है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इनकी सुरक्षा की सबसे पहले गारण्टी होनी चाहिये । इसके लिये मैं आपको अपनी राय से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी हर हरिजन बस्तियों

मेंग्रामीण सुरक्षा पुलिस की व्यवस्था की जाय या हरिजनों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाय जिससे कि वह अपनी सुरक्षा स्वयं करे। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर विभागों में जो रिक्त जगहें हैं। हरिजनों में से बहुत से लोग हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बी0ए0, एम0ए0 किये हैं तो मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि इन्हीं लोगों में से जितना कोटा बाकी हो, नियुक्ति कर दिया जाय। इससे हरिजनों क कोटा भी पूरा होगा और हरिजन लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सकेगी। जो भी हरिजन बी0ए0 या अन्य शिक्षा ग्रहण किये हुये हैं उनको उनके मुताबिक नौकरी दिलाने की व्यवस्था करें इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि जो हरिजन एवं गरीब वर्ग के अफसर आई0ए0एस0 या पी0सी0एस0 हों, हर जिले में जुल्म कम करने के लिये उनको स्वतंत्र रुप से सेवा करने का सरकार विशेष अवसर देने की कृपा करें। जूनियर हाई स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों में हरिजन एवं कमजोर वर्ग व पिछड़ी जातियों के छात्र पढ़ते हैं उनको हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से और संस्थाओं से छात्रवृत्ति देनी चाहिये। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, मेरे यहां फरहदा उर्फ पूरा तहसील रसड़ा जिला बलिया में हरिजनों के लिये उक्त बस्ती में आबादी सुरक्षित है। पचासों, सैकड़ों वर्ष से सुरक्षित है जिस पर हरिजन बसे हैं मगर यह चकबन्दी में तो आबादी दर्ज की गयी है लेकिन बंदोबस्त में सीरदार और जमींदारों के नाम लिख दी गयी है, जिससे सवर्ण हरिजनों को बेगार कराने और तंग करते हैं। इसे खारिज किया जाय, मान्यवर, फरहदा उर्फ पूरे मौजा पताई में श्री शिवदेवी पुत्र सखरज हरिजन को चकबन्दी में चक नं0 217 काटा गया है। डी0डी0सी0 बलिया में इस संबंध में कहा है कि मौका देखकर इंसाफ करेंगे लेकिन मौका नहीं देखा और उस हरिजन को आंवरा ताल जिसमें कि कई पोर से पानी है उसमें चक काट दिया है और उसके जलगाह की जमीन की कीमत 12 आने लगायी है। इसके अलावा शिवदेवी की उपजाऊ जो जमीन है उसकी मालियत केवल 7 आना, 10 आना लगायी गयी है। इसकी जांच होनी चाहिये और उसके साथ न्याय होना चाहिये।

श्री रामधनी--

मान्यवर, आपने बहस में भाग लेने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने जो आज बजट रखा है यह बिल्कुल धोखाधड़ी और घपले का बजट है। यह असलियत से परे बजट है। जो 64 करोड़ रुपये और कुछ लाख रुपये का बजट है, वह एक तरह से धोखे का बजट है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि कहीं बजट ब्लाकों के माध्यम से खर्च होगा, कहीं पी0 डब्लू0 डी0 के माध्यम से खर्च होगा, कहीं शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च होगा। कहने का मतलब यह है कि इस बजट का कुछ भी हिस्सा हरिजनों को मिलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जो छाती पर हाथ पीट रहे थे और मुख्य मंत्री जी की दुहाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार पर मुख्य मंत्री आंसू बहा रहे थे तो मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरिजनों की सामूहिक हत्या पर केवल मुख्य मंत्री ने आंसू बहाये क्या यही इसके मुख्य निदान है। हरिजन झोपड़ियां जलायी जांय और मुख्य मंत्री आंसू बहायें क्या सही इस समस्या का निदान है। मैं पूछना चाहता हूं कि हरिजन बस्तियां उजाड़ी जांय और हरिजन बेसहारा कर दिये जांय और मुख्य मंत्री आंसू बहायें क्या यही मुख्य निदान है। और माननीय मुख्य मंत्री जी घड़ियाली आंसू बहा दें तो क्या इससे सन्तुष्टि हो सकती है। इन बातों से हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है।

[श्री रामधनी--]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक जुल्मों की और अत्याचारों की बात है जब से हम सदन में आये हैं, तबसे कभी इतने अत्याचार हरिजनों पर नहीं हुयें जितने कि वर्तमान मुख्य मंत्री जी के जमाने में हुये हैं। बाहर तो हरिजनों के ऊपर जुल्म तो होते ही रहते हैं परन्तु इस सम्मानित सदन में भी हरिजनों पर जुल्म हुआ है। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि कल के अखबार में बयान है कि श्रीमती महारानी दोहरे का कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हरिजनों के ऊपर बाहर जैसे खेतों और खलिहानों में जुल्म तो होता ही है वैसे ही जुल्म इस सदन के अन्दर हो रहा है। इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है।

(विरोधी पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं शिक्षा विभाग की बात कहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति की बात कि शायद माननीय मंत्री जी को पता नहीं है कि छात्रवृत्ति कब दी जाती है और जो छात्रवृत्ति दी भी जाती है तो अधूरी दी जाती है। जो भी कुछ विद्यार्थी को दिया जा रहा है वह समय से नहीं बल्कि असमय में दिया जाता है और वह भी पूरा नहीं। वही किस्सा है कि "का वर्षा जब कृषि सुखाने ?" जब परीक्षा समाप्त हो जाती है तब छात्रवृत्ति दी जाती है। माननीय मंत्री जी छात्रवृत्ति दिये जाने का समय हद से हद सितम्बर, नहीं तो जुलाई होना चाहिये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कम्पोनेन्ट प्लान की बात बहुत यहां पर कही जाती है। तो मान्यवर, उनको जो कम्पोनेन्ट प्लान के लिये ऋण दे रहे हैं वह बैकों के माध्यम से दे रहे हैं और बैंक ऋण देने के लिये जमानतदार मांगता है। तो वे बेचारे जमानतदार कहां से लायें।

हरिजन विद्यालयों में अध्यापक वैसे ही मेहनत करता है जैसे कि और किसी विद्यालय का अध्यापक, लेकिन उसे वेतन कम दिया जाता है ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह हरिजन अध्यापक हैं इसलिए उसे कम वेतन दिया जाता है

अधिष्ठाता महोदय, मैं तो मामूली बात कहना चाहता हूं कि हरिजन जाति में मुसहर जाति के लोग आज भी सामूहिक भोज पर जहां पर छोटे-छोटे लोग भोजन करते हैं, वहां पर कुत्ते और बच्चे एक साथ जूझते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस बजट में उन गरीबों के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। बी0ए0 और एम0ए0 पास विद्यार्थी बराबर सड़कों पर नौकरी ढूंढते हुए घूम रहे हैं परन्तु उन्हें नौकरी नहीं जुट पा रही है, मंत्री जो आप कृपा करके उन बेचारों को रोजगार दिलाने का प्रयत्न करें जिससे कि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके।

(दूधनाथ राजभर का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, मेरी बारी कब आयेगी ?

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

श्रीमन्, मेरी बारी नहीं आयेगी क्या ?

श्री अधिष्ठाता--

अवश्य आयेगी।

श्री संकटा प्रसाद शास्त्री––

मान्यवर, तो अभी आ जानी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य आप बैठें। मैंने दूसरे सदस्य का नाम पहले पुकार लिया है।

*श्री दूधनाथ राजभर––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। जब हम इस बजट पर चर्चा करने बैठते हैं तो आज के दिन याद आता है कि जब देश आजाद हुआ था तो इस व्यवस्था को चलाने के लिये संविधान निर्माता श्री भीम राव अम्बेदकर के सामने एक समस्या आयी जिसके माध्यम से वह देश को चलाने की व्यवस्था देना चाहते थे, उनके सामने चार किस्म के लोग इस समाज में दिखायी पड़े और उसी के अनुरूप व्यवस्था की। एक तो वे लोग जिनके पास प्रचुर मात्रा में साधन थे, जिनका उपयोग करना उनके लिये मुश्किल था, दूसरे वे लोग जिनके पास इतने साधन थे कि अगर कहीं से कोई सहायता, सहूलियत न हो तब भी उनका काम चल सकता था, तीसरी श्रेणी में ऐसे लोग जिनको कभी-कभी शासन की सहायता की आवश्यकता होती थी और चौथी श्रेणी में वे लोग थे जिनके लिये बिना शासन की सहूलियत क एक भी काम, चाहे शिक्षा का हो, नौकरी का हो, आवासीय हो, नहीं चल सकता था। आज हम इस बजट के माध्यम से उसी चौथी श्रेणी के लोगों के बारे में विचार करने के लिये बैठे हुए हैं। मंत्री जी ने जो प्रस्तुत किया है बजट, मैं कहना चाहूंगा कि जिस वर्ग की सहूलियत के लिये यह पेश किया गया है, संयोग और सौभाग्य से प्रदेश के गरीब, निर्बल वर्ग के लोगों, शोषित, पीड़ित लोगों के सौभाग्य से, सेहरा साहब को जिनका बहुत कटु अनुभव है इस समाज की पीड़ा का और इस विभाग के निदेशक भी संयोग से श्री आर0 चन्द्रा साहब भी बड़े सूझबूझ के व्यक्ति हैं, दोनों संयुक्त बैठे हैं।

मैं महसूस करता हूं कि जो पीड़ित लोग हैं उनके लिये नया रास्ता खुलेगा। जब संविधान बना था उस समय अम्बेदकर साहब ने 10 साल की अवधि दी थी कि इसके अन्दर इन वर्ग के लोगों की तरक्की का रास्ता पक्का हो जायेगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदन से, सरकार से कहना चाहूंगा कि हम बैठते हैं, बजट पास करते हैं, भाषण देते हैं, अच्छे-अच्छे कार्यक्रम रखते हैं, गरीबों की तरक्की का लेकिन जो 10 साल की सीमा दी गई थी उसमें जो तरक्की होनी चाहिये थी वह क्यों नहीं हो पायी, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर विचार करना होगा हम सब को चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के। हम मीठी-मीठी बातें करते हैं लेकिन सोचना यह है कि उसके अमल-दरामद के लिये, कार्यान्वयन के लिये, गांवों में बैठे हुए गरीबों के पास, निर्बल वर्ग के लोगों के पास, पीड़ित-शोषित जनता के पास वह धन, साधन, पैसा, पहुंचत है या नहीं, सवाल सिर्फ इस बात पर विचार करने का है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम सबको जुटकर और प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहता हूं और मा0 मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बजट को स्वयं किसानों के बीच ले जाकर, जिन व्यक्तियों के लिये पास कर रहे हैं उन व्यक्तियों तक पहुंचायें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और बधाई इसलिये देना चाहता हूं कि मैं विमुक्त जाति का व्यक्ति हूं और पहला विधायक हूं इसमें नैतिकता का सबूत दिया है जो कि अभी तक नहीं था। बधाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दूधनाथ राजभर--]

इसलिये भी देना चाहता हूं कि हमारे अनुरोध पर मा0 मंत्रीजी ने हमारी विमुक्त जाति को भी अनुसूचित जाति में शामिल करने का अनुरोध किया है केन्द्र सरकार से इसलिये मैं बधाई देना चाहता हू और मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और मा0 रावत जी से अनुरोध करता हूं कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं मा0 रावत जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी काफी चर्चा हुई और मा0 मंत्री जी ने विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों की बुद्धिमानी पर शंका भी व्यक्त कर डाला। मान्यवर, किसी भी व्यक्ति की बुद्धिमानी, कार्यक्षमता उसके विचार एवं कार्यकलापों से ही आंकी जाती है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी को इस पक्ष में भी बोलने का और कटौती का प्रस्ताव रखने का मौका मिला था और आज सत्ता की तरफ से बजट क प्रस्ताव भी रख रहे हैं। मान्यवर, इनके दोनों रूपों में हमने इनके विचारों को सुना और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी खुद की बुद्धिमानी देखने के लिए इनका जो बजट का प्रस्ताव है और जनता शासन में इन्होंने जो कटौती के प्रस्ताव में बोला उसको देखें तो ज्ञात हो जायेगा कि मंत्री जो के विचार कितने उत्तम हैं कितने नीतिगत बातों की इन्होंने चर्चा की है। मान्यवर हंडिया का चावल सिर्फ एक ही देखकर पता लगाया जाता है कि पक गया है कि नहीं। मान्यवर, मैं गोरखपुर की तरफ इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो गंडक समादेश है इसमें हरिजन का आरक्षण जो होना चाहिये वह वहां नहीं हो पाया। वहां हरिजनों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहां दो अधिकारी लोग पंडित बैठे हुए हैं। वहां तमाम नियुक्तियां की गई गंडक परियोजना और प्राधिकरण में वहां हरिजनों का कोटा देना तो दूर रहा लेकिन उनको प्रोन्नति का भी बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया। दूसरी तरफ इसी विभाग में हरिजन कोटे में जो प्रोन्नति का कोटा है उससे भी वंचित रखा गया है। वहां जो दो-एक हरिजन हैं उनकी भी प्रोन्नति नहीं की जा रही है।

मान्यवर, इससे वहां पर बहुत ही असंतोष है कर्मचारियों में और हरिजनों में। उस तरफ मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरी चीज इनका विकलांग वर्ष मनाया गया और सौभाग्य से वह मा0 मंत्री जी के पास ही मामला है। परमंश मल्ल विद्युत वितरण खण्ड प्रथम गोरखपुर को एक वर्ष पूर्व मेडिकल बोर्ड ने अपना सर्टीफिकेट दे दिया कि यह काम करने लायक हैं लेकिन अधिकारियों के चक्रव्यूह में फंसकर वह आज तक सेवा से वंचित है और दाने-दाने को मोहताज है। इसी तरह से गोरखपुर में एक सहकारी मोटर सेवा केन्द्र हरिजनों ने खोल रखा है। मान्यवर, अनुसूचित जाति वित्त नि म से एक पत्र भी बैंक को डाला गया कि यह जो मार्जिन है वह बैंक देगा लेकिन इसके बावजूद वे हरिजन मारे-मारे फिर रहे हैं और उनको ऋण की सुविधायें नहीं उपलब्ध हो पायी है। ये तीन मामले हैं जिनकी तरफ मुझे माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना है। गोरखपुर जिले के ही तीनों मामले हैंमान्यवर, आज बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज हरिजनों के बारे में जो बातें कही गयी हैं और घड़ियाली आंसू बहाये गये हैं, ये सारे तमाशे किये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो यह बजट माननीय मंत्री जी ने रखा है और पैसे की मांग की है,मेरा तो कहना यह है कि अगर माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान नहीं होता तो आज हरिजनों की जो हत्यायें हो रही हैं उसके लिये आज यह सदन से गोल्ड मेडल की भी मांग करते। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि साढ़ूपुर, देवली आदि स्थानों में हरिजनों की जो सामूहिक हत्यायें हुई हैं और जिस तरह से आज हरिजनों के अन्दर असुरक्षा की भावना व्याप्त है, उस पर माननीय मंत्री जी अपनी भाषा के जरिये प्रदेश की जनता को कुछ भी कहें लेकिन जब

तक कोई ठोस कार्यक्रम, कोई कारगर कदम नहीं उठायेंगे तब तक इस प्रदेश के हरिजनों के अन्दर सुरक्षा की भावना किसी तरह से नहीं हो सकती। मैं कहना चाहूंगा कि आज माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह हरिजनों के लिये बहुत ही कम है। मैं चाहता हूं कि अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों से विचार करके इस बजट को बढ़ावें और हरिजनों के लिये और भी अधिक बजट का प्राविधान करें। इन शब्दों के साथ मैं बजट के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हू।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने आज हरिजन कल्याण विभाग के बजट पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। हमारे हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बहुत तेज मालूम पड़ते हैं और आप विरोध पक्ष के नेता होकर जिन नीतियों के लिये बराबर सुझाव देते रहे हैं उसका पालन भी कर रहे हैं। आपने जो पेंशन, छात्रवृत्ति और छात्रावास और अन्य विभिन्न योजनायें निर्धारित करके हरिजनों का कल्याण करने की बात कही, उससे जरूर उनका कुछ लाभ दिखलायी पड़ता है। लेकिन मैं एक सुझाव दूंगा और आप से मेरा यह निवेदन है कि अगर आप हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं तो उस पर आपको विशेष रूप से विचार करना पड़ेगा। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान्ट की योजना चल रही है हरिजनों के आर्थिक विकास के लिये। उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति वर्ष की आमदनी साढ़े तीन हजार और शहरी क्षेत्र में पूरे वर्ष की आमदनी 4200 आंकी गयी है इससे यह बड़ा स्पष्ट है कि वह बिल्कुल मजदूर हैं। रोज कमायेंगे और रोज खायेंगे। इसके अलावा उन के पास कोई भी साधन नहीं है। तो ऐसे लोगों को कर्ज और अनुदान देने की व्यवस्था है। इस के पहले भी गांवों में कर्ज दिया जाता रहा है और जिन को कर्ज दिया जाता रहा है वह कभी कर्ज से छुट्टी नहीं पा सके। बराबर वह बंधुवा बने रहे। ऐसा ही कर्ज आज भी सरकार द्वारा दिया जा रहा है उन के आर्थिक विकास के लिये। मैं कोई विरोध या समर्थन के सवाल को ध्यान में रखते हुए नहीं बोल रहा हूं। यह सच्चाई है कि निश्चित रूप से वह गरीबी में फंसा है। उससे वह निकल नहीं सकता क्योंकि जब उनको रोज कमाना और रोज खाना है। कर्ज दिया जायगा तो उस कर्ज की पूर्ति नहीं कर सकते। क्यों इसलिये कि उस के साथ जो अनुदान की व्यवस्था की गई है उस अनुदान का लाभ उन को नहीं मिलने वाला है। वह निश्चित रूप से रास्ते में खर्च हो जाता है। चाहे वह जिस पक्ष की सरकार रहे यह निश्चित रूप से नियत के खोटे लोग हैं। उस को खा जाते हैं और उन्हें (हरिजनों को) कर्ज में पलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस मामले में यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगर इन का आर्थिक कल्याण करना है तो या तो पूरा का पूरा इन को अनुदान दिया जाय। सरकार देख-रेख की व्यवस्था करके उन को उद्योग, व्यवसाय में लगा कर उन को स्वावलम्बी बनाये ताकि वह कर्ज तथा गरीबी से बाहर हो जाय। यदि यह संभव न हो इसलिये कि हम उन को देंगे तो खा जायेंगे तो फिर दूसरी बात मान लें कि उन को पूरा का पूरा कर्ज दे दीजिये। अनुदान छोड़ दीजिए। लेकिन उसके साथ सूद की कोई बाइन्डिंग न हो। बिना सूद के दीजिए। जब सूद नहीं रहेगा तो उनके सामने यह कहने को नहीं रहेगा कि हमारा इतना फलां ने खा लिया और उनको भी स्वयं खाने में खर्च करने में घबड़ाहट होगी। इसलिए यदि आप पूरा का पूरा अनुदान देने की बात स्वीकार नहीं करते तो कर्ज ही उनको दे दीजिए। मूल ही लिया जाय। सूद न लिया जाय जिससे कमा के वह वापस कर सकें और उनको कमाई से लाभ भी हो। यह व्यवस्था की जाय।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर हरिजन कल्याण विभाग कायम किया गया है तो हरिजनों स संबंधित कल्याण की और योजनायें जो हैं उनको अन्य विभागों से संबंधित न किया जाय पूरी की पूरी हरिजनों के कल्याण से संबंधित योजनायें हरिजन कल्याण विभाग

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–]

के द्वारा क्रियान्वित करायी जाय। यह मेरी मांग है। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, पांच मिनट दे दें.....

श्री अधिष्ठाता––

दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री––

पांच मिनट दे दें, मान्यवर। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति जो दीजाती है हरिजनों को यह स्पष्ट और साफ बात है कि कोई भी विद्यालय समय से उनके प्रार्थना-पत्रों को नहीं भेजता, समय से उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। शायद इसमें हमारे मंत्री जी ने चेक की व्यवस्था की है तीन महीने में उनके यहां चला जायगा। लेकिन इसके अलावा और बहुत सी बाधायें उनके सामने खड़ी की जाती है।

मैं मांग करता हूं कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग अन्य विभागों की अपेक्षा थोड़ा बहुत हरिजनों के कल्याण की बात सोचता है इसलिए जिला हरिजन अधिकारी को इन्सपेक्टर आफ स्कूल के बराबर शिक्षा के मामलों में अधिकार दे दीजिए कि अगर कोई हरिजनोंके मामले में गड़बड़ी करता है तो सीधे-सीधे उसकी देख-रेख हो जाय और उसका निवारण हो जाये। अगर आप हरिजन कल्याण के संबंध में कोई योजना बनाते हैं तो उसके लिये स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। मेरा सुझाव है कि हर ब्लाक स्तर पर सुपरवाइजर नियुक्त किये जांय जिससे हरिजन कल्याण से संबंधित हर योजना को सफल बनाया जा सके और उसको स्वावलम्बी बनाया जा सके। एक बात और कहना चाहता हूं। एक होता है कहना और दूसरा होता है करना अगर नीयत ठीक है, अगर कथनी के साथ-साथ करनी को भी जोड़ दिया जाय तो रोज-रोज का जो विवाद है वह समाप्त हो जायगा और यदि नहीं जोड़ा जाता है तो यह समझा जाता है कि नीयत खराब है। यदि नीयत खराब न होती तो चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हरिजनों के ऊपर उत्पीड़न न होता। यह कहा जाता है कि उत्पीड़न का प्रतिशत कम है। अगर ऐसा है तो संख्या के आधार पर और उसी के मुताबिक ही उनका उत्पीडन और हत्या की जाय। अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो वह गलत बयान देता है। इसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश के हरिजन अफसरों में बड़ी चर्चा है कि उनकी इन्क्रीमेन्ट खराब की जा रही है और वह भी जान-बूझकर। इसलिये कि आगे प्रमोशन न पा सकें। मान्यवर, मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन इसी सचिवालय के अन्दर पता चला है कि गृहविभाग में 137 लोगों की भरती की गई जिनमें केवल एक व्यक्ति हरिजन है। ऐसी स्थिति में आपको सोचना पड़ेगा कि हरिजनों की कैसे सहायता की जाय।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप समाप्त करें।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री––

इन शब्दों के साथ, माननीय हरिजन कल्याण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हरिजनों के संरक्षण के लिये सब लोगों की नीयत ठीक रहेगी। इसके लिये सब लोगों को आगे आना चाहिए क्योंकि उनके पास (हरिजन क पास) कोई ताकत नहीं है। अगर ताकत से ही उनको आगे बढ़ना हो, तब तो दूसरी बात है। इन शब्दों क साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विधि की विडम्बना है कि राजा और रानी की सरकार के नेतृत्व वाली सरकार के माननीय हरिजन समाज कल्याण मंत्री ने हरिजन समाज कल्याण का बजट प्रस्तुत किया है। मान्यवर, चाहिए तो यह था कि आप न्याय करते। एक ओर राजा बैठा था तो दूसरी ओर प्रजा, तो कम से कम रानी को हटाकर प्रजा को ही बगल में बिठा दिया होता। यह ज्यादती हो रही है। जब एक बड़ी कुर्सी पर राजा और दूसरी बड़ी कुर्सी पर रानी, तो क्या करेगी मेहतरानी।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि हरिजन का वास्तविक कल्याण उस दिन होगा जब इस देश के अन्दर राजा और रानी बड़ी कुर्सियों पर नहीं होंगे और दूसरे जमीन उसके पास होगी जो अपने हाथ से हल चलायेगा, खेती करेगा और जो अपने हाथ से हल चलाने वाला नहीं होगा उसके पास जमीन नहीं होगी। वास्तविक कल्याण उस दिन होगा। उस दिन कल्याण होगा जब डाक्टर अम्मार रिजवी साहब आप अपनी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी से प्रार्थना करें, उनकी खुशामद करें कि हरिजनों के कल्याण के लिए देवीजी जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम एक सिद्धांत के आधार पर बांध दो। अगर इस तरह से करेंगे तो हरिजनों का कल्याण हो जायेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तुलना कर लीजिये 34, 35 साल हो गये आपने कितने हरिजनों का कल्याण किया। दो करोड़ आपके प्रदेश में हरिजन हैं उनमें से कितनों का कल्याण किया गया। कल्याण तो तभी कहा जायेगा जब सड़क पर जूता गांठने वाला और पालिश करने वाला आदमी तथा सतुवा चबेना चबा कर दिन भर हल चलाने वाला आदमी जो है उसको अपने विकास का अवसर उपलब्ध हो जाय। जिस अनुपात में आप हरिजनों के कल्याण का राग अलापते हैं उनका हिसाब लगा लीजिये कितने लोगों का कल्याण किया है।

मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री श्री गुलाब सेहरा जी बड़े जोश-खरोश में यह निराधार बात जबान से निकाल गये कि जब आगरा में हरिजन मारे गये तो तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव जी यहां बैठ कर हंस रहे थे। मैं जानता हूं हम लोग उनकी मुस्कान के लिए तरसते थे। उनमें कभी ऐसी आदत नहीं थी। आप जब कभी रामनरेश यादव जी की बात करें तो उनकी तुलना अपने मुख्य मंत्री जी से करें। श्री रामनरेश यादव जी स्व0 लोहिया और कायदे इनकलाब लोकनायक जयप्रकाश के चरणों में बैठकर राजनीति प्रारंभ किये हैं। एक हाथ में उनके झंडा रहता था और कहते थे कि 'धन और धरती बट कर रहेगी भूखी जनता चुप न रहेगी, वह झंडे के साथ नारा लगाते रहे कि जो धरती को जोते बोवे वह धरती का मालिक है। उन्होंने वहां से अपना राजनीतिक काम शुरू किया, लेकिन आपके राजा साहब ने कहां से शुरू किया है? दिल्ली के मंदिर में बैठकर माला जपकर। तो दोनों में बड़ा फर्क है। जब कभी आप इस तरह की बात निकालें तो इस फर्क को जरूर सोच लें।

आपने एक बात कह दी कि विरोधी सदस्य सुबह चाय पीकर चले आयें और विपक्षी लोग कुछ पढ़ते-लिखते नहीं हैं। तो आज मैं माननीय मंत्री जी को पढ़ाना चाहता हूं अगर वह किताब लायें हों तो खोल कर देख लें। यह एक किताब है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों से संबंधित संयुक्त समिति का प्रतिवेदन। अगर उनके पास हो तो निकाल कर देख लें माननीय गुलाब सेहरा साहब इस समिति के सदस्य रहे हैं और मैं भी उसका सदस्य रहा हूं। उस समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं और माननीय सेहरा साहब ने कितना उसका पालन किया है जिसके वह स्वयं भी सदस्य थे जिस समिति के वह स्वयं सदस्य थे, इसकी प्रथम संस्तुति में यह उल्लेखनीय है कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों में कुछ विशेष जातियों को ही पहुंचा है। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे कि अनुसूची में

[श्री मोती लाल देहलवी--]

उल्लिखित सभी जातियों को आरक्षण का लाभ समान रूप से मिले।" क्या आपने इस प्रथम संस्तुति पर ध्यान दिया है और अगर दिया हो तो मैं यह जानना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों में से ऐसी जातियां जिनका जिक्र सत्ता पक्ष के माननीय दशरथ राजभर और अन्य सदस्यों ने किया, जिनकी ओर संकेत किया, उनके बारे में आपने सरकार में बैठकर अपनी इन सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या कदम उठाए हैं। आप बता दीजिएगा जबाव देते समय।

श्री गुलाब सेहरा--

बता दूंगा।

श्री मोतीलाल देहलवी---

वकील के पास तो कोई कत्ल करके भी आए तो उसका तो धन्धा ही उसको छुड़ाना है। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, कब से भूखा प्यासा बैठा हुआ बोलने के लिये उठा-बैठी कर रहा हूं, थोड़ा समय और दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट का समय आप लें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, दूसरी सिफारिशें भी हैं और बहुत सी सिफारिशें हैं, मैं कहां तक इनको पढ़ाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप इनको अपने क्लास में बुला लीजिए।

श्री मोतीलाल देहलवी--

खैर मैं क्लास में बुला लूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस समिति में आप थे, आपने जो स्वयं सिफारिशें की हैं, उन्हें आप लागू करें। इस बजट को प्रस्तुत करते समय आपने न जाने कितने अनुदान देने के आइटम गिनाए। मैंने उसी समय कहा था कि अन्धा बांटे रेवड़ी, मुड़-मुड़ कर आपन को दे। रियासत हुसैन साहब ने कुछ संकेत किया था कि हरिजन संबंधी आपकी केवल तीन नीतियां हैं। मैं उससे अलग जाकर आपकी नीतियों का विश्लेषण कर रहा हूं आपकी नीतियां हैं 'दाना बिखराओ, जाल बिछाओ और पकड़-पकड़ खाओ'। आपकी जो नीति है वह हरिजन के वोट को बंडल समझकर बटोरने वाली नीति है। तो जो आपन अ.ज घोषणा की है, यदि सही मायने में आप उसे लागू करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार कल माननीय खाद्य मंत्री जी ने, जो समाजवादी रहे हैं और माननीय रामनरेश जी के साथ रहे हैं, घोषणा की है कि जो भी वितरण कार्य होगा उसकी सूची क्षेत्रीय सदस्य (विधायक) को दी जाएगी, वैसा ही आप भी करें। आप भी उसी प्रकार की घोषणायें करें, जब आप उसका जवाब दें। वरना होता यह है कि बोट बटोरने के लिये हर तरह के अनुदान आदि उन लोगों को ही दिए जाते हैं, जो आपको वोट देने और दिलाने का काम कर सकें। यदि आप अपनी घोषणा को सही मायने में ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं तो आप ऐसी घोषणा करेंगे और हम उसका स्वागत करेंगे। लकिन आप करेंगे नहीं। इसके मेरे पास उदाहरण है। मान्यवर, एक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद् है,

जिसके अध्यक्ष दिल्ली में माननीय मकवाना साहब हैं। उसी की एक समिति कानपुर जनपद में भी बनी हुई है और वहां जो उपाध्यक्ष हैं वह कांग्रेस (इ) के हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा जाली फर्जी काम किया है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वित्त निगम के नाम से उन्होंने प्रति व्यक्ति 130 रुपया ले लेकर लोगों को अनुदान दिलाने का बैंक से एक अभियान चलाया। कई लाख रुपया जमा हुआ और मान्यवर, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक भी हरिजन को अनुदान नहीं मिला, सब को गोल कर गये। जो अनुदान देंगे उसका उपभोग कौन करेगा ? आपकी तरफ से जाली, फर्जी लोग, आप इसकी जांच करा लीजिये ?

इन शब्दों साथ मैं आशा करता हूं कि हमारे हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी अब वह गलती नहीं दुहरायेंगे। मान्यवर, सदन जानता है कि माननीय रियासत हुसैन साहब ने देवली और साढ़ूपुर कांड के बारे में एक हमदर्दी का प्रस्ताव रखा था लेकिन अफसोस की बात है कि अपने भाषण में उन्होंने उसकी निन्दा की थी। ..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप का समय समाप्त हुआ आप बैठिये।

श्री मोती लाल देहलवी---

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करता हूं।

श्री कन्हैया लाल महेन्द्रू---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह बजट प्रगतिशील, क्रांतिकारी एवं बहुमुखी है और मैं समझता हूं कि इस बजट से प्रदेश में एक नयी आशा की लहर पैदा हुई है।

मान्यवर, हरिजन भाई हमारे सदियों से दबे हुए हैं। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा उनके कल्याण की और उनको आगे बढ़ाने का यत्न किया है और उनकी शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान देने की बात को कहा है। अगर वे शिक्षित नहीं होते हैं तो जो सुविधायें उनको मिलती हैं, ये उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। जो सुविधायें उन लोगों के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध हैं, उनका पता लगाने के लिये उनके पास कोई साधन नहीं होते, वहां तक पहुंचने के लिये उनके पास कोई फोरम नहीं होता है जिससे उनको उनका लाभ पहुंच सके। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इनकी बुनियादी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाय ताकि जो उनके अधिकार हैं, उनके ऊपर ये ध्यान दें।

(4 बज कर 29 मिनट)

दूसरी बात विधवाओं को पेंशन देने की बात है, उसके लिये माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बजट में बढ़ोतरी की है कि यह जो इनकी पेंशन होती है, वह सालाना दी जाती है, इसकी जगह पर उसको मासिक करा जाय ताकि उन लोगों को अपना खर्च चलाने में आसानी रहे और सामाजिक बुराइयों से वह अपने को बचा सकें। दूसरी बात जो हरिजन की बस्ती बनाई जाती है, वह शहर से इतनी दूर होती हैं, वह हमारे हरिजन भाई वहां पर जाना पसन्द नहीं करते हैं और वे शहर से दूर गन्दी बस्ती में रहते हैं मेरा सुझाव है कि उनको अनुदान दिया जाय ताकि वह जनता में मिलजुल कर रहें और अलगाव की भावना से बचे रहें, तभी उनका

[श्री कन्हैया लाल महेन्द्रू--]

स्तर आगे बढ सकता है। इन बस्तियों में शौचालयों की बड़ी कमी है,जिसकी वजह से हमारी हरिजन महिलाओं को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है । जहां-जहां पर मैं जाता हूंवहां पर यह शिकायत होती है कि हमारी बस्तियों में शौचालय नहीं हैं । बड़ी छोटी चीज हैं, लेकिन बहुत महत्व-पूर्ण है। वित्त निगम द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, उसके जो नियम हैं, वे इतने कठिन हैं, उनके बारे में हमारे हरिजन भाई, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, वे जानकारी नहीं कर पाते हैं । जो गरीब लोग हैं, वे उन चीजों का लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं और जो थोड़ा पढ़े-लिखे हैं, वह लोग उसका फायदा उठा पाते हैं । उनके पास कोई आवाज नहीं है, जो दबे हुए हैं, वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं । इसलिये शिक्षा के विषय में भी ध्यान देने की जरूरत है ।

मेरा सुझाव है कि औद्योगिक संस्थान की स्थापना की जाय ताकि जो हमारे हरिजन बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ रहे हैं, वह उन्हें रोजगार दिलाने में प्रयत्नशील रहे । बालवाड़ी परियोजना जो हमारे लखनऊ में चल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह परियोजना हमारे लखनऊ के करीब पश्चिमी क्षेत्र में चल रही है, जो बिलकुल कागज पर है, जहां पर भारी भ्रष्टाचार होने की सम्भावना है । इसकी जांच कराई जाय और आप इसको देखें तो आपको पता चल जायगा कि इसमें काफी भ्रष्टाचार और गोलमाल है । उसमें विधवाओं और महिलायें हैं, उनकी जो स्थानीय कला है, उसकी दस्तकारी के केन्द्र खोले जायं और वहां पर उनको शिक्षा दी जाय, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपना भविष्य बना सकें । यह मेरा सुझाव है । जो सुविधायें सरकार ने उपलब्ध कराई हैं, उनकी जानकारी के लिये कोई माध्यम होना चाहिये ताकि जो हरिजन भाई हैं, चाहे वे गांवों में रहते हों या शहरों में रहते हों, वे जान सकें और अपनी सुविधायें लेने के लिये आगे बढ़ें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें । मान्यवर, जो लोग बिलकुल अक्षम एवं विकलांग हैं और जिनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, उनको सरकार की तरफ से दो हजार रुपये या ढाई हजार रुपये का अनुदान देकर अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिये, ताकि वे आपके सहारे न रहें । जो बिलकुल अक्षम हैं, उन्हें विधवाओं की तरह से पेंशन दी जाय ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो कर आत्म निर्भर बन सकें ।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें, आप ।

श्री कन्हैयालाल महेन्द्रू--

मान्यवर, जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं और इस बजट का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह बजट हमारे बीच में एक नई रोशनी लायेगा ।

श्री सन्त बक्स रावत--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया और साथ ही साथ मैं उस पक्ष के माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने भाषण के दौरान अधिकांशत: मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया परन्तु औपचारिकता वश बजट के समर्थन की बात कहीं है । माननीय सदस्य श्री जेतली ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जब अन्नपूर्णा भोजन परोसे त भी कोई आदमी सन्तुष्ट न हो

मैं कहना चाहता हूं कि यह हरिजन विभाग को अन्नापूर्णा ऐसे जो बात करती हैं। स्थिति ऐसी है कि इस बजट से हरिजनों को कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल यह कहने से कि खाना देंगे सन्तुष्ट होना सम्भव नहीं है। माननीय माधव ने अपने भाषण के दौरान कहा कि प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने निर्देश दिया है कि जब तक 18 प्रतिशत कोटा पूरा नहीं हो जाता है सभी विभागों में स्थान रिक्त रखें जायेंगे। इस सम्बन्ध पें मैं कहना चाहूंगा कि जनवरी, फरवरी, 1982 में कांग्रेस आई के एम0एल0सी0 उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री बाजपेयी जी ने अनधिकृत समिति के माध्यम से नियुक्तियां की है। इसमें केवल 2 अनुसूचित जाति के लोगों को रखा है।

मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी में दमखम हो अपने बचन को निभाने की तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंइतना ही नहीं मान्यवर, राज्य सम्पत्तिविभाग में वित्तीय वर्ष 1981 82 में 60 नियुक्तियां की गई हैं इसमें भी अनुसूचित जाति के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यदि राज्य सम्पत्ति अधिकारी के खिलाफ यह सरकार कार्यवाही करें तो मैं समझूंगा कि हरिजनों के लिये यह सरकार कुछ करना चाहती है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूंकि1977की जनवरी से मार्च 80 तक375 सवर्ण अध्यापकों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा में राजपत्रित पदों पर 450–950 के वेतनमान में पदोन्नत किया गया है किन्तु अनुसूचित जाति के एक भी अध्यापक को राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति नहीं दी गई। मान्यवर, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थशिक्षा सेवा में राजकीय वेतनमान में अनुसूचित जाति का कोटा 2–4 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति है तो हरिजनों का उद्धार कैसे हो सकता है। दूसरे जब माननीय मंत्री जी नेइस पक्ष में बैठकर कटौती का प्रस्ताव पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि 1959 में एक समिति राधा कृष्णन बनी थी।'जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि छुआछूत तब दूर होगी जब हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी इसके लिये यह सुझाव कमेटी ने दिया था कि कोटा परमिट लाईसेन्स'में हरिजनों को आरक्षण दिया जाय, गवर्नमेन्ट अन्डर टेकिंग और कारपोरेशन में उनको लेना चाहिये। लेकिन मान्यवर, जब आज मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है तो हरिजनों की इस बात के लिए कुछ नहीं कहा बल्कि यह कहा कि जो मैंने विरोध पक्ष में कहा था उसकी अधिकांश बातों को शामिल किया गया है।

मैं पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में कहना चाहता हूं मान्यवर, बराबर कांग्रेस आई के लोग इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। मान्यवर, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति को आरक्षण मिलना ही चाहिये।

इस संदर्भ में महात्मा गांधी और डा0 लोहिया के जो विचार आरक्षण के संबंध में हैं मैं उनको कोट करता हूं:—

"आरक्षण अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को उठाने का एक साधन है।" डा0 राम मनोहर लोहिया इसे विशेष अवसर का सिद्धान्त कह कर पुकारते थे। यानि जो लोग समाज में उपलब्ध अवसर से लाभ नहीं उठा सके उन्हें विशेष अवसर प्रदान किया जाय। डा0 लोहिया इस सिद्धान्त को आम सहमति से चलाना चाहते थे। वे यह भी चाहते थे कि अगड़े लोग स्वयं पिछड़ों के लिये अवसर का लाभ प्रदान करें। देश में हरिजनों के लिये आरक्षण गत 28 वर्षों से लागू है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है कि जब सदन में कोई चीज पढ़ी जायगी तो उसकी प्रति आपको दे देंगे, तो क्या प्रति दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

जिस पुस्तक से पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ दे दें।

श्री सन्त बक्स रावत—

माननीय, यह मैं विधान पुस्तकालय (शोध एवं संदर्भ शाखा) उत्तर प्रदेश अनुभाग में अनुसूचित जातियों, जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में है जो विधान पुस्तकालय में उपलब्ध साहित्य सामग्री के आधार पर छपी है उसमें से पृष्ठ 9 पर पहले पढ़ा है और अब पृष्ठ 20 से पढ़ रहा हूं—

"प्रदेश की जनता सरकार का यह कहना बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को उसने मात्र 15 प्रतिशत आरक्षण दिया है, जो सबसे कम है। पड़ोसी बिहार में आरक्षण इससे अधिक 26 प्रतिशत है। कांग्रस (ई) द्वारा शासित दक्षिण के कर्नाटक राज्य में 38 प्रतिशत तथा आन्ध्र में 25 प्रतिशत है। अन्ना-द्रमुक द्वारा शासित तामिलनाडु में 31 प्रतिशत तथा कांग्रेस व दक्षिणी पंथी कम्युनिस्टों द्वारा शासित केरल में 38 प्रतिशत है। यह स्वतंत्र भारत में 24 जनवरी, 1979 को छपा है।

माननीय, ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान और एकीकृत कार्यक्रम विकास योजना के बारे में उल्लेख किया है तो यह ऐसी योजनायें हैं जो विकास खंडों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। इनके अन्तर्गत प्रदेश के हरिजनों को जो अनुदान दिया जाता है वह विकास खंड के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मिलकर खा लिया जाता है और हरिजनों के हिस्से में ऋण का पूरा हिस्सा नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि यह नेक नीयती से हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं तो उन्हें आप केवल ऋण के रूप में अन्यथा सारा अनुदान जो दिया जाता है उससे हरिजनों को कोई लाभ नहीं होगा।

माननीय, प्रदेश के निदेशक श्री चन्द्रा हैं जिनके बारे में तमाम चर्चायें हुई, सुना है वह सीतापुर और आजमगढ़ में डी0 एम0 रहे और वहां जो हरिजनों के शोषण के संबंध में किया वह अद्वितीय है जिसकी जानकारी माननीय, आपको भी होगी, वह इसलिये लाभ उठाते हैं कि वह सेहरा जी के रिश्तेदार हैं, तो ऐसी स्थिति में हरिजनों का कल्याण होगा ऐसी संभावना नहीं है। अभी लखनऊ जनपद में पिछले वर्ष एक हरिजन सुपरवाइजर जो 7 वर्षों से कार्य कर रहाथा उसका ट्रांसफर किया गया लेकिन एक सवर्ण जो 11 वर्ष से काम कर रहा था उसका स्थानान्तरण नहीं किया गया, रोक दिया गया। ऐसी स्थिति में यह अनियमिततायें आपके निदेशालय स्तर से होती है और आपके विभाग में ही हरिजन अधिकारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

स्थानान्तरण में भी कोटा तो नहीं है।

श्री सन्त बक्स रावत—

माननीय, यह तो मंत्री जी बता पायेंगे। माननीय, सचिवालय में अवर वर्ग और प्रवर वर्ग सहायक, 10, 10 वर्षों से अनुसूचित जाति के लोग एक ही पदों पर बन हैं उनकी पदोन्नतियां नहीं हुयी हैं जिनके परिणाम स्वरूप इनमें अन्य विभागों की भांति असंतोष

व्याप्त है। तो आप इस बात की व्यवस्था करें ताकि अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा हो। मान्यवर, सुन्दर सिंह जी ने कहा था कि आरक्षण हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग नहीं देखता है यह एकीकरण विभाग देखता है। एक कमिश्नर अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है उसको देखने के लिये बैठा है लेकिन उसके पास ऐसा अधिकार नहीं है कि वह आरक्षण का कोटा पूरा करा पाये। उसको आपको ऐसा अधिकार देना चाहिये जिससे वह सभी विभागों में आरक्षण के कोटे को पूरा करा सके। जब तक आप अपने कमिश्नर को शक्तिशाली नहीं बनायेंगे तब तक आपके प्रदेश के हरिजनों का कल्याण नहीं होगा।

मान्यवर, अभी संकठा प्रसाद शास्त्री जी ने जो अपने विचार रखे यह बहुत बड़ी बात है कि एक सत्तापक्ष के विधायक ने निष्पक्ष भाव से जो सत्यता है उसको सदन में प्रकट किया उन्होंने कांपोनेंट स्कीम के बारे में विचार व्यक्त किये उससे मंत्री जी सहमत होंगें और मंत्री जी को चाहिये कि शास्त्री जी की बातों को शत-प्रतिशत मान लें। मान्यवर, अभी टांडा विद्युत प्रतिष्ठान, फैजाबाद में डा0 अंबेदकर के नाम से श्री गोपीनाथ वर्मा ने एक शिलान्यास किया था। संविधान के विधाता माननीय डा0भीमराव अम्बेदकर जिनके नाम का कोई संस्थान नहीं है और यह पहला संस्थान था जिसका शिलान्यास गोपी नाथ वर्मा जी ने किया था लेकिन आपकी प्रधान मंत्री जब टांडा पहुंची तो आपके मुख्य मत्री ने यह घोषणा कि इस प्रतिष्ठान का नाम संजय गांधी प्रतिष्ठान रखा जायगा। ऐसी स्थिति में अगर आप टांडा विद्युत प्रतिष्ठान का नाम डा0भीमराव अम्बेदकर केनाम से रखें ताकि हरिजन अपने को गौरवान्वित अनुभव कर सकें। मान्यवर, इसके साथ साथ श्री गोपी नाथ वर्मा जी ने कुछ आंकड़ों सहित सूचना दी जिसमें नरेन्द्र इंटर कालेज जनपद फैजाबाद के बारे में है, वहां हजारों रुपये अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति का मामला है उसको भी आप देखें और जब आप उत्तर दें तो बतायें कि इसमें आप क्या कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे कटौती के प्रस्ताव को मान लें।

(हरिजन तथा समाज कल्याण राज्य मन्त्री को पुकारे जाने पर।)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, बस्ती जनपद में लाखों रुपये की हरिजन छात्रवृत्ति का घपला है। उसकी रिपोर्ट हरिजन कल्याण अधिकारी तथा जिलाधिकारी ने दी है। लेकिन निदेशालय से प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। सारे मंत्री वहां जाकर चाय पीते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह आपने भाषण दिया है या स्पष्टीकरण मांगा है, आप बैठ जाइए ।

श्री यदुनाथ सिंह—

एक लाख की आबादी में मिर्जापुर और वाराणसी भी हैं, उनको भी सूचीबद्ध करें।

श्री अधिष्ठाता—

आप सभी लोग बैठ जाइए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गुलाब सेहरा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसी परम्परा रही है कि कटौती का प्रस्ताव जब किसी बजट पर दिया जाता है तो कुछ सुझाव दिये जाते हैं और ऐसे सुझाव जिनका कुछ मूल्य हो कुछ उसका महत्व हो। भाई रावत जी ने कटौती का प्रस्ताव दिया तो जरूर, लेकिन ऐसा लगता है कि देने से पहले किसी ने कहा कि आपको केवल विरोध ही करना है और कुछ नहीं करना है। सान रखने वाले की दुकान में जो चक्का खींचता है उसे ज्यादातर अन्दर रखा जाता है, उसे मतलब नहीं है कि धार कैंची पर चल रही है या छुरे पर चल रही है। उसका काम तो बस खींचना है और वह खींचता चला जाता है।

(हंसी)

(इस समय 4 बजकर 47 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आपने मेरे भाषण का जिक्र किया कि 1968 में डा0 राधाकृष्णन कमेटी बनी थी। आपको पता होना चाहिये कि गवर्नमेंट के आर्थिक कार्यक्रम में जितने भी लाइसेंस और परमिट दिये जाते हैं, उसमें सबसे पहले किसको प्राथमिकता होती है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो देख लें।

आपने स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के बारे में अभी जिक्र किया। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान्ट में जो ए0 डी0 ओ0 और ए0 डी0 डी0 ओ0 रखे जा रहे हैं उसमें 50 प्रतिशत हरिजनों के आरक्षण है क्योंकि इसमें उनकी जानकारी होगी और इसका कार्यान्वयन सफलता से करा पायेंगे।

लोगों ने कई बातें उठायीं लेकिन मुझे कहीं–कहीं ऐसा लगा कि या तो उन्होंने पूरी पुस्तक नहीं पढ़ी या हरिजन मन्त्रालय के विभिन्न कार्यों की विवेचना या विश्लेषण उन्होंने कभी सुना नहीं। कई चीजें ऐसी उठायी गयीं। भाई अकबर हुसैन ने उठाया कि थारू जाति के लिये हरिजन मन्त्रालय की ओर से क्या किया जा रहा है। जातियां तो और भी हैं जैसे भोटिया, कोल, भील इत्यादि 5 जातियां हैं, इनकी सुरक्षा के लिये, विकास के लिये अनुसूचित जाति, जनजाति तराई निगम बना, जिसकी अलग-अलग मदों में करीब एक करोड़ रु0 इन जातियों के उत्थान के लिये लगाया जा रहा है, उसमें यह प्रश्न करना कि थारू जाति के लिये क्या हो रहा है।

भाई रियासत हुसैन जी ने और मेरे सम्मानित सदस्य मेरे पुराने साथी देहलवी साहब ने एक प्रश्न उठाया कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो संयुक्त समिति है, उसके प्राविधान का जिक्र किया और बार–बार एक बात पर बहुत जोर दिया कि–'प्राविधान पढ़ा है? प्राविधान देखा है? श्रीमन्, इस समिति का मैं चेयरमैन रहा, देखा नहीं बल्कि मैंने बनाया है।

(मेजों की थप थपाहट)

और रियासत भाई ने एक प्रश्न उठाया और वह प्रश्न राजनीति से प्रेरित था, अनुसूचित जाति में एक वर्ग भेद करने की बात थी,उस जाति में संघर्ष पैदा करने की बात थी, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

पैदा तो आप कर रहे हैं, हम तो उस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा--

अनुसूचित जाति की उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है उसमें 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं। एक वर्ग विशेष की बात जो की गयी है उसकी संख्या 15 से 16 के बीच में आती है। अनुसूचित जाति का कोई विज्ञापन निकलता है तो उनके लिये कोई रोक नहीं होती है। अनुसूचित जाति के लोग सेलेक्शन नहीं करते हैं, सेलेक्शन में तो अन्य जाति के लोग होते हैं, फिर यह कहना कि जाति भेद किया जाता है यह कोई शोभनीय बात नहीं है, बहुत बुरी बात है और मुझे इससे बहुत क्लेश होता है।

श्री रियासत हुसैन --

मंत्री जी एक बात का उत्तर दे दें कि यह जो 66 जातियों को आपने बताया है इसमें अलग-अलग आपने कितना-कितना शेयर दिया है इनको यह हम अपनी जानकारी के लिये जानना चाहते हैं।

श्री गुलाब सेहरा--

यानी उसका सूत्र डालना चाहते हैं। हमारे यहां कोई वर्ग विभेद या जाति विशेष का प्रश्न नहीं है। जितनी आबादी ज्यादा होगी उसके अन्दर सुटेबिल कैन्डीडेट ज्यादा होंगे चाहे आपकी सरकार हो या चाहे हमारी सरकार हो आप बुद्धिजीवियों को रोक नहीं पायेंगे।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं मंत्री जी की सफाई कर दूं। मान्यवर, इसका क्या इलाज है कि जैसे मंत्री जी कह रहे हैं आज ही यह बात प्रकाशित हुई कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने-दो राज्य मंत्रियों के पुत्रों को अपात्र होते हुए भी एच0 टी0 बी0 आई0 में प्रवेश दिला दिया। इसका क्या इलाज है ? आपको उनकी योग्यता के बारे में क्या कहना है ?

श्री गुलाब सेहरा--

कहां से यह खबर लाये हैं आप ?

श्री कुबेर भण्डारी--

"आज" अखबार की प्रति लहराते हुए कहा कि इसमें लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। मंत्री जी खड़े है और भाषण जारी है ।

श्री गुलाब सेहरा--

एक माननीय सदस्य श्री गौरी शंकर जी ने कहा कि अनुसूचित जाति का देउली और साढ़ू पुर के हत्याकाण्ड का हवाला दिया और हिंसा की बात कही और परम पूज्य डाक्टर अम्बेदकर का नाम लिया। मैं तो पूछना चाहता हूं कि डाक्टर अम्बेदकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि समता और बन्धुत्व का भाव उन्होंने जो संविधान में डाला है वह फ्रांस की खूनी क्रान्ति से नहीं लिया है बल्कि हमने उसे भगवान बुद्ध के सूत्रों से लिया है। डाक्टर अम्बेदकर का नाम लेने वाले व्यक्ति अगर हिंसा की बात करते हैं तो उन्हें नहीं मालुम है कि भगवान बुद्ध जिसने थानेश्वर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा सन्थाल से लेकर जिसकी वाणी हिमालय

[श्री गुलाब सेहरा--]

की 600 मील चौड़ी बर्फ से ढकी पहाड़ियों को पार करके चीन तक गयी है. उसे बाबा परम पूज्य अम्बेदकर जी के नाम के साथ हिंसा को जोड़ना, एक ऐसी स्थिति को पैदा करना है जिसमें कटुता झलकती है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों का थपथपाया जाना)

श्री रियासत हुसैन--

आगरे के अन्दर किसने जोड़ा था, आपने या किसी दूसरे आदमी ने ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने बिल्कुल प्रारम्भ में कहा स्वैच्छिक संस्थाओं का वजीफा, पुराना सिस्टम सब चेंज हो गया और अब 28 बिन्दुओं पर जांच पड़ताल होने लगी है तथा प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी निश्चित कर दी गई है।

कुछ लोगों ने स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में भैंस की खरीददारी पर उसकी व्यवस्था पर आपत्ति की मैं सूचना देना चाहता हूं कि अब हरिजनों के लिये यह कर दिया गया है कि अगर वे भैंस न खरीदना चाहें तो 5 हजार रुपये की जमीन खरीद कर उनको दी जायेगी। अब जानवर खरीदना आवश्यक नहीं रह गया है । लोगों ने कहा कि हर ब्लाक पर कर्मचारी नहीं हैं, तो जो 188 ब्लाक हैं, वहां पर ए0 डी0 ओ0 हरिजन रखे जा रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी रखे जा रहे हैं और 57 जीपों की व्यवस्था की जा रही है तथा इनमें अभी केवल 4 दिन पहले 50 मिल भी गई हैं जिनका आवंटन जिलों में कर दिया गया ।

आई0 टी0 आई0 की 8, माडर्न ट्रेंड की इन्स्टीट्यूशन्स, व्यावहारिक और आर्थिक उत्पादन के लिये, तीन जगह सेन्टर्स खोले गये हैं जिसमे टेक्निकल ज्ञान प्राप्त कर लोग अपनी रोजी-रोटी कमा सकें।

अनुसूचित जातियों के नवयुवकों को उच्च शिक्षा के लिये टीचिंग की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिये इन्स्टीट्यूशन्स खोले गये हैं ताकि उच्च श्रेणी की परीक्षाओं में जा सके।

जनजातियों में गोंडा और खीरी की परियोजनाओं में वहां के थारू, कोल, भील के लड़कियों के लिए शादी के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की जा रही है और समाज कल्याण के अन्दर दहेज के विरोध में, उससे होने वाली घटनाओं की जांच-पड़ताल के लिये एक स्टेटुटरी कमेटी प्रदेश लेविल पर बनायी गयी है जिसका कार्यक्रम शुरू होने वाला है।

श्री मसरूर जाफरी--

खादेय मंत्री जी ने कल घोषणा की है कि हर विधायकों के सूची मिलेगी जो सामान बंटेगा। तो क्या माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे कि जो अनुदान बांटा गया है उसकी सूची हर विधायक को देंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

आप तो बहुत पीछे की बात कर रहे हैं। मैंने तो किताब में पूरी लिस्ट दे दी है कि किन जिलों में कहां-कहां कितना रुपया बंटेगा।

श्री कुबेर भंडारी––

वह नहीं क्या आप मा0 विधायकों को यह लिस्ट देंगे कि किस क्षेत्र में कितना पैसा दिया जायगा ?

श्री मसरूर जाफरी––

जैसा कल मा0 खाद्य मंत्री ने घोषणा की क्या वैसी घोषणा आप करेंगे ?

श्री ऊदल––

मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, मा0 मंत्री जी से एक तो यह कि जो स्पेशल कंम्पोनेंट प्लान है यह योजना के बारे में क्या पूरी जानकारी आपके विभाग के सभी स्तर पर पूर्ण रूप से है ? अगर नहीं है तो उसके लिए क्या व्यवस्था आपने किया है ? दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि आप जब से हरिजन समाज कल्याण विभाग में आये हैं, जितनी गिरावट इस विभाग में आई उतनी दूसरे विभागों में नहीं आई है इसलिये मेरा निवेदन है कि क्या आप इसका पुनर्गठन करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा––

मैं केवल इतनी बात कहूंगा कि पिछले अनुदानों की पूरी जांच पड़ताल चल रही है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान केन्द्रीय गवर्नमेंट का प्लान है। उनकी निर्धारित नीति के अनुसार मात्रा की धनराशि की अलग व्यवस्था और उस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये, हर जगह अपना व्यक्ति लगाने के लिये पूरा का पूरा सक्षम अधिकारी, सक्षम कर्मचारी उस काम में लगाया जा रहा है जिससे गरीब का वाजिब हक उसको दिलाया जाय और इस चीज की चिन्ता मुझको भी है कि गरीब का वाजिब हक उस तक पहुंच जाय।

श्री मसरूर जाफरी––

क्या आप लिस्ट की घोषणा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष––

अगर ऐसे आप लोग बीच-बीच में बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह से रात भर हाउस चले ?

श्री गुलाब सेहरा––

वह स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान बी0डी0ओ0 या ए0डी0ओ0 से ले सकते हैं लेकिन ऐसा कह देना कि हमारा अधिकार नहीं है यह गलत है। मेरा मतलब है कि जितनी रुचि हम लोग ले रहे हैं उतनी ही रुचि आप भी लें और इसमें एक वाद की तरह से एक सचेत देखने के लिहाज से आप देखेंगे तो बहुत से काम जो रुके हुए हैं वह जरूर पूरे हो जायेंगे। प्रतिपक्ष के मा0 सदस्यों और मेरे पक्ष के मा0 सदस्यों ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और मैंने उनको नोटकर लिया है और मेरे क्रान्तिकारी घोषणाओं के प्रति उन्होंने मौन सहमति तो कही लेकिन साथ ही नई नई बातें कहते रहे हैं और आखिर में केवल वही एक रटी-रटाई बात कहते रहे। अन्त में मैं भाई रावत जी से कहूंगा कि बहुत सी क्रान्तिकारी बातों की जानकारी उन्हें नहीं थी जो आज हुई अत: वे इस समाज कल्याण के बजट पर गरीब के बजट पर अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें क्योंकि विरोध पक्ष का काम होता है कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना लेकिन इन महत्वपूर्ण घोषणाओं के पश्चात् आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मैंने मा0 मंत्री जी से दो बातों को पूछा था। श्रीमन, आपकी आज्ञा है ? मैं फिर से पूछ लूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब जब आप बोल ही रहे हैं तो आज्ञा का कहां सवाल है ?

श्री रियासत हुसैन--

मैं यह जानना चाहता था मा0 मंत्री जी से कि ए0 टी0 एस0 का जो आप देते थे 70रु0 उसमें आपने क्या कुछ बढ़ोत्तरी की है ?

श्री गुलाब सेहरा--

आश्रम पद्धति के जो स्कूल्स हैं, उनका स्कालरशिप पुनरीक्षण करके बढ़ा दिया गया है। जो पहले 100रु0 था उसे बढ़ा दिया गया है। मिर्जापुर दुद्धीवाले स्कूल जिसकी छत गिर गयी थी, उसके लिये हरिजन एवं निर्बल वर्ग निगम को रुपया दे दिया गया है और उसका निर्माण शीघ्र ही निकट भविष्य में होने वाला है। 25 लाख रुपये का जो जिक्र किया गया, इस रुपये से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनकी मरम्मत व नये निर्माण होने हैं उनको इस वक्त टेक अप किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

रावत जी, क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वासप ले रहे हैं ?

श्री सन्तबक्स रावत---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में ऐसीकोई बात नहीं कही जिससे हरिजनों की आशायें पूरी हों और आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार हो, फिर मैं कटौती का प्रस्ताव कैसे वापस ले सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कि अनुदान संख्या 79--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79 - हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,03,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत मेरे पास 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनम से मैंने श्री शंकरसिंह की सूचना को स्वीकार किया है जनपद फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र के ग्राम चतुर्भुज की सराय में पुलिस तथा दस्यु दल के बीच मुठभेड़ में एक नायब दारोगा की मृत्यु के सम्बन्ध में है।

श्री हरिवंश सहाय जी की सूचना भी उसी सम्बन्ध में है इसलिये उसको भी इसमें जोड़ दिया जायेगा।

माननीया गृह मंत्री जी अपना बयान देंगी।

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

अभी बयान दूंगी अगर आपकी आज्ञा हो।

(इस बीच श्री रियासत हुसैन तथा अन्य सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।)

(व्यवधान)

जनपद फतेहपुर के असोधर थाना क्षेत्र के ग्राम चतुर्भुज सराय में पुलिस तथा दस्यु दल के बीच मुठभेड़ में एक नायब दरोगा की मृत्यु के संबंध में वक्तव्य

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, दूसरा आइटम लेने से पहले इस पर वक्तव्य के लिये तारीख तो लगा दें।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीया गृह मंत्री ने अपना वक्तव्य पढ़ना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने घोषणा की थी कि मुख्य मंत्री की गैर हाजिरी में, जब कि मुख्य मत्री जी सदन में नहीं होंगे हम लोग गृह मंत्री के वक्तव्य को नहीं सुनेंगे। आज मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं इसलिये हमारी जनता पार्टी सदन का त्याग करती है।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये।)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

हमारी पार्टी ने भी घोषणा की थी कि जब तक मुख्य मंत्री सदन में नहीं आयेंगे हम लोग गृह मंत्री का वक्तव्य नहीं सुनेंगे। इसके विरोध में हमारी पार्टी सदन का त्याग कर रही है।

(श्री विद्यासागर नौटियाल अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय मुख्य मंत्री सदन में नहीं हैं, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री मोती लाल देहलवी अपने दल के कुछ सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

ऐसा वक्तव्य हम लोग सुनने के लिये तैयार नहीं हैं, इसलिये हम लोग सदन का त्याग कर रहे हैं।

(श्री कुबेर भंडारी भी सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इनके व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें, मान्यवर।

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गृह मंत्री जी.....

(व्यवधान)

(गृह मंत्री के बैठने पर)

एक साथ आठ आदमी बोलेंगे तो.....

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य संचालन हो रहा था । माननीय शंकर सिंह के द्वारा नियम 51 में सूचना दी गई। उसके बारे में आपने मा0 गृहमंत्री से पूछा कि कोई तिथि बतायें। माननीय गृह मंत्री ने बयान पढ़ना शुरू कर दिया। कौन सा बयान पढ़ा जा रहा है। जो मैंने मेरठ के बारे में दिया था वह पढ़ा जा रहा है या शंकर सिंह जी की सूचना में जो तिथि पूछी गई थी वह बयान पढ़ा जा रहा है। कोई सफाई नहीं हुई। बयान की कापी नहीं बांटी गयी। म जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी किस विषय की बात कर रही हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

आप ने सुना नहीं। शंकर सिंह जी की सूचना स्वीकार कर मैंने पूछा क्या आप तिथि बतायेंगी कब बयान देंगी, उन्होंने कहा अभी बयान दूंगी और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा कापियां वितरित की जायं । कापियां वितरित की गई.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कापियां कहां मिली। कापियां नहीं मिली। यह दूसरा बयान है। शंकर सिंह जी ने जो सूचना दी है उस का बयान कहां है.....

श्री उपाध्यक्ष--

एक बयान और भी है वह बाद में आयेगा.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

व्यवस्था तो इसी पर चाही थी। शंकर सिंह जी का बयान पढ़ा जा रहा है या....

(व्यवधान)

जब तक कापी नहीं बंटती तब तक हम कोई भी सुनने वाले नहीं हैं। यह निन्दनीय है, आपत्तिजनक है, संसदीय परम्परा के खिलाफ है, कापी नहीं है...

श्री हुकम सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, बार-बार आग्रह किया जा चुका है जब भी गृह मंत्री का यहां बयान हो माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां उपस्थित होना चाहिये लेकिन इतना कहने के बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं आते हैं और गृह मंत्री कोई उत्तर हमारी बातों का नहीं देतीं। इसके विरोध में हमारे उप नेता ने सदन का त्याग किया और हम भी उन्हीं के साथ सदन का त्याग करते हैं।

(श्री हुकम सिंह अपने दल के शेष सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय.....(व्यवधान).....गृह मंत्री का बयान हम सुनने के लिये तैयार नहीं है। मेरठ के बारे में बयान कहां है ? सरकार के पास जानकारी है। कुछ अराजक तत्वों ने जानबूझ कर साम्प्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की है जिसमें कांग्रेस दल के एम0 एल0 ए0 झगड़े सिंह तथा मन्जूर अहमद शामिल हैं और सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर मुख्य मंत्री जी यहां विराजमान नहीं हैं। आप ने स्वयं अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था दी है कि गृह मंत्री द्वारा समुचित उत्तर नहीं दिया जाता आपने एक बार से अधिक माननीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री को निर्देश दिया है कि ठीक उत्तर दिये जायं.....

एक सदस्य—

आपने उत्तर सुन लिया.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

बयान की कापी नहीं मिली। अभी मिली है जिसे मैंने फाड़ डाला। बयान की कापी नहीं मिली गृह मंत्री जी ने पढ़ना शुरू कर दिया। शासन के इस नीति के खिलाफ मैं अपने दल के साथ सदन से बहिगमन करता हूं। जब तक माननीय मुख्य मंत्री नहीं आयेंगे हम गृह विभाग के बारे में गृह मंत्री का भाषण नहीं सुनेंगे।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गृह मंत्री बयान पढ़ें.....

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी)

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25–2–82 को लगभग 2.00 बजे दिन में पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को रामराज डकैत के गिरोह के ग्राम चतुर्भुज सराय थाना असोधर में होने की सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर क्षेत्राधिकारी (शहर) श्री उदयराज सिंह पुलिस दल सहित मौके के लिये रवाना हुए। पुलिस ने गांव में दबिश की और जिस मकान में रामराज का होना बताया गया था उसमें ताला पड़ा पाया। पुलिस ने जब घर खोलने का प्रयास किया तो डकैतों ने घर के अन्दर से पुलिस पर फायरिंग की जिससे पुलिस उप निरीक्षक, श्री एस0 एस0 ए0 नकवी वीरगति को प्राप्त हुए, एक अन्य पुलिस उप निरीक्षक, श्री शिवबरन सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गये और एक कांस्टेबिल को भी चोटें आयीं। एक प्लैटून पी0ए0 सी0 की अतिरिक्त फोर्स घटनास्थल पर भेजी गयी। दबिश सुबह तक चलती रही और जब पुलिस ने मकान पर कब्जा किया तो दो डकैत राम राज व रामसेवक मरे पाये गये। मृतक डकैतों के पास से तीन बंदूकें, जिंदा कारतूस व खोखे बरामद हुए। इस घटना के सम्बन्ध में धारा 147/148/307/302 भा0 द0 वि0 व 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये। पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र व पुलिस अधीक्षक फतेहपुर घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं।

रामराज डकैत फतेहपुर, हमीरपुर और बांदा क्षेत्रों में अपराध करता था और इनके गिरोह में 22 लोग थे।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी]

उक्त घटना के दौरान स्वर्गीय श्री नकवी ने अनुकरणीय कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया है। पुलिस उप निरीक्षक श्री शिवबरन सिंह ने अपने जीवन की परवाह किये बिना विशेष शौर्य का प्रदर्शन किया। वीरगति को प्राप्त सब इन्सपेक्टर की अंत्येष्टि क्रिया पुलिस सम्मान के साथ सम्पन्न की जा रही है। उनकी विधवा को नियमानुसार पूरा वेतन, अवकाश प्राप्त करने के समय तक देय होगा। घायल पुलिस कर्मियों की चिकित्सा का व्यय शासन वहन करेगा।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय श्री एस0एस0ए0नकवी जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनकी पुण्य स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारे हृदय की संवेदना के शब्द प्रेषित करने की कृपा करें।

मेरठ में धनियां पुल के निकट पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से एक बालिका की मृत्य के सम्बन्ध में नियम 51 अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी) बक्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना क्षेत्र कोतवाली नगर मेरठ में दिनांक 15 फरवरी, 1982 को श्री सलीम अहमद आयु लगभग 18 वर्ष घायल अवस्था में अपने ही मोहल्ले के निवासी श्री तुल्लन बाल्मीकि के घर की छत पर दोपहर लगभग 13.30 बजे पाये गये उन्हें तत्काल उपचार हेतु मेडिकल कालेज भेजा गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण मस्तिष्क में लगी चोट के कारण "शाक" तथा "हैमेरज" पाया गया। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली थाने में अभियोग अपराध संख्या 54 धारा 302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया तथा नामजद सभी अभियुक्तों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई और विवेचना जारी है।

दिनांक 16 फरवरी, 1982 को प्रातः मृतक की शव यात्रा में लगभग 500 व्यक्ति शामिल थे। सुरक्षा एवं सावधानी के दृष्टिकोण से इस शवयात्रा के साथ स्थानीय प्रशासन ने पुलिस की भी व्यवस्था की थी। कब्रिस्तान जाते समय मार्ग में अचानक दो सुअरों के आ जाने से कुछ व्यक्तियों में उत्तेजना उत्पन्न हुई परन्तु पुलिस द्वारा सुअरों को भगा दिया गया और स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए जनाजे को कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया गया जहां मृतक के शव को दफनाया गया।

वापिस लौटते समय कुछ शरारती तत्वों द्वारा अचानक पुलिस कर्मियों पर घातक आक्रमण किया गया जिससे दो उप निरीक्षक एवं एक कान्सटेबिल को धारदार एवं अन्य प्रकार के शस्त्रों से गम्भीर चोट आई। उत्तेजित भीड़ द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पर भी आक्रमण किया गया। आत्मरक्षा में दोनों उप निरीक्षकों ने अपने सर्विस रिवाल्वर से फायर किया जिसके कारण एक व्यक्ति श्री नवाब, पुत्र श्री मुन्ना, आयु करीब 30 वर्ष तथा एक लड़की कु0 कमर जहां पुत्री श्री मुहम्मद घायल हुए। दोनों घायलों को उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा दिया गया था जहां लड़की मृत घोषित कर दी गई लेकिन दूसरे घायल व्यक्ति को उचित उपचार हेतु स्थानीय मेडिकल कालेज में भर्ती करा दिया गया जहां उसकी दशा में सुधार हो रहा है। इस घटना के संबंध में थाना परतापुर एवं थाना देहली गेट में अभियोग क्रमशः अपराध सं0-78 धारा 147/148/149/307/332 भा0 दं0 वि0 एवं 25(4) शस्त्र अधिनियम तथा अपराध संख्या -96 धारा 147/148/149/332 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किय गये जिनकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा जान बूझकर साम्प्रदायिक तनाव एवं अशांति फैलाने की कोशिश की गयी जो प्रशासन द्वारा तुरन्त प्रभावी कार्यवाही के कारण सफल न हो सकी। यह कहना सही नहीं है कि मेरठ नगर में शिक्षण संस्थायें बन्द कर दी गयी हैं और मेरठ नगर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। जिला प्रशासन बराबर सजग है और मेरठ नगर तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण में है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं, और मार्च की पहली तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 25 मिनट पर सोमवार, 1 मार्च, 1982 के दिन के 11 बजे तक के लिय स्थगित हो गया।)

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ
27 फरवरी, 1982

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0ए0पी026 वि0सभा-30-7-83(1583)-1983-813 (मैग0)।